राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३६वां दिवस [संख्या २२

गुरूवार, २० मार्च, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७०२

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

उनियारा, मालपुरा इत्यादि डिस्पेन्सरीज़ में दवाइयों की व्यवस्था

७०३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) उनियारा, मालपुरा, निवाई व टोडा की डिस्पेन्सरियों में राजस्थान निर्माण के बाद किस किस साल में कितने कितने रुपयों की दवाइयां भेजी गई ?

(ख) उक्त वर्षों में इन डिस्पेन्सरियों के लिये स्वीकृत रकम कितनी कितनी थी ?

(ग) क्या इन डिस्पेन्सरियों में कोई मिडवाइफ़ की व्यवस्था है ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) उनियारा, मालपुरा, निवाई व टोडा डिस्पेन्सरियों को राजस्थान में सम्मिलित होने के बाद निम्नलिखित रुपयों की दवाइयां भेजी गईं:—

वर्ष	मालपुरा	टोडारायसिंह	उनियारा	निवाई	
१६५५-५६	८०८-७-०	१२१५-८-०	१०३६-६-६	१०६८-५-६	माह जनवरी १६५८ तक का ।
१६५६-५७	२६२०-७-८	.१७१३-६-६	१८५६-५-३	१६५४-५-६	
१६५७-५८	२१३०-२-६	१५३६-११-०	११११३-२-०	११०६-३-०	

(ख) स्वीकृत रकम निम्नलिखित थी

१६५५-५६	१७०० रु०	१६०० रु०	१५०० रु०	१६०० रु०
१६५६-५७	१७०० रु०	१६०० रु०	१५०० रु०	१६०० रु०

१६५७-५८ इस वर्ष टोंक जिले में डिस्पेन्सरियों के लिये दवाइयों का संगठित बजट रहा जिसमें से प्रत्येक डिस्पेन्सरियों के लिए दवाइयों का खर्चा किया गया ।

Page No.2

(श्री भीखाभाई)

(ग) टोडारायसिंह, निवाई, तथा टोंक में मिडवाइफ की पोस्ट्स स्वीकृत हैं तथा कार्य कर रही हैं। मालपुरा में केवल नर्स दाई की पोस्ट स्वीकृत है जो खाली है। उपयुक्त नर्स दाई मिलने पर वहां भेज दी जायगी।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह धन राशि किस आधार पर निश्चित की जाती है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकतानुसार की जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मरीजों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीमारों को दवाई देने की आवश्यकता ही तो है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उनियारा और अलीगढ़ में इन्डोर के लिये कोई बेड्स भी रखे गये हैं?

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका प्रश्न नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उनियारा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके पूछ सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन्डोर पेशेन्ट्स वहां से हटा दिये गये हैं!

श्री श्रीभानसिंह : नम्बर ऑफ पेशेन्ट्स का ध्यान रखा जाता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका ध्यान रखा जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि १६०० रुपये दिये, पहले १५०० देते थे......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १५०० रु० के बजाय १६०० रुपये दिये हैं; बढ़ाया गया है। अब तो पूल बन गये हैं! डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। दवाई देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रसद विभाग द्वारा व्यापारियों से ली गई सिक्योरिटी व लेवी की रकम

७०४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या खाद्य व रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिविज़न में सिविल सप्लाईज विभाग द्वारा व्यापारियों से चनों की ली गई सिक्योरिटी और लेवी की कुल रकम कितनी है जो अभी तक वापिस नहीं दी गई?

(ख) गंगानगर में किन-किन व्यापारियों की सिक्योरिटी की रकम बाकी है और किन किन को दे दी गई है?

(ग) सिविल सप्लाइज़ विभाग, जयपुर के मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों के कितने मामले पुनर्विचार करके तय किये गये हैं और वित्त विभाग द्वारा कितने मामले पब्लिक सर्विस कमीशन के विचारार्थ भेजे हुए हैं? इन पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है?

उप खाद्य व रसद मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) बीकानेर डिविज़न के किसी भी व्यापारी से चनों पर कोई रकम बतौर सिक्योरिटी नहीं ली गई। नियम के अनुसार जिन्होंने ४० प्रतिशत चना नहीं दिया उनसे ४ रुपये मन के हिसाब से लेवी ली गई जिसकी वापसी का सवाल पैदा नहीं होता।

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) कपड़े के व्यापारियान से, सिक्योरिटी की रकम जिनको दे दी गई व जिनको अब देना है, उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सिविल सप्लाइज़ विभाग, जयपुर के चार मोअत्तिल किये गये कर्मचारियों के मामले तय किये गये, तीन के मामले महकमे में ही इन्क्वायरी की जाकर फैसले किये गये और संबन्धित कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया; एक का फैसला पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ है जिसमें भी सम्बन्धित कर्मचारी को बहाल कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जयपुर जिले की सिक्योरिटी की रकम अब तक क्यों नहीं दी गई है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, आपको भी एक प्रति मिल गई है। उसमें यह दर्ज है।

प्रश्न संख्या ७०५.

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह।

ग्रामों का पंचायतों में सम्मिलित नहीं किया जाना

७०६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील के चिमनपुरा व बासरिडसाला गांव तथा खातियों का बास किसी भी पंचायत में सम्मिलित नहीं किये गये ?

(२) उपरोक्त तीनों ग्रामों की जनसंख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामों के निवासी गत ३ साल से पंचायत में सम्मिलित किये जाने के लिये सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं मगर पंचायत में उनकी तरफ से कोई सदस्य नहीं लिया गया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि पंचायत में प्रतिनिधित्व न होने पर भी उक्त ग्राम पंचायत, सेवा द्वारा प्रशासित है ?

(५) क्या सरकार अब उन्हें पंचायत में प्रतिनिधित्व देने पर विचार करेगी ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं। चिमनपुरा में बासरिड साला व खातियों का बास नाम के मौजे रिकार्ड सरकार में नहीं है।

(२) जब इन नामों के ग्राम नहीं हैं तो पृथक जनसंख्या इन गांवों की दर्ज नहीं है।

(३) उपरोक्त नाम के पृथक गांव नहीं हैं; यह चिमनपुरा, बासरिड साला मौजा भुवाड़ी पंचायत सेऊवा के ही हिस्से हैं तथा इनकी जनसंख्या मौजा भुवाड़ी में सम्मिलित है, अतः पृथक से इन दोनों नामों का पंचायत में शरीक होने का प्रश्न नहीं उठता। जब मौजा भुवाड़ी पंचायत में सम्मिलित है तो मौजा भुवाड़ी के हिस्से में है। अतः यह स्वतः पंचायत सेऊवा के क्षेत्र में है।

(४) पंचयात सेऊवा में ग्राम भुवाड़ी सम्मिलित है और यह ग्राम के हिस्से भुवाड़ी

Page No.4

(श्री दौलतराम सारण)

के हिस्से हैं, अतः यह स्वतः ही ग्राम पंचायत सेऊवा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं; तथा आतियां का बास नेसल पंचायत के अन्तर्गत जसवन्तपुरा गांव का हिस्सा है और इस प्रकार नेसल पंचायत का भाग है।

(५) यह प्रश्न पैदा नहीं होता। पहले से ही पंचायत में है।

श्री मोहरसिंह : आपने बताया कि भुवाड़ी में सम्मिलित है लेकिन वार्ड में शामिल नहीं है, इसी तरह से खातियों का बास किसी भी पंचायत में सम्मिलित नहीं है, इसको वार्ड में शामिल किया जाना चाहिए था।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। आपने जानकारी दी है, अगर ऐसा है तो शामिल कर लिया जावेगा।

श्री मोहरसिंह : ऐसी जानकारी १०-१२ बार पहले ही दी जा चुकी और तीन साल हो गये हैं इसको करते हुए। इन गांवों को शामिल करना चाहिए था जिससे इनका भी रिप्रेज़ेन्टेशन हो सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : शामिल तो है, अलग गवर्नमेन्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ढाणी है या वास है, तो वह उसका हिस्सा है।

श्री मोहरसिंह : वार्ड में उन घरों का जिक्र तो जरूर होना चाहिये था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड में जरूर होना चाहिए।

श्री मोहरसिंह : क्या मैं यह आशा रखूं कि चुनाव होने से पहले उनको भी शामिल कर लिया जावेगा?

श्री दौलतराम सारण : अवश्य।

प्रश्न संख्या ७०७.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ७०८.

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री बेनाराम।

बहुधंधे सहकारी समिति, फलौदी

७०६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बहुधंधी सहकारी समिति लि० फलौदी, तहसील पोकरण को २०००) रु० का ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कब, कितने अर्से के लिये व किस कार्य के लिये दिया गया है?

(२) उपरोक्त समिति में कुल कितने सदस्य हैं?

(३) क्या तमाम ऋण वसूल हो चुका है? यदि नहीं, तो वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उप सहकारी विभाग मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां। दिनांक ६. १. ५४ को, एक वर्ष की अवधि के लिए व सूत खरीदने हेतु।

(२) ४०।

(३) जी नहीं। मामला पुलिस के जरिये न्यायालय में दे दिया गया है।

[redacted]

श्री बेनाराम गहलोत : यह न्यायालय में कब दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से न्यायालय में दे दिया गया।

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैंने पूछा था कि कौनसे न्यायालय में दे दिया गया था, उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : (सहकारी मंत्री से) जानकारी है आपके पास ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : २६–६–५६ को पुलिस को दिया गया था और उसके बाद न्यायालय में इसको प्रस्तुत किया गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सैकेन्ड क्लास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया होगा। किस न्यायालय को दिया गया, यह सूचना तो मेरे पास अभी है नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना ही पूछना था।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

शुगर डीलर्स, सांचोर

७१०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला जालोर के सांचोर तहसील में सन् १६५० में शुगर डीलर कौन-कौन मुकर्रर किये गये थे ? उनके कमीशन का भुगतान हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप खाद्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सन् १६५० में सांचोर तहसील में शुगर के डीलर दो मुकर्रर हुए थे। पहले श्री कुनणमल भल्ला थे और उनके स्तीफा देने पर श्री जावतमल हुए। कमीशन की कोई रकम डीलर्स को चुकानी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : किसी किस्म का क्लेम बाकी है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द : मैंने निवेदन किया कि किसी का चुकाना बाकी नहीं है।

प्रश्न संख्या ७११.

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

कस्बा सैंथल की सड़क

७१२. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील दौसा में कस्बा सैंथल की कच्ची सड़क को जो जयपुर-आगरा रोड से दौसा-अलवर की सड़क को जोड़ती है; कब तक पक्की बनाने की व्यवस्था की जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : व्यवस्था की जा चुकी है। जून सन् १६५६ तक सम्पूर्ण होने की आशा है।

Page No.6

प्रश्न संख्या ७१३

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

पाली में मोची जाति की सहकारी समिति

७१४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) क्या कृषि तथा सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पाली में मोची जाति की कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो उसके कितने सदस्य हैं ? उनके नाम की सूची बतलाने की कृपा करें ?

(ख) क्या इस समिति ने सरकार से रुपयों की मांग की है ? यदि हां, तो कब ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां । इसके ३९ सदस्य हैं ।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी हां । दिनांक २२-५-५६ को ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(मूल प्रश्न में भाग दो ही हैं जब कि तीन भाग का उत्तर दिया गया)

श्री मूलचन्द डागा : २२-५-५६ को दरख्वास्त करने के बाद आज तक रकम नहीं मिली, इसका कोई विशेष कारण ?

श्री नाथूराम मिर्धा (मन्त्री, सहकारी विभाग) : कोऑपरेटिव महकमे ने इस कर्जे की दरख्वास्त मिलने की सिफारिश करके इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड के पास भेज दी है । यह भेजी है ११-८-५६ को । इसकी याद-दाहनी भी कर दी गई है लेकिन बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई इसलिए नहीं दिलाया ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह आशा है कि इस महीने में रकम मिल जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्डस्ट्रीज़ महकमे से ऋण देने के लिए कमेटी है वह मीट करेगी तब देगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

ग्राम अरटवाड़ा (त. शिवगंज) में पंचायत की व्यवस्था सम्बन्धी

७१५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state:—

Is the Government aware that Arathawada village of Sheoganj Tehsil in Sirohi District is not represented in any Panchayat? If so, why ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं ।

श्री मोहब्बतसिंह : ये गांव कौन सी पंचायत में हैं ?

श्री दौलतराम : ग्राम अरटवाड़, ग्राम कोसालिया में सम्मिलित है लेकिन वहां की जनता....

(विराम)

श्री मोहब्बतसिंह : आगे बोलिये ना साहब ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : वहां चुनाव नहीं हो सके । बार-बार

Page No.7

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तारीखें दी गई लेकिन आगे नहीं आये । अब नोमिनेट करने की कोशिश की गई है ।

श्री मोहब्बतसिंह : नोमिनेट कब तक हो जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही हो जावेंगे ।

श्री मोहब्बतसिंह : चुनाव क्यों नहीं कराते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन बार तारीखें दी जा चुकीं । ३१-१-५६ को दी, फिर १ तारीख दी लेकिन कोई आगे नहीं आये ।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या इस विषय में जानकारी करने की कोशिश की गई कि क्यों आगे नहीं आते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां के लोगों की दिलचस्पी नहीं है, आगे ही क्रियेट करिये ।

प्रश्न संख्या ७१६.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

टूरिस्ट बोर्ड

७१७. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में राजस्थान ने एक टूरिस्ट बोर्ड स्थापित किया है ? यदि हां, तो उसके मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह टूरिस्ट महकमे से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : साफ आवाज नहीं आयी है, फिर कहियेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुख्य मंत्रीजी अपनी टर्न पर इस सवाल का जवाब देंगे ।

प्रश्न संख्या ७१८.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

बसी तुंगा रामगढ़ सड़क

७१९. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बस्सी से तुंगा व रामगढ़ होती हुई लालसोट के लिये सड़क बनाई जायेगी ?

(२) क्या इसका टेन्डर दिया जा चुका है ?

(३) यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब से चालू होगा ?

(४) क्या बस्सी तुंगा रामगढ़ लालसोट के बजाय इस सड़क का प्लान लवान से दौसा बदला गया है ?

(५) अगर हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं ।

(२) सवाल नहीं उठता ।

(३) वर्षों से इस सड़क का कार्य चल रहा है ।

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) जी नहीं।

(५) सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

चिकित्सालय की स्थापना झोंटवाड़ा (जयपुर)

७२०. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील जयपुर के अन्तर्गत झोंटवाड़ा कस्बे में कोई औषधालय या डिस्पेन्सरी नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(ग) अब वहां कब तक डिस्पेन्सरी या औषधालय खोल दिया जावेगा ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) झोंटवाड़े में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है किन्तु समीप ही ग्राम सिरसी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है। झोंटवाड़े में बाल शोष का आयुर्वेदिक शिविर चल रहा है जिससे जनता को लाभ पहुँच रहा है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नवीन औषधालय संबन्धित जिला विकास समिति की सिफारिश पर ही खोले जाते हैं। अब तक जिला विकास समिति की ओर से झोंटवाड़े में औषधालय खोले जाने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

(ग) यदि जिला विकास समिति की सिफारिश इस बारे में प्राप्त हुई तो औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

बांधण बांध

७२१. श्री जयचन्द मोहिल (कपासन) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में बांधण बांध बांधने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इस बांध के बांधने से कितने गांव और कितना बीघा कुल जमीन डूब में आयेगी ? डूब में आने वाले गांव के नाम बतावें।

(३) इस बांध से कितने गांव के लोग लाभ उठा सकेंगे और कुल कितना बीघा जमीन पीवल होगी ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) हां।

(२) इस बांध के बांधने में २७ गांव और कुल ५,००० एकड़ जमीन डूब में आयेगी। डूब में आने वाले गांवों के नाम निम्न हैं :–

जीतावास, लक्ष्मीपुरा, चतराखेड़ा, गोपीखेड़ा, बेगमनीया, धारी, चाड़ोली, मदेरगांगागुड़ा, अमरपुरा, सोड़ावास, करेड़िया, ब्यावर, गठेडी, चांपाखेड़ा, पोटला माफी, पोटला खालसा, चरपेटिया, अरनोद, धीरजी का खेड़ा, लडेर, शीवपुर, फलासिया, दोलपुरा, आकोला, मगरदा, आसावरा।

इस बांध से ६७ गांवों के लोग लाभ उठा सकेंगे और कुल २०,६०० एकड़ जमीन पीवल हो सकेगी।

Page No.9

श्री जयचन्द मोहिल : क्या यह सही है कि इस बांध से जनता और सरकार को लाभ कम और नुकसान ज्यादा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने आंकड़े आपको बता दिये; लाभ ही लाभ है, नुकसान का सवाल ही नहीं है ।

प्रश्न संख्या ७२२.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

प्रसूति केन्द्र पाली

७२३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाली शहर में इस समय कितने प्रसूति केन्द्र खुले हुए हैं ?

(ख) इनमें से कितने सरकारी मकानों में हैं और कितने किराये के मकानों में हैं ?

(ग) प्रत्येक प्रसूति केन्द्र में गत वर्ष में कितने-कितने केसेज़ आये ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) पाली शहर में केवल एक प्रसूति केन्द्र हैं ।

(ख) यह केन्द्र सरकारी भवन में है ।

(ग) इस केन्द्र में गत वर्ष ४८ केसेज़ आये ।

कोटा नगर स्थित बिजली घर

७२४. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या कोटा नगर स्थित बिजलीघर में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

कोटा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये २,१०० किलोवाट का डिज़ल जनरेटिंग सेट कोटा में लगाने का प्रस्ताव किया गया है । ये डिज़ल जनरेटिंग सेट्स की अन्तरिम व्यवस्था उस समय तक के लिये है जब तक कि २,१००० किलोवाट स्टीम टरबो आलटर नेटर सेट्स वहां पर न लग जावे ।

इसके अलावा वाटर वर्क्स विभाग ने अपने मेटस अलग लगा लिये हैं जिससे पानी की कोई कठिनाई न हो ।

श्री रामेश्वरदयाल : यह प्रस्ताव कब पारित किया गया और जेनरेटिंग सेट कब कोटा में भेजा गया ?

श्री भीखाभाई : यह प्रस्ताव १६।१२।५० को चीफ मिनिस्टर साहब के कमरे में तय हुआ था और उसके बाद जेनरेटिंग सेट कोटा को भेजा जा चुका है ।

श्री रामेश्वरदयाल : कब भेजा जा चुका है ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास तिथि तो नहीं है लेकिन वह भेजा जा चुका है । अगर माननीय मंत्री तिथि की जानकारी चाहेंगे तो मैं उनको अलग से दे दूंगा ।

श्री रामेश्वरदयाल : Is the Government aware of the fact that often darkness prevails in some of the important streets and roads in Kotah city leading to crimes and accidents.

श्री भीखाभाई : No

श्री रामेश्वरदयाल : Then I will draw the attention of the Hon'ble Minister that darkness does prevail in some of the important streets and roads and, therefore, I ask the hon'ble Minister to explain, for how many years more he will be pleased to keep Kotah people in darkness ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is there in the Ministry also.

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : How long will it continue ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : Nights will continue for ever but not the darkness.

भाखरा क्षेत्र में मंडियां

७२५. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

भाखरा क्षेत्र में कितनी नई मंडिया कहां कहां बसाई जा रही हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) : भाखरा क्षेत्र में तीन प्रकार की नई मंडियां कुल २१ बसाई जा रही हैं जो इस प्रकार हैं :

प्रथम श्रेणी १, हनुमानगढ़ जंकशन

द्वितीय श्रेणी
१. भादरा
२. नोहर
३. सूरतगढ़
४. संगरियां
५. सादूल शहर
६. पीलीबंगा
७. तलवाड़ा झील

तृतिय श्रेणी
१. हनुमानगढ़ फोर्ट
२. ढाबां
३. उजलबास
४. टिब्बी
५. मानकसर
६. धोलीपाल
७. बानवाली
८. डाबली
९. खनानिया
१०. झांसल
११. नथेरना
१२. फेफाना
१३. पक्का भादवां।

श्री श्योपतसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि हनुमानगढ़ जंकशन पर जो मंडी बसाई जा रही है वह झील में बसाई जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : झील में कोई नहीं बसाई जा रही है लोगों ने तो प्लॉट वगैरह भी खरीद लिये है।

श्री श्योपतसिंह : प्लॉट झील में भी खरीदे जा सकते हैं लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वह मन्डी झील में बनायी जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों को पता होता कि यहां झील है तो एक एक प्लॉट के तीस-तीस हजार रुपये कोई देता ही नहीं।

श्री श्योपतसिंह : मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार के यह ध्यान में है कि क्या जो मंडी बसाई जा रही है वह झील में बसाई जा रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपका कहना गलत है।

श्री श्योपतसिंह : यह बहुत जरूरी चीज़ है कि जो मंडी बसाई जा रही है वह नीचे लेवल पर है अगर सरकार दूसरे प्रान्त से किसी एक्सपर्ट को बुलाकर जांच करवाये तो उस पर जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिये तैयार हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार को बाहर से एक्सपर्ट बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठीक जगह सोच-समझ कर मन्डी बसाई जा रही है।

श्री पी० के० चौधरी : मन्डी की साइट किस एक्सपर्ट ने प्रपोज़ की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई अफसर हैं, जैसे कोलोनाइजेशन ऑफिसर, एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, मन्डियों को बसाने के लिये अलग सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स हैं ये सारे मिल कर काम करते हैं और उन्हीं की सलाह पर किया गया है।

श्री श्योपतसिंह : साइट किसने पसन्द की थी, गवर्नमेंट ने या और किसी ने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्जीनियर्स ने तय की थी।

श्री श्योपतसिंह : इस बारे में प्लानिंग डिपार्टमेंट की सलाह ली थी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लानिंग के ही ऑफिसर थे तीनों।

श्री श्योपतसिंह : यह तो इन्जीनियर्स ने गलती की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके जोर से कहने से तो गलती नहीं मान सकते।

फिमेल होस्पिटल, कोटपुतली

७२६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास कोटपुतली की जनता का चालीस हजार रु० फिमेल हॉस्पिटल के खेतड़ी ठिकाने के समय से जमा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस रु० से एक्सरे क्लीनिक, ब्लड मशीन तथा ऑक्सीजन सिलेन्डर का प्रबन्ध करने के लिये तैयार है ?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार रुपये को किस काम में खर्च करने की सोच रही है ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त रुपया डोनर की इच्छानुसार अस्पताल चलाने व उसकी मेन्टीनेंस में व्यय किया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : वहां की जनता में इस प्रकार का टेन्शन फैला हुआ है कि जिस प्रकार अस्पताल चलाया जाना चाहिये उस तरह नहीं चलाया जा रहा है। क्या इस अस्पताल को चलाने के लिये जनता से भी ४० हजार रुपया लिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भ्रम है, एक सेठ ने चालीस हजार रुपया दिया था लेकिन वह किसलिये दिया इस संबन्ध में तहकीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वह रुपया किसमें खर्च किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : What was the condition of the donor.

Page No.12

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रुपया खेतड़ी के जमाने में जमा कराया गया था लेकिन उसके पेपर्स उपलब्ध नहीं हैं कि किस काम के लिये वह दिया था।

श्री रामकरणसिंह : यह रुपया जो दिया गया था वह जनता को फेसीलिटीज़ देने के लिये था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खेतड़ी ठिकाने के समय में यह जमा कराया था लेकिन वह किसलिये जमा कराया था इसके कागजात मिल नहीं रहे हैं, ख्याल ऐसा है कि मेन्टीनेन्स अस्पताल के लिये दिया होगा, लेकिन फिर भी जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिये दिया होगा वह उसी काम में लिया जायगा।

हनुमानगढ़ से नर्सरी गार्डन

७२७. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या मंत्री वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

हनुमानगढ़ के नर्सरी गार्डन पर आज तक कितना हजार रुपया खर्च किया गया और कितने बीघों में कितने पेड़ लगाये गये; संख्या बतायी जावे।

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १४,२२६ रुपये खर्च किये गये। नर्सरी के २ एकड़ में २५,००० पौधे तैयार हुए। जिसमें से १२,००० पौधे २०० एकड़ प्लान्टेशन में लगाए गए।

श्री श्योपतसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ हजार रुपये खर्च करके केवल पच्चीस हजार ही पौधे लगाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह दस एकड़ की नर्सरी है, पानी की बहुत कमी है। कुआं खुदवाने की मन्जूरी दी है, उसके बाद आशा है ज्यादा पौधे लग जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह : जो पौधे लगाये जाते हैं कृपा करके उनकी किस्में बताई जाएं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी ठीक जानकारी तो इस समय मेरे पास नहीं है; पर आम तौर से नर्सरी में शीशम है, नीम हैं, आम आदि पेड़ लगाये जाते हैं।

श्री श्योपतसिंह : मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहां पर कोई आम का पौधा नहीं है, कोई शीशम नहीं है, सिर्फ कीकर के पेड़ लगाये गये हैं जो दूसरे भी एरिया में लगाये जाते हैं और जो १२ हजार के आंकड़े बताये गये वे भी गलत हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : नर्सरी कायम करने से पहले वहां की सोइल का अनेलेसिस कराया गया था या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि इस नर्सरी में जो पौधे हैं उनकी तो ठीक जानकारी मुझे नहीं है, पर आम तौर से जो नर्सरी में पेड़ उगाया करते हैं उनका जिक्र मैंने किया।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने यह पूछा है कि इस नर्सरी में सोइल को अनेलेसिस कराया गया है कि नहीं कि इस सोइल में इस तरह के पेड़ अधिक ठीक तरह से लग सकेंगे और इस तरह के नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : नर्सरी जब कायम की जाती है तो यह तो पहले देखा ही जाता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है कि यह जमीन कैसी उपजाऊ है, इसमें कैसे पौधे लग सकते हैं, कैसी यह नर्सरी लग सकती है; तो ये सारी बातें सोच कर ही नर्सरी लगाई जाती है ।

श्री श्रीभानसिंह : किस अफसर ने यह एग्ज़ामिन किया और क्या रिपोर्ट उसने दी ? क्या यह भी उसने कहा कि इसमें आम वगैरह के पौधे नहीं लगाये जावें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहली बात तो यह कि आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । जितना सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है । अब आप दूसरी बात जानना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त करके ही बताया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

लेवी के दावे जिला पाली

७२८. श्री तेजाराम (सोजत) : क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में लेवी के हिसाब के बारे में कितने दावे कितने कितने रुपयों के सरकार पर दायर किये जा चुके हैं व किस किस तारीख को ?

(ख) क्या सरकार ने लॉ विभाग की राय भी उनमें से किसी मुकद्दमे में ली और यदि हां, तो क्या उस राय पर सरकार ने अमल किया और नहीं किया तो क्यों नहीं ?

(ग) सरकार का ऐसे दावों की पैरवी में कितना रुपया खर्च हुआ व होगा ?

उप रसद मन्त्री (श्री खिलचन्द धारीवाल) : (क) लेवी के मुताल्लिक किसी भी व्यापारी ने अब तक कोई दावा दायर नहीं किया है ।

प्रश्न (ख) और (ग) पैदा नहीं होते ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीकानेर जिले में वेटरनेरी हॉस्पिटल की स्थापना

७२९. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंच–वर्षीय योजना काल में बीकानेर जिले में कितने वेटरनेरी हॉस्पिटल कायम करने का प्रावधान है तथा इस कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) कोई प्रोवीज़न नहीं रखा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(नोट : प्रश्न में कोई 'क' और 'ख' भाग नहीं है, पर उत्तर इसी प्रकार दिया गया है ।)

श्री श्रीभानसिंह : क्या बीकानेर जिले में लाइव स्टॉक का पर्सेन्टेज राजस्थान में सब से कम हो गया है ?

श्री दौलतराम : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि रेन्डरपेस्ट वगैरह खत्म कर देंगे इस साल, तो वेटरनरी हॉस्पिटल का प्रावधान ही जब नहीं हैं तो यह कैसे करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : रेन्डरपेस्ट खत्म करने का द्वितीय पंच–वर्षीय

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजना के एण्ड तक कहना था। इसका कम्पेन शुरू करने जा रहे हैं इस साल। तो इस केस को अस्पतालों के प्रावधान से जोड़ा नहीं गया है।

फिर बीकानेर में तीन तहसीलें हैं, उनमें तीन डिस्पेन्सरियां मौजूद हैं और बीकानेर प्रोपर में जानवरों का अस्पताल मौजूद है और हमारा प्लान सेकन्ड फाइव इयर प्लॉन में डिस्पेन्सरीज़ और वेटरनरी हॉस्पिटल्स क्रमशः तहसील हैड क्वार्टर्स और जिला हैड क्वार्टर्स तक ही करने का है।

श्री श्योपतसिंह : गवर्नमेंट की तरफ से कितने वेटरनरी अस्तपाल हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सारे गवर्नमेंट के हैं।

श्री श्योपतसिंह : नहीं, यह गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो फिर आप सूचना दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या ७३०.

श्री अध्यक्ष : मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

बूचारा बान्ध

७३१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बूचारा बांध आरम्भ से आज तक कितने सिल्ट से भर गया ?

(२) क्या सरकार का इस बांध को खोदने (छांटने) या रेज़ करने का विचार है ?

(३) यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस बांध के भराव से काफी पानी बेकार जाता है ?

(५) यदि हां, तो क्या इस पानी को काम में लेने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) बूचारा बांध आरम्भ से आज तक करीब ४० फीट तक सिल्ट से भर गया है।

(२) इसको खोदना सम्भव नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर इसको ऊपर उठाया जा सकता है; परन्तु अभी ऐसी कोई आवश्यकता न होने के कारण सरकार का इसे रेज़ करने का कोई विचार नहीं है।

(३) बांध की मौजूदा कैपेसिटी अधिकतर वर्षा में पानी की आमद के अनुसार ही है इसलिए उसे बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां, कुछ पानी भराव के कारण बेकार जाता है।

(५) जी नहीं। मामूली भराव के कारण कुछ पानी प्रायः सभी बांधों में बेकार जाता है। इस भराव के पानी को काम में लेने की योजना, मौके की हालत को देखते हुए कठिन और अत्यधिक खर्चीली होने के कारण लाभप्रद सिद्ध नहीं होगी।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय इसको रेज़ किया जा सकेगा, तो इससे क्या मैं यह जानूं कि इस समय आवश्यकता नहीं है ?

श्री भीखाभाई : मैंने पांचवें कॉलम में उत्तर दिया है कि इसे अगर रेज़ करेंगे तो

Page No.15

(श्री भीखाभाई)

काफी खर्चा होगा। इसलिए जब यह देखा जावेगा कि सिल्ट को दूर करने या बांध को रेज़ करने में खर्चा कम पड़ता है और आमदनी जो रुक गई है वह बढ़ जावेगी और इस तरह इसको रेज़ करना लाभप्रद सिद्ध होगा तो सिल्ट को हटाने की या बांध को रेज़ करने की कोशिश की जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : आपने यह अभी फरमाया कि आवश्यकता पड़ने पर ही विचार किया जावेगा, तो क्या आज आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री भीखाभाई : अभी तो नहीं समझते जब तक उससे हमें खास लाभ की सूरत नहीं नजर आती तब तक आवश्यकता नहीं समझते। आवश्यकता उस दिन समझेंगे जब कि खर्च के मुकाबले में आमदनी की सूरत अधिक हो जावेगी।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार के दो किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं; एक कॉमर्शियल और दूसरे नॉन प्रोडक्टिव ?

श्री भीखाभाई : इस सवाल का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : सम्बन्ध है जरूर। अगर यह नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट है तो इसे भी नोन प्रोडक्टिव की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं; प्रोफिट का सवाल फिर पैदा नहीं होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, दो तरह के हैं।

श्री रामकरणसिंह : अभी आपने जवाब दिया कि आवश्यकता नहीं समझती सरकार और कट मोशन का जवाब देते समय माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि सिल्ट से भर गया है। इर्रिगेशन के लिए इसे ठीक कराने को सरकार सोच रही है, तो इनमें से कौन सा जवाब ठीक समझा जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब यह दिया गया कि सिल्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है, पर अभी जितना उसमें भराव है उसके लिहाज से उसमें अभी गुंजाइश है। इसलिये उसे रेज़ करने की आवश्यकता नहीं।

श्री रामकरणसिंह : इस बारे में जो बातें मेरी इर्रिगेशन विभाग के सहायक इन्जीनियर से हुई और उन्होंने जो जवाब उस समय मुझे दिया वह का वह जवाब यहां दिया जा रहा है। उन्होंने साफ चीज़ यह कही थी कि इन चीजों का ऐसा जवाब भेजेंगे अगर आपका प्रश्न आवेगा तो मन्त्री महोदय का वैसा ही जवाब आ रहा है। पानी वेस्ट जा रहा है फिर भी आवश्यकता नहीं समझी गई। स्वयं मन्त्री महोदय ने कोई जानकारी सही प्राप्त करने की कोशिश नहीं की; जैसा नीचे से जवाब आया, वैसा यहां दे दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब तो जो वाजिब होगा, वही दिया जावेगा। यह नहीं कि इन्जीनियर के कहने से ही दे दिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह वाजिब जवाब है कि पहले जितनी कैपेसिटी अब भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिल्ट जरूर आ गया है पर पानी का जितना भराव आज है उसे रोकने की अभी भी गुंजाइश है इसलिये और कुछ करने की अभी वहां आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

श्री रामकरणसिंह : पानी काफी वेस्ट चला जाता है, क्या यह मालूम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ा बहुत पानी तो सभी जगह जाता है ।

श्री रामकरणसिंह : पहले भी रिपोर्ट दी थी कि पानी काफी डाका (बाहर निकला) करता है और इस तरह काफी वेस्ट हो जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तालाब हैं वहां बहुत तो ऐसा होता ही है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि आपके पास सवाल का जवाब जो डिपार्टमेन्ट से लिख कर आता है वही यहां सुना देते हैं या आप स्वयं भी उसको देखते हैं और एग्ज़ामिन करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : लिखा हुआ भी आता है और हम भी उसको देखते हैं, सोचते हैं और अपनी अक्ल से भी काम लेते हैं ।

(हंसी)

पंचायतों के चुनाव, जिला गंगानगर

७६२. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में पंचायत के चुनाव कब हो रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इस हेतु वोटर लिस्ट प्रकाशित करवा दी है ?

(ग) क्या उक्त चुनाव हेतु पंचायत क्षेत्रों व वार्डों में भी तब्दीली की जावेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) अप्रेल १९५८ के पश्चात ज्यों-ज्यों पंचायतों की मियादें खत्म होंगी चुनाव कराये जावेंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यदि जनता की मांग हुई और उचित समझा गया तो कार्यवाही की जावेगी ।

श्री श्योपतसिंह : पहले सवाल का जवाब दुबारा दिया जावे, सुनाई नहीं दिया ।

श्री दौलतराम : अप्रेल १९५८ के पश्चात् ज्यों-ज्यों पंचायतों की मियादें खत्म होंगी, चुनाव करवाये जावेंगे ।

श्री चन्दनमल वैद : जनता की मांग आई है वहां चुनाव न कराने के लिये ?

श्री दौलतराम : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह : मियाद कब खत्म होगी ?

श्री दौलतराम : अप्रेल १९५८ तक कलेक्टर, गंगानगर ने चुनाव कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और इसलिये तब तक के लिये चुनाव नहीं हो सकते हैं ।

श्रीमती सतवन्तकौर : वोट किस तरह से लिये जावेंगे ?

श्री दौलतराम : हाथ उठाकर ।

श्रीमती सतवन्तकौर : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि हाथ खड़ा करने से जनता को बड़ी कठिनाइयां होती हैं और बड़ा वैर-विरोध बढ़ता है ?

श्री दौलतराम : हां, सरकार के ध्यान में है ।

श्री बहादुरसिंह : क्या सरकार इस चुनाव पद्धति को बदलने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : इसे एग्ज़ामिन किया जा रहा है। जनता की कई जगहों से इसकी डिमान्ड भी आ रही है। इसमें कितना खर्चा होगा, किस तरह से इसे किया जा सकेगा इन सब बातों को एग्ज़ामिन किया जा रहा है और जब तक एग्ज़ामिन करके कोई परिवर्तन इस प्रणाली में नहीं किया जाता तब तक यही प्रणाली चालू है।

श्री बहादुरसिंह : यह खर्चे का नहीं, व्यवस्था का सवाल है। मन मुटाव इससे बढ़ता है और इससे शान्ति-व्यवस्था भंग होती रहती है जिस पर ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो खर्चे की दृष्टि से तो चाहे इस हैड में हो या उस हैड में किसी भी हैड में सरकार का तो पैसा खर्च हो ही जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ तो यह बात ठीक है। लोगों की डिमान्ड भी आई है। फिर तो वह एक तरह से जनरल इलेक्शन हो जायेगा, तो इसे तो एग्ज़ामिन करना पड़ेगा।

श्री पी० के० चौधरी : आपका विचार करना कब पूरा होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह भी हो सकता है कि कुछ टाइम लगे इसमें।

श्री बहादुरसिंह : जैसा म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में होता है वैसे कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां तो मार्किंग सिस्टम से होता है। गांवों में यह सिस्टम चलना डाउटफुल है। इसलिये यह एग्ज़ामिन किया जा रहा है। सारी बातों को सोच कर कोई तै किया जावेगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि सीक्रेट बैलट से हो, पर सोचना सब पड़ेगा।

श्री बहादुरसिंह : मार्किंग सिस्टम तो जनरल इलेक्शन में भी शुरू हो गया है, इसलिए सवाल नहीं उठता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनरल इलेक्शन में वह पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। पंजाब में यह ६० प्रतिशत कामयाब हुआ और ४० प्रतिशत फेल्योर रहा।

श्रीमती सतवंत कौर : सूची कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूची के बारे में जो हमारी हर साल इलेक्शन डिपार्टमेन्ट की सूची बनती है उसके बारे में यह हिदायत की गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर उससे गाइडेन्स लें; लेकिन सूची के मुताबिक वह बाइन्डिंग नहीं है। अगर सूची में किसी के नाम नहीं हैं तो वह भी आ सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल : वोटर नहीं और दूसरी जगह से आकर भी तो अपना वोट दे सकते हैं और जो उस क्षेत्र का रहने वाला न हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए मैंने अर्ज किया कि रिटर्निंग ऑफिसर उस लिस्ट से केवल गाइडेन्स ही लेंगे; पांच-दस आ जायें तो कोई ऐसी बात नहीं है। वह उस लिस्ट से बाइन्डिंग नहीं हैं, लेकिन उनको गाइडेन्स के लिए हिदायत दी गई है कि वे इससे गाइडेन्स लेंगे।

श्री गिरधारीलाल : इस चुनाव-पद्धति को बदलने का सरकार कब से विचार कर रही है ?

Page No.18

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी थोड़े ही दिनों से विचार शुरू हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल : कितने महीने हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

कोटपुतली से बानसूर, बहरोड़, डाबला सड़क

७३३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) १३४ : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटपुतली से बानसुर, बहरोड़ और डाबला इन चारों सड़कों पर आरम्भ में कब मोटर सर्विस गाड़ी चालू हुई तथा उनमें सबसे पुराना रूट कौन सा है ?

(२) इन रूटों में से अधिक गाड़ी किस मार्ग पर चलती है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) राजस्थान बनने से पहले से ही कोटपुतली, डाबला व कोटपुतली अटेली मार्गों पर गाड़ियां चल रही हैं ।

(२) यातायात विभाग की स्थापना के पश्चात् कोटपुतली डाबला रूट पर १९५१ में तथा कोटपुतली अटेली रूट पर १९५३ में पर्मिट दिये गये ।

(३) कोटपुतली डाबला रूट ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा ।

बांसवाड़ा जिले में लेडी डॉक्टर का अभाव

७३४. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) बांसवाड़ा जिले में काफी अर्से से एक भी लेडी डॉक्टर क्यों नहीं है ? मिसेज़ जकारिया का बांसवाड़ा के हॉस्पिटल से बिना किसी लेडी डॉक्टर को भेजे क्यों स्थानान्तरण किया गया ?

(२) वहां अब तक भी लेडी डॉक्टर नहीं भेजने का क्या कारण है ?

(३) परतापपुर गढ़ी डिस्पेन्सरी के लिए ट्रेन्ड नर्स व एक दाई की पोस्ट होते हुए भी अब तक क्यों नहीं भेजी गई ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) बांसवाड़ा में लेडी डॉक्टर करीब करीब दो महीने से नहीं है । लेडी डॉक्टर मिसेज़ जकारिया का स्थानान्तरण आदेश दिनांक १-१०-५७ को जारी किया गया था तथा साथ ही दूसरी लेडी डॉक्टर मानशी सिन्हा की नियुक्ति उसके स्थान पर की गई थी । डॉक्टर मानशी सिन्हा ने कई दिनों तक अपनी ड्यूटी नहीं सम्हाली, तब अन्त में दिसम्बर मास में ता० १८-२-५७ को डॉ० जकारिया के विशेष अनुरोध पर उसे रिलीव कर दिया गया ।

(२) नई डॉक्टरनी, जिसकी नियुक्ति बांसवाड़ा के लिए की गई थी उसके वहां पर ड्युटी सम्हालने की इन्तजारी थी इसलिए दूसरी लेडी डॉक्टर वहां नहीं भेजी जा सकी ।

(३) परतापपुर गढ़ी डिस्पेन्सरी में एक नर्स दाई की पोस्ट तो स्वीकृत है लेकिन नर्स दाइयों के अभाव के कारण अभी तक कोई भी नहीं भेजी जा सकी । उपलब्ध होने पर भेज दी जायेगी ।

Page No.19

श्री नाथूराम : जब एक लेडी डॉक्टर का तबादला हो जाता है तो दूसरे डॉक्टर के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

श्री भीखाभाई : शीघ्र व्यवस्था की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रसूति गृह है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले उनको पूछने दीजिए।

श्री नाथूराम : परतापपुर में इस वर्ष प्रसूतिगृह की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री भीखाभाई : मकान बनाकर देने का पहला काम तो वहां के लोगों का है, लेकिन जब प्राइमरी हैल्थ सेन्टर वहां पर कायम हो जायेगा तो वहां पर प्रसूति गृह भी हो जायेगा।

श्री मोगजी भाई : बांसवाड़ा में कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : बांसवाड़ा में जहां जिला है वहां तो है ही और दूसरी जगह पर; जैसे कुशलगढ़ है और जो ब्लॉक एरिया के अन्तर्गत आ गया है, इसलिए वहां भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होगा; उसके साथ ही मैटर्निटी पर्पजेज़ की भी सुविधा होगी।

श्री मोगजी भाई : बांसवाड़ा में प्रसूति गृह का बोर्ड लगा हुआ है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह जो प्रसूति गृह का प्रश्न है, क्या यह सरकार का उत्तरदायी पूर्ण विषय है ?

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तरदायित्व है इसमें।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में डॉक्टर और दवाइयों के अभाव में अस्पताल सारा मुर्दा बना जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी लेडी डॉक्टर दो महीने से ही गई है। दूसरे डॉक्टर के लिए ऑर्डर किये थे लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है। फिर दूसरे डॉक्टर के लिए ऑर्डर अभी १७ मार्च, १९५८ को हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : डॉक्टर ने ड्युटी ज्वाइन नहीं की तो क्या जो ऑर्डर होने के बाद भी ड्युटी ज्वाइन नहीं करता उस पर कोई एक्शन लेते हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह छुट्टी पर चली गई इसलिए ज्वाइन नहीं की ड्यूटी।

श्री सोहनलाल भटनागर : लेडी डॉक्टरों का जो स्थानान्तरण किया जाता है वह उनकी सुविधा के अनुसार करते हैं या लोगों की सहूलियतों के अनुसार ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों ही बातों का ख्याल रखा जाता है।

श्री मोगजी भाई : बांसवाड़ा में डॉक्टर और दवाइयों का अभाव है। इससे लोगों को असुविधा होती है, इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर सर्जिकल कैम्प कायम किया गया था जिसमें राजस्थान के सभी बड़े बड़े डॉक्टर थे।

प्रश्न संख्या ७३५.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

चिकित्सालय, नौहर

७३६. श्री रामकिशन (नौहर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः

(क) क्या यह सच है कि नौहर, जिला गंगानगर के अस्पताल में कोई लेडी डॉक्टर न होने में जनता को काफी असुविधा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त अस्पताल का भवन भी पूरा नहीं है और न वहां दवाइयों का ही पूरा इन्तजाम है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कदम उठा रही है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) नौहर जिला गंगानगर की डिस्पेन्सरी के लिए लेडी डॉक्टर की पोस्ट बजट में स्वीकृत नहीं है। जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है क्योंकि इस डिस्पेन्सरी में एक मिडवाइफ की पोस्ट स्वीकृत है जो वहां कार्य कर रही है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

किशनगढ़ से बड़ा उदयपुर तक डामर रोड़

७३७. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किशनगढ़ तहसील में किशनगढ़ से बड़ा उदयपुर तक की डामर रोड् को बड़ा उदयपुर से श्री नगर तक जो छः मील है, मिला देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) अगर हां, तो कब तक इसका काम चालू हो जायेगा ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) कार्य चालू है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : कहां से कहां तक कार्य चालू है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (अश्रव्य)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं समझता हूं कि वहां कोई काम चालू नहीं है, मैंने खुद जाकर देखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने अर्से पहले जाकर देखा आपने ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अभी एक महीने पहिले।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो उसके बाद ही चालू हुआ है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ७३८.

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल।

चित्तौड़गढ़ जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

७३९. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान निर्माण से आज तक कितनी पक्की सड़कें बनाई गई हैं ?

(२) सरकार यहां की सड़कें पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए क्या विचार कर रही है ?

(३) आजकल किन किन सड़कों का कार्य चालू है ।

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) १२

(२) योजनानुसार सड़कें बनाई जा रही हैं ।

(३) बूंदी चित्तौड़ रोड २० प्रतिशत कार्य हुआ है ।

चित्तौड़ कपासिन रोड २५ प्रतिशत कार्य हुआ है ।

छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी ७५ प्रतिशत कार्य हुआ हैं ।

मंगलवार और लसरवान एप्रोच रोड ६० प्रतिशत कार्य हुआ है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या यह कार्य-गति संतोषप्रद है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से जो टाइम इसमें दिया हुआ है शिड्यूल के अनुसार ही कार्य चल रहा है ।

प्रश्न संख्या ७४०.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज पटेल ।

कस्बा बामनवास की सड़कों की मरम्मत

७४१. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि कस्बा बामनवास बरसात में टापू की तरह हो जाता है व सड़क पानी में डूब जाती है ?

(२) यदि हां, तो इस प्रकार की सड़क को ठीक कराने के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक यह स्थिति ठीक कराई जावेगी ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां ।

(२) सर्वे कराई जा रही है । धनराशि प्राप्त होने पर ।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल ।

गंगापुर में सड़कों का अभाव

७४२. श्री पृथ्वीराज पटेल, (श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल की अनुपस्थिति में) : क्या मन्त्री वन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) करौलीरेंज द्वारा गंगापुर में लकड़ी बिल्कुल क्यों नहीं आने दी जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि करौली से जो लकड़ी खरीदकर गंगापुर लाई जाती है वन विभाग द्वारा वह नहीं लाने दी जाती है ?

(३) यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जावेगी ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) यह सही नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जांच करा ली गई है ।

Page No.22

एक्साइज़ इन्सपेक्टर पर रिश्वत के आरोप

७०२. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या श्री देवीलाल नामक एक्साइज़ विभाग के इन्सपेक्टर को रिश्वत लेने के अपराध में पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था ?

(२) यदि हां, तो कब ?

(३) क्या उस व्यक्ति का चालान हुआ और नहीं तो क्यों नहीं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(१) जी हां ।

(२) १ फरवरी, १९५६ को ।

(३) चालान पेश नहीं किया गया क्योंकि मुकद्दमा चलाने की मन्जूरी कमिश्नर एक्साइज़ व टैक्सेशन से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री **तनसिंह** : यह मांग कब की गई थी मन्जूरी की ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : डेट तो आपको उसकी मैं अर्ज नहीं कर सकता, शुरू में लिखा गया था । डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी खुद उन्होंने की है ।

श्री **भैरोंसिंह** : मन्जूरी इसलिए नहीं दी जा सकी कि श्री देवीलाल, श्री अमृत लाल यादव के रिश्तेदार हैं ।

श्री **रामकिशोर व्यास** : यह मेरे ध्यान में नहीं है कि किस वजह से नहीं दी जा रही है, लेकिन कागज जरूर मांगे थे ।

श्री **भैरोंसिंह** : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने कब लिखा है और कमिश्नर कस्टम्स एन्ड एक्साइज़ से क्या उत्तर आया ।

श्री **रामकिशोर व्यास** : जवाब नहीं आया, उनसे फाइल मांगी गई है देखने के लिए ।

श्री **भैरोंसिंह** : फाइल मांगी गई है तो वह फाइल क्यों नहीं भेज रहे हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने कागजात मांगे हैं । कस्टम्स एन्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने उसकी इन्क्वायरी की है । उनसे पूरे कागजात देखने के लिए मांगे हैं ।

श्री **भैरोंसिंह** : कस्टम्स एण्ड एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने अभी तक वह फाइल एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में भेजने में शिथिलता बताई है, इसका क्या कारण है ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : अभी कागजात आये नहीं हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : कितनी दफे रिमाइन्डर भेजे हैं । जबरदस्ती नहीं है...

श्री **रामकिशोर व्यास** : जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, चिट्ठी लिखी है ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या इस संबंध में सरकार ने जांच की है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में फाइल भेजने में क्यों देरी हुई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : फाइल मांगी गई है ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या श्री देवीलाल अन्डर सस्पेन्शन हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : सस्पेन्ड किया गया था, आजकल हैं या नहीं इसका मुझे पता नहीं है ?

Page No.23

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह पूछा है कि आज-कल अन्डर सस्पेन्शन हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं है कि आज-कल हैं या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको न तो सस्पेन्ड किया गया है और न आज-कल अन्डर सस्पेन्शन में हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं, आपने जो इत्तिला दी है वह ज्यादा सही होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक अपराधी के लिए पूछ रहा हूं और सरकार को इत्तिला देनी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : वह केस कस्टम्स एन्ड एक्साइज़ डिपार्टमेन्ट में पेंडिंग है, यह उनकी जानकारी में हो सकता है। आपको वहां से इत्तिला लेनी चाहिए। मेरी जानकारी में इतना है कि कागजात मांगे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : सस्पेन्ड हुआ था एक दफा आपने जानकारी दी थी हाउस में निश्चित्।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में पिछले अधिवेशन में कहा गया था कि सस्पेन्ड किया गया है। मैं कहता हूं कि उनको रिइन्स्टेट कर दिया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : रिइन्स्टेट करने का मतलब है कि वे सस्पेन्ड हुए थे।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हुई तो रिइन्स्टेट क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जिस महकमे के मुलाजिम हैं उन्होंने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की है। हमने कागजात मांगे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ रिश्वत का कोई केस रजिस्टर हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : रजिस्टर हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : कब ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब कि वह ऑफेन्स कमिट किया तो रजिस्टर हुआ लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना प्रोसीक्युशन नहीं हो सकता इसलिए वह मुकद्दमा प्रोसीक्यूट नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में तफतीश कौन कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंट।

श्री भैरोंसिंह : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के पास में वह तफतीश है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त में कोई तफतीश नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मामला रजिस्टर हुआ है, चालान नहीं दिया है तो क्या यह मामला अन्डर इन्वेस्टीगेशन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मामला डिपार्टमेंट में है।

श्री तनसिंह : आपने प्रोसीक्यूशन के लिए तो इजाजत मांगी, लेकिन इन्वेस्टीगेशन के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टीगेशन तो आप कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : (अश्रव्य) मगर बाद में चालान करने के लिए मन्जूरी चाहते हैं। यह कायदा है कि अगर महकमे की मन्जूरी नहीं आये तो चालान नहीं कर सकते हैं।

Page No.24

श्री तनसिंह : इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट कर लिया है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट है।

श्री भैरोंसिंह : उस इन्वेस्टीगेशन में प्राइमाफेसी फाइन्डिंग्ज़ इस तरह की मिल गईं कि उनके खिलाफ रिश्वत का आरोप होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब सबूत मिल चुका है तो क्या सरकार ने ऐसा लिखा है कि इस वक्त उसको रिइन्स्टेट नहीं किया जाय और पुलिस के हवाले कर दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : चालान करने के लिए लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि आपके लिखने के बावजूद भी उसको रिइन्स्टेट कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिइन्स्टेट करने की सूचना आपसे दर्याफ्त हुई है। मुझे मालूम नहीं है।

श्री तनसिंह : अब क्या किया जा रहा है ? क्या आप रिमाइन्डर दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : फाइल कम्प्लीट मांगी है। दुबारा लिखा गया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या कस्टम्स एन्ड एक्साइज़ विभाग राजस्थान सरकार के अन्डर में है या भारत सरकार के अन्डर में ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस डिपार्टमेंन्ट के अन्डर में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

कृषि फार्म

७७५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा कितने कृषि फार्म चलाये जाते हैं और वे कहां-कहां हैं ?

(२) सन् ५०–५१ से अब तक उपरोक्त फार्मों पर कितना रुपया खर्च किया गया तथा कितना लाभ अथवा घाटा रहा ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) फार्मों की तालिकायें संलग्न हैं।

संलग्न तालिका में आय व व्यय की रकम सालवार दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)।

श्री तनसिंह : यह सभी कृषि फार्म घाटे में क्यों चलते हैं और बहुत ज्यादा घाटे में क्यों चलते हैं ?

श्री दौलतराम : सभी के सभी घाटे में नहीं चल रहे हैं; लेकिन घाटे में चलने का कारण यह है कि फार्म पर दूसरे का भी काम होता है। एक तो नये-नये प्रयोग होते हैं, और दूसरे बीज तैयार करते हैं। इसलिये वह व्यापारिक फार्म की तरह से काम नहीं कर सकते हैं। उनमें हमको प्रयोग में काफी खर्चा उठाना पड़ता है।

श्री तनसिंह : यह जो बिलाड़ा का फार्म है, जो कि कई वर्षों से रन कर रहा है जो कि हमेशा ईल्ड देता है और आमदनी का जरिया है, उसमें ५६–५७ में बिल्कुल आमदनी क्यों नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा: इसका कारण अभी मालूम नहीं है। आप अलग से सवाल पूछ लें, उसका उत्तर मालूम करके दे दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सवाल पूछने की बात नहीं है। सवाल यह पूछा गया है कि सरकार उसकी जानकारी दे कि उस घाटे का आधार क्या है ?

श्री नाथराम मिर्धा : जानकारी देने का मौका नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह : इसी क्वेश्चन में सरकार के पास अगर अपर्याप्त बातें हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरी बार जवाब दे सकते हैं इस सदन के अन्दर।

श्री तनसिंह : यह बड़ी लम्बी चौड़ी तालिका है। बिलाड़ा में पिछले साल का ५६-५७ का खर्चा दिया हुआ है और आमदनी के कॉलम में निल लिखा हुआ है। उसके ऊपर सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहते हैं तो यह होता है कि इसका जवाब इस वक्त में तैयार नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : What are the reasons for the Demonstration Farms running in loss ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये फार्म्स तो आम तौर से कई घाटे में चलते हैं। यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में डिमान्स्ट्रेशन फार्म्स होते हैं या एक्सपेरीमेन्टल फार्म्स होते हैं उनके अन्दर भी घाटा होता है।

श्री पी० के० चौधरी : डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स एन्ड नॉट एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स जो राजस्थान में हैं वे लॉस के अन्दर क्यों रन करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : These Farms are not made for private purposes......

उनमें डिमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेन्ट्स के कारण खर्चा कई दफे ज्यादा होता है आमदनी के कम्पेरिज़न में।

श्री पी० के० चौधरी : मैं सवाल डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स के लिए पूछ रहा हूं न कि एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स के लिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने दोनों के लिए कहा था।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने खाली डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स के लिए कहा है। जब डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स में नुकसान होता है तो फिर डिमोन्स्ट्रेशन का पर्पज़ ही क्या ? डिमोन्स्ट्रेशन फार्म्स में नुकसान होता है तो फिर आप किसानों को क्या बतायेंगे और उनको कौन एडॉप्ट करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खर्चा करके डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं और किसानों का खर्चे से क्या सम्बन्ध है। किसानों को बात सिखाना चाहते हैं कि इस तरह से करना चाहिए। सभी जगह नुकसान में चलते हों, यह बात नहीं है।

श्री तनसिंह : सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की लिस्ट जो एपेन्डिक्स बी. में दी हुई है इसमें आपने सब खर्चा ही खर्चा बताया है, आमदनी कुछ नहीं है, तो क्या यह समझा जाय कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में खर्चा ही खर्चा होता है और वह सीड मुफ्त में बांटे जाते हैं और पैसा वसूल नहीं किया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी बात नहीं है। सीड फार्म अभी चालू किए गए हैं। कुछ लास्ट इधर में चालू किए गए थे जिसमें अभी खेत तैयार हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, किसी में बैल खरीदे हैं और

Page No.26

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किसी के ऊपर ट्रैक्टर खरीदे हैं। रियल काम अगली सीज़न में चालू होगा और उसमें सीड की क्वालिटी, जिसको हम एप्रोप्रियेट समझते हैं, राजस्थान के लिए उनको उनमें मल्टीप्लाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

सड़क निर्माण, नीम का थाना

७०७. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीम का थाना रेल्वे स्टेशन से रेस्ट हाउस तक की डामर रोड का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है इसका क्या कारण है ?

(ख) अब कब तक काम चालू होने की सम्भावना है तथा कितने रुपये के व्यय का अनुमान है ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) टेन्डर कई बार आमन्त्रित किये गये, किन्तु किसी ठेकेदार ने नहीं दिया।

(ख) टेन्डर पुनः आमन्त्रित किए गए हैं तो आशा है अप्रेल के बाद। १६०,४,५ रु.।

नगरपालिका, बाड़मेर के लिए महिला सदस्य का मनोनीत किया जाना

७०८ **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर की वर्तमान नगरपालिका में महिला सदस्य की जगह सरकार ने किसका नाम मनोनीत होना घोषित किया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सदस्या के स्थान पर बाद में किसी और का नाम सरकार ने घोषित किया ?

(३) पूर्ववर्ती सदस्या को हटा कर किसी और को मनोनीत करने के क्या कारण हैं ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) श्रीमती रुक्मिणी देवी।

(२) जी हां। श्रीमती रुक्मिणी देवी के बारे में यह शिकायत मिली कि पहले जब वह बोर्ड की सदस्या थीं तब अनुपस्थित रहती थीं इसलिए लोगों ने अनुपस्थित रहने की शिकायत की थी।

श्री तनसिंह : यह शिकायत की गई कि यह सदस्या अनुपस्थित रहती थीं; यह शिकायत कब की गई, नोमिशन के पहले की गई या बाद में की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाद में की गई।

श्री तनसिंह : किसकी तरफ से की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनता की ओर से की गई।

श्री श्रीभानसिंह : यह देखा गया कि मीटिंग अटेन्ड नहीं की गई तो क्या वहां पर अटेन्डेन्स रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रजिस्टर मेंटेन होता था।

श्री श्रीभानसिंह : जब वह पहले एब्सेन्ट रहीं तब क्यों नहीं उनको हटाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई जरूरी थोड़े ही था कि ४ महीनों तक वह लगातार एब्सेन्ट रहेंगी ही।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से नोटिस दिया गया गया था कि उनको लगातार गैर हाजरी के कारण तुमको पृथक किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनका नाम गजट में निकला नहीं था इसलिए उनको पहले ही पृथक कर दिया ।

श्री तनसिंह : आप कहते हैं कि नाम गजट में नहीं निकला था, यह सही नहीं है । नाम अगर गजट में नहीं निकला तो उन्होंने ओथ कैसे ले ली और कार्यवाही में भाग कैसे लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जरूरी नहीं है कि गजट में नाम निकलने पर ही ओथ ली जाय । नाम गजट में निकले बिना ही ओथ हो जाती है । इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट से फैसला हो चुका है । पहले भी ओथ हो जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको नोमिनेट करने से पहले कलेक्टर बाड़मेर की राय ली गई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे अब भी सदस्या हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलेक्टर से पूछा गया था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर ने जो पेनल ऑफ नेम्स भेजा था उसमें से ही इनको नियुक्त किया गया था ।

श्री तनसिंह : क्या आपने फरमाया कि वही रुक्मणी देवी अब भी मेम्बर हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही रुक्मणी देवी अब भी मेम्बर हैं ।

श्री तनसिंह : क्या उनको पहले हटाया गया और फिर दुबारा नोमिनेट कर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पहले जिसको नोमिनेट कर दिया गया है उसको नहीं हटाया जाय ।

श्री तनसिंह : क्या मन्त्री जी ऐसी गलती करने के आदी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आदी होने का इसमें कोई सवाल नहीं है, यह गवर्नमेण्ट का एक्सक्ल्युज़िव राइट है । गजट में नाम नहीं आया था, उसको पृथक कर दिया । लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह पॉवर गवर्नमेण्ट को एक बार ही एक्सर्साइज़ करनी चाहिये ।

श्री श्योपतसिंह : क्या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नोमिनेशन के बारे में भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से कहां गंगानगर पहुंच गये ?

प्रश्न समाप्त हुए । अब जन लेखा तथा प्राक्कलन समिति के निर्माण के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री होतीराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष : Please don't raise it on the floor of the House like this without previous notice to me.

१२. ५ म० प०

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों के निर्वाचन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) :

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय).

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७७ उपनियम (ए) में निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से जनलेखा समिति ५८–५६ के लिए १० सदस्य निर्वाचित किये जावें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली के नियम १७८ उपनियम (२) के द्वारा निर्धारित रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति १६५८–५६ के लिए १५ सदस्य निर्वाचित किये जायं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

१२.७ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

बीकानेर शहर में ऊन के भावों में गिरावट

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल का एक स्थगन प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है:

"बीकानेर शहर के एक मात्र उद्योग ऊन के भावों में अकस्मात् भारी गिरावट आने से बीकानेर के हजारों मजदूर भूखों मरने की स्थिति तक पहुंच गये हैं, इस अहम विषय पर विचार करने के हेतु सदन की साधारण कार्यवाही स्थगित की जाय।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह किसी निश्चित घटना के विषय में नहीं है जिससे कि सदन साधारण कार्यवाही को स्थगित कर इस पर विचार करें। माननीय डिप्टी मिनिस्टर, उद्योग, इस बारे में एक वक्तव्य देंगे तारीख २५-३-५८ को।

अब मांग संख्या ३६ पर विचार और मतदान होगा।

१२.८ म० प०

अनुदान की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ३६–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी–लेखा

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४५,४३,००० रुपयों तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

श्री चन्दनमल वेद प्रस्ताव करेंगे:–

६७. "मांग संख्या ३६–के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों में पूंजी लेखा में से १ रु० कम कर दिया जाये (चूरू में जिलाधीश के कार्यालय की इमारत न बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये।"

(श्री चन्दनमल वेद)

६८. "मांग संख्या ३६ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व-लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों में पूंजी लेखा में से १ रु० कम कर दिया जाये (सुजानगढ़ से राजगढ़ तक की सड़क की खराब हालत पर विचार करने के लिए)"

श्री पी. के. चौधरी :

69. "That the Demand No. xxxvi Major Head 81-Capital Accounts of Civil work be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the department to build the Block Headquarters of the Jotner block at Phulera)."

211. "That Demand No, xxxvi, Major Head-81 Capital Account of Civil works be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Govt.'s failure to construct a feeder road connecting the village Baghewas with Chomu-Renwal Road)."

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

७०. "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व–लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य में १०० रु० की कटौती की जावे (सीकर जिले के पुलिस विभाग के मकानों की कमी पर विचार करने के लिए)।"

७६. "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व–लेखे से बाहर पूंजी लेखा में १००) की कटौती की जावे (ठेकेदारी प्रथा पर विचार करने के लिये)।"

डॉ० चन्द्रकला :

७१. "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व–लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा में १ रु० की कटौती की जाय (शिक्षण संस्थाओं के निर्माण के अन्तर्गत प्राईमरी और मिडिल स्कूलों के लिए भी मकान की सुविधा देने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के हेतु)।"

श्री भीमसेन :

72. "That Demand No. 36, Major Head 81-Capital Account of Civil works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100/- (To discuss construction of Sagar-Rirmalsar and Sithal-nanasar link roads and other important roads in Bikaner District)."

श्री बहादुरसिंह :

७३. "मांग संख्या ३६, के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व–लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा में से १००) कम कर दिये जावें (धौलपुर नगर जल वितरण योजना की वृद्धि के लिए नाली निर्माण पर विचार करने के लिए)।"

श्री सोहनलाल :

74. "That the demand No. xxxvi, Major head 81-Capital Account of Civil work outside the Revenue Account be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Goverment to complete Debari-kurabad Road in Udaipur District)."

श्री मनोहर कोठारी :

75. "That the demand No. xxxvi, Major Head 81-Capital Accounts of Civil works outside the Revenue Account be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of Government

Page No.30

(श्री मनोहर कोठारी)

in works relating to Community development projects in Udaipur Division)."

श्री शंकरलाल :

२०३. "अनुदान संख्या ३६ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण में से एक रुपया कम कर दिया जाय (रायपुर तहसील, जिला पाली के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व मरम्मत की समस्या पर विचार करने के लिये)।"

श्री मूलचन्द डागा :

२०४. "अनुदान सं० ३६ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों में पूंजी लेखा में से १) रु० कम कर दिया जाय (पाली से मंडिया गिरादारा रूपावास होती हुई भावरी तक सड़क निर्माण करने पर विचार करने के लिए)।"

२०५. "अनुदान संख्या ३६ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों में पूंजी लेखा में से १) कम कर दिया जाय (पाली में गर्ल्स स्कूल के निर्माण पर विचार करने के लिए)।"

श्री आबिद अली :

206. "That the Demand No. 36 Major head 81-Capital Account of Civil works out side the Revenue Account be reduced by Rs. 1/- (To discuss the construction of a road from Saportra to Sawai Madhopur and other roads in district Sawai Madhopur)."

श्री रामेश्वरदयाल :

207. "That the Demand No. 36 Major Head 81-Capital Account of Civil works outside Revenue Account be reduced by Rs. 100/- (To discuss the construction of Rangpur Road in Tehsil Ladpura, Kota District)."

208. "That demand No. 36 Major Head 81-Capital Account of civil works outside Revenue Account be reduced be Rs. 100/- (To discuss the inability of the Govt. to construct buildings for Primary Schools in Kota City)."

209. "That the Demand No. 36 Major head 81-Capital Account of Civil works outside Revenue account be reduced by Rs. 100/- (To discuss the construction of Mala Road in Kota City)."

210. "That Demand No. 36 Major head 81-Capital Accountof Civil works outside Revenue account be reduced by Rs. 100/- (To discuss the unsatisfactory conditions of roads in Kota City)."

श्री रामचन्द्र :

१९७. "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा में से १००) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में सड़कों का बड़ा अभाव है, पर विचार करने के लिये)।"

श्री मोहरसिंह :

१९८. "मांग संख्या ३६ मुख्य, शीर्षक ८१–राजस्व लेखे से बाहर निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा में से १) कम कर दिया जावे (चूरू जिलाधीश के कार्यालय की इमारत के न बनाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)।"

१९९ "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व–लेखे से बाहर निर्माण कार्यों का पूंजी

(श्री मोहरसिंह)

लेखा में से १) कम कर दिया जावे (राजगढ़, जिला चूरू में पशु चिकित्सालय के मकान न बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए) ।"

२००. "मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर निर्माण कार्यों में पूंजी लेखा में से १) रु० कम कर दिया जाय (तारानगर-साहवा सड़क तथा राजगढ़ से सांखू जाने वाली सड़कों की खराब हालत पर विचार करने के लिए) ।"

श्री अनूपसिंह :

201. "That the Demand No. 36, Major Head 81-Civil works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. to link, by a road, the village of Samdari and Karmawas in Tehsil Siwana, District Barmer)."

202. "That the Demand No. 36, Major head 81-Capital Account of civil works outside the Revenue account be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. to construct even a single road to pass through the area of Giran Police station in District Barmer)."

श्री चंदनमल वेद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष, इस अनुदान पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, डिमान्ड नं० ३६ मेजर हैड ८१–केपिटल अकाउन्ट ऑफ सिविल वर्क्स आउट साइड दि रेवेन्यू अकाउन्ट के अन्तर्गत दो तरह के खर्चों का समावेश किया गया है, एक है ओरीजिनल बिल्डिंग्ज़ जिसमें फोरेस्ट, जी. ए. डी., शिक्षा, मेडिकल आदि विभागों की इमारतों में जो खर्चा होगा उसका समावेश है ,उसमें २ करोड़ ६ लाख ४२ हजार तक का-खर्चा हो सकता है । दूसरा है ओरिजनल वर्क्स कॉमनीकेशन्स इसमें १ करोड़ ६० लाख रुपयों के खर्चे का अनुमान है और दूसरे मामलों में ७६ लाख १ हजार रुपयों के खर्चे का अनुमान है । इस तरह से कुल मिला कर ४ करोड़ ४५ हजार रुपयों का अनुमानित खर्चा रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों कटौती प्रस्ताव चूरू जिले से संबंधित हैं इसलिये यह जरूरी है कि इस पर बोलूं उससे पहले आपका ध्यान आकर्षित करूं कि चूरू जिले के लिये कितने रुपये खर्च होंगे । इसका जो विवरण दिया है वह ४५ पेज में है । वे ४५ पेजेज़ अच्छी तरह से पढ़े हैं । उसमें जहां तक मुझे पता लगा है चूरू जिले में ४ करोड़ ४५ लाख ४३ हजार रुपयों में से जो खर्चा होगा वह १ लाख ७२ हजार रुपयों का खर्चा चूरू जिले पर करने की सरकार की मंशा है और उसके अलावा एक सड़क और बनाने की मंशा है, वह सड़क है पिलानी से राजगढ़ तक जिसमें ३ लाख रुपये खर्च होंगे । इस सड़क की आज्ञा झुन्झुनू में और आधा चूरू में मान लूं तो १॥ लाख रुपये चूरू जिले में और खर्च होते हैं । इस तरह ३ लाख २२ हजार रुपयों का खर्चा चूरू जिले पर इस अनुदान की तहत करने का विचार है ।

अब मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर आता हूं । माननीय अध्यक्ष, सन् ४८–४९ में भारत सरकार ने बीकानेर से राजगढ़ तक एक सड़क बनाई थी और उस सड़क को बनाने के बाद उन्होंने राजस्थान सरकार को सौंप दी । लेकिन दुःख इस बात का है कि राजस्थान सरकार ने वह सड़क बनाई नहीं लेकिन उस पर कोई रकम अपने अंडर में आने के बाद

(श्री चन्दनमल वेद)

खर्च नहीं की और जैसे जैसे वह सड़क टूटती जा रही है, उसके आस पास के गड्डों से बालू लाकर गड्डों में भर दी जाती है। यह बालू वर्षा में बह जाती है और गर्मी में जब हवा चलती है तो उड़ जाती है। इस प्रकार वर्षा में बहती जाती है और गर्मी में हवा से उड़जाती है और हमारे कर्मचारी फिर वहां पर बालूलाकर डालते जा रहे हैं। यह इस तरह की सड़क है जो पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति के समान है, जो अमेरिकाय ा रूस से जो व्यक्ति आवे उन्हें यह सड़क दिखा कर कहां जा सकता है कि एक हजार वर्ष पहले, दो हजार वर्ष पहले सड़क ऐसी होती थीं। यह सड़क इतनी खराब है कि यह चीज किसी से छिपी नहीं है, आम तौर पर जो गाड़ियां या ठेले वहां से जाते हैं, वे सड़क पर नहीं चलते हैं, बल्कि सड़क के अगल-बगल में चलते हैं और इस बात का सबूत यह है कि सड़क के दायें और बायें गाड़ियों के पहियों के काफी गहरे और चौड़े निशान बने हुए हैं। इससे मालूम होता है कि गाड़ियां चलाने वालों को यह डर होता है कि सड़क पर चलाने से कहीं गाड़ी खराब न हो जाय, कहीं पहिये में पंचर न हो जाय। इसीलिये लोग गाड़ियां दायें और बायें चलाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सड़क पर आज तक सरकार ने कितना कार्य किया है। पिछले पांच साल में कुल मिला कर १२ मील की लम्बाई पर, इस सड़क पर, डामर की गई है। यह सड़क सुजानगढ़ से राजगढ़ तक १२२ मील लम्बी है। मैं आपको बताऊं कि सुजानगढ़ से चांपर तक पांच मील सड़क पर डामर की गई है, रतनगढ़ के आस-पास पांच, छः मील तक डामर हुई है और सरदारशहर के पास आधे मील सड़क पर डामर की गई है, इस तरह से कुल मिला कर १२ मील सड़क पर डामर हुई है पांच साल के अन्दर और यही रफ्तार रही तो पूरी सड़क जो १२० मील लम्बी है, पर शायद डामर ५० साल में कर दी जायगी। मैं समझता हूं कि योजनाओं को देखते हुए जो सड़क, बनाई गई हैं, उन सबको देखते हुए इसकी रफ्तार धीमी नहीं है। ५० साल के अन्दर १२० लम्बी सड़क पर डामर हो जाय तो मैं समझता हूँ कम प्रशंसनीय बात नहीं होगी। करीब ५० साल इस सड़क पर डामर करने में लग जायेंगे। दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि चूरू जिले और बीकानेर जिले के करीब २० कस्बे और सैकड़ों गांवों से यह सड़क गुजरती है। यदि मैं यह कहूं कि चूरू जिले और बीकानेर जिले की यह सड़क लाइफ बेल्ट है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि यह सड़क ११ तहसीलों में से आठ तहसीलों को जोडती है इस वास्ते यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क अनायास ही, मुफ्त में सरकार को मिल गई है, लेकिन इसके प्रति बराबर लापरवाही और नेगलीजेन्स बर्ती जाती रही है और देख भाल नहीं की है। मुझे मालूम हुआ है कि एक बार इस तरह का ऑर्डर सरकार द्वारा पास हो गया कि इस सारी सड़क पर डामर कर दी जाय। लेकिन न मालूम किस कारण इसमें फिर से ढील छोड़ दी गई है और पिछले ५ सालों में केवल १२ मील लम्बी सड़क पर डामर की है।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं चूरू जिले के जिलाधीश के हैड क्वार्टर के सिल सिले में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब तहसीलों में हैडक्वार्टर बन रहे हैं और गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग्ज बन

(श्री चन्दनमल वेद)

रही हैं। हमारी भारत सरकार ने भी एक कमेटी नियुक्त करके राजस्थान सरकार को इस कार्य के लिये करोड़ों रुपया दिया है और कहा है कि राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्ज़ की कमी है, इसलिए बनाई जायं। राजस्थान सरकार ने वह रुपया भारत सरकार से ले लिया है लेकिन बावजूद इसके, कि बहुत सी जगहों में इमारत बनाई भी गई है, चूरू जिले के जिलाधीश के कार्यालय की बिल्डिंग नहीं बन पाई है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण हो सकता है ? अगर वहां बिल्डिंग बनाने की मन्शा नहीं है तो साफ कहें और ऐसी मन्शा नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि कम से कम चूरू जिले में वहां के जिलाधीश के कार्यालय की बिल्डिंग तो बनाई जाय। यह अच्छा नहीं है कि चूरू जिले के कलेक्टर कागज लिये लिये एक मकान से दूसरे मकान में मारे मारे फिरते रहें और उनके पास कागज रखने की जगह न हो। इस वास्ते सरकार को इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह आ सकता है कि माननीय मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण यह काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वे यह कहें कि हम दूसरे बहुत से कार्य कर रहे हैं, इस कारण चूरू में यह कार्य नहीं कर पाये हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि चूरू जिले में दूसरे बहुत से कार्य कर रहे हैं इसलिए अगर एक यह काम नहीं किया है तो उलाहना नहीं देना चाहिए। इसी वास्ते, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह ला चुका हूं कि चूरू जिले के लिए इस अनुदान के तहत, जो कि सबसे बड़ी योजना है और सबसे बड़ा अनुदान है, ३ लाख २२ हजार खर्च किया जायगा। जब कि दूसरे जिलों में, मैं एक दो जिलों के बारे में बताऊंगा, बाकी जिलों की तरफ ध्यान नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि इससे दूसरे माननीय सदस्य नाराज हो जायेंगे। पहले भी मेवाड़ का मैंने हवाला दिया था, उससे माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे सदस्यों को आपत्ति हुई और मुझे इस बात का उलाहना दिया गया कि मेवाड़ पिछड़ा हुआ इलाका है; वहां आदि जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, अगर उनके लिए कुछ खर्च करते हैं तो उसमें क्या एतराज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, अगर किसी जिले या किसी इलाके पर रुपया खर्च होता है तो उसमें मुझे एतराज नहीं, लेकिन चूरू जिले को निग्लेक्ट किया जाता है; उसकी अवहेलना की जाती है, इससे एतराज होता है और इसी एतराज के कारण मुझे कहना पड़ता है, न कि इस वास्ते कि दूसरे इलाकों से मुझे कोई डाह हो। इसलिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि चूरू जिले में कितना खर्चा होता है और दूसरी जगहों में कितना खर्चा कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूं कि यह इस वास्ते नहीं कि मुझे दूसरे जिलों से डाह हो; लेकिन इस वास्ते कि मैं आपके सामने कम्पेरेटिव बात रखना चाहता हूँ कि चूरू जिले में कितना खर्च हो रहा है और दूसरे जिलों में कितना खर्चा हो रहा है और इस प्रकार जो कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैंने मांग रखी है, वह कितनी जायज हो जाती है। इसलिए मैं दूसरे जिलों को न लेकर उस जिले को लेना चाहता हूँ जिस जिले से माननीय मुख्य मंत्रीजी आ रहे हैं और वह है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में इस अनुदान के तहत जो खर्चा होगा, वह उदयपुर डिवीज़न के नाम से दिखलाया गया

(श्री चन्दनमल वेद)

है। उदयपुर डिवीजन में डूंगरपुर जिला और उदयपुर जिला दोनों शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि उदयपुर डिवीजन में इस अनुदान के तहत ३४ लाख २५ हजार रुपया खर्च होगा, जब कि चूरू जिले में ३ लाख २२ हजार रुपया खर्चा होगा। यह ठीक है कि डूंगरपुर जिला और उदयपुर जिले में आबादी अधिक है लेकिन चूरू जिले की आबादी से डूंगरपुर और उदयपुर जिले की आबादी तीन गुनी है, इससे ज्यादा नहीं। चूरू जिले की आबादी ५ लाख २३ हजार है और इन दोनों जिलों की आबादी १५ लाख है। यदि इस खर्चे को इस प्रकार हम तीन गुना भी कर लें, तो वह करीब ६ लाख ६६ हजार होता है, लेकिन ६ लाख ६६ हजार और ३४ लाख २५ हजार में करीब करीब साढ़े तीन गुना फर्क है। इस प्रकार से डूंगरपुर और उदयपुर जिले और चूरू जिले में फर्क है। इसलिए मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि चूरू जिले की एतराज करने की बात ठीक है। माननीय अध्यक्ष, यदि दो तीन बातें और भी जोड़ दें तो भी जो खर्चा उदयपुर डिवीजन पर होता है वह दूना रह जाता है। एक बात तो यह कि उदयपुर शहर शानदार शहर है, इसलिए और रुपया जोड़ दें, दूसरे माननीय मुख्य मन्त्रीजी उस स्थान से आ रहे हैं इसलिए ३,२२ हजार रुपया जोड़ दें तो भी सारा खर्चा १६ लाख से ज्यादा नहीं आता है। लेकिन इस जिले पर ३४ लाख २५ हजार रुपया खर्च हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुए मन्त्री महोदय इस बात को महसूस करें कि जिन अभावों की तरफ मैं सदन का ध्यान खींच रहा हूं, वे जरूर हैं और इस बात को महसूस करें कि कैसे नेग्लिजेन्स से, लापरवाही से चूरू जिले के लिए इस मद में से बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि अगले साल खर्चा कम करेंगे, अगर मौजूदा साल की तरफ भी ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि मौजूदा साल में चूरू जिले के लिए ५ लाख ८१ हजार ६०० रुपया खर्च किया जा रहा है जब कि उदयपुर और डूंगरपुर जिले में इस अनुदान के तहत इस साल ४१ लाख ३८ हजार १०० रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस साल की बात ही नहीं, अगले साल की ही बात नहीं अगर कोशिश करके पिछले सालों का भी बजट उठा कर देखा जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल या आने वाले साल में हो नहीं, पिछले सालों में भी यही रवैया अपनाया गया है। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा मेहरबानी करके चूरू जिले पर आप दया कीजिये! चूरू जिले के लिए मैं बताना चाहता हूं, दृष्टान्त रखना चाहता हूं कि चूरू जिला आपके राजस्थान का अंग है, वह कोई पंजाब का या किसी दूसरे प्रान्त का अंग नहीं है। वह आपके प्रान्त का ही अंग है, इसवास्ते इस पर दया कीजिये और यह दया, अध्यक्ष महोदय, केवल अंकों के जादू करने से नहीं होगी, केवल यह बताने से नहीं होगी कि मैं चूरू जिले की शिकायत करूं और आप बीकानेर के आंकड़े दे दें। इससे चूरू जिले पर दया नहीं हो सकती, चूरू जिले में कार्य नहीं हो सकता। यह कार्य इस समकोण या दृष्टिकोण से होगा कि सारे जिलों की बराबर उन्नति करनी है, सब की ओर बराबर ध्यान देना है, तभी यह सम्भव हो सकेगा। इतना कहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दो कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय बहुत ही सहानु-

(श्री चन्दनमल वेद)

भूतिपूर्वक इन पर विचार करेंगे और आश्वासन देंगे कि अगले साल चूरू जिले में जिलाधीश के कार्यालय को बनवायेंगे और सुजानगढ़ से राजगढ़ तक की पुरानी सड़क जो कि बेमरम्मत पड़ी हुई है की मरम्मत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड पर मेरे दो कट मोशन्स है, मैं दोनों कट मोशन्स को एक ही साथ मूव करता हूं। एक कट मोशन नम्बर ६६ है जो जोबनेर हैड क्वार्टर्स ब्लॉक के बारे में है और दूसरा कट मोशन न० २११ है जो फीडर रोड आघावास को चौमू रेनवाल रोड के साथ जोड़ने के लिए है।

जोबनेर ब्लॉक हैड क्वार्टर्स के बारे में मैं जो कहना चाहता हूं वह यह नही है कि मैं चाहता हूं कि एक हैड क्वार्टर एक जगह से दूसरी जगह जाये। जोबनेर ब्लॉक हैड क्वार्टर सांभर में रखा गया है, ऐसा डिसीज़न सरकार की तरफ से लिया गया है। इस सिलसिले में एक बात की तरफ मैं मन्त्री महोदय की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि जोबनेर ब्लॉक हैड क्वार्टर बनाने का सवाल ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी के सामने, जिसमें पोपुलर रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ होते हैं, एम. एल. एज़. और सरपंच होते हैं, लाया गया था पिछले साल कि जोबनेर ब्लॉक हैड क्वार्टर कहां रखा जाय। तो ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी में जो डिस्कशन हुआ उसमें यह मालूम हुआ कि ज्यादातर लोग इसको फुलेरा रखने की तरफ थे; क्योंकि सिर्फ दो सुझाव उसमें आये थे लोगों की तरफ से, एक सुझाव यह दिया था कि इसका हैड क्वार्टर जोबनेर में रखा जाय और दूसरा सुझाव यह था कि फुलेरा में रखा जाय।

इस पर डिस्कशन हुआ, ज्यादातर लोग, २५ सदस्यों में से १५ से भी ज्यादा लोग, २०, २१ आदमी हाज़िर थे, उनमें से १५-१६ आदमियों ने राय जाहिर की कि हैड क्वार्टर फुलेरा में रखा जाय। जोबनेर ब्लॉक एरिया है, उसके हर एक हिस्से के लोग फुलेरा में आ सकते हैं, फुलेरा में कॉम्युनिकेशन्स की सहूलियत है अगर हैड क्वार्टर जोबनेर में रखा जाय तो वहां कॉम्युनिकेशन की सहूलियत नहीं है, जाने-आने का कोई साधन नहीं है; जोबनेर जो है वह नीयरेस्ट रेल्वे स्टेशन से ७-८ मील दूर है, वहां आने जाने के साधन नही हैं। २५ सदस्यों में से २१ सदस्य हाजिर थे उनमें से १६ व्यक्तियों ने राय जाहिर की कि हैड क्वार्टर फुलेरा में रखा जाय। ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी की अध्यक्षता जयपुर जिले के कलेक्टर ने जो कि विकास कार्यों के इन्चार्ज हैं, उन्होंने की। जब निर्णय लेने का सवाल आया तो मैं भी हाजिर था, हम लोगों ने सोचा कि हमारी एडवाइज़री कमेटी में मेजोरिटी माइनोरिटी से आज तक फैसला नहीं किया, इस लिये सुझाव रखा कि वोटिंग नहीं किया जाय और यह जो ओपीनियन्स बैग किया गया, उसके ऊपर विकास अधिकारी जिन्होंने कि उस मीटिंग की सदारत की थी वे ही सरकार को सिफारिश भेज दें, उसके ऊपर ही सरकार निर्णय लेगी। हम लोग सब समझते थे कि फुलेरा को हैड क्वार्टर बनाने के लिये सिफारिश करेंगे क्योंकि २१ जो हाजिर सदस्य थे उनमें से १५-१६ ने फुलेरा के फेवर में राय दी है, पर इसके १५, २० दिन बाद हमको ऐसा सुनने में आया कि कुछ वजह से कलेक्टर साहब ने सिफारिश कर दी है कि ब्लॉक हैड क्वार्टर जोबनेर में रखा जाय। यह सिफारिश की मुझे जानकारी हुई तो मैंने कलेक्टर

(श्री पी० के० चौधरी)

साहब से पूछा कि कौनसी जगह के लिये सिफारिश की है तो उन्होंने कहा कि जोबनेर के लिये शिफारिश कर दी है। मैंने कहा कि जो आपने ओपीनियन वैग किया उसके आधार पर आपको सिफारिश करना चाहिये था, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो यह खयाल था कि जोबनेर के फेवर में ओपिनियन थी। मैंने पूछा कि आपने किसको लिखा है तो 'मैं यह बताने को तैयार नहीं हूं, इतना कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को लिखा है। मैंने पूछा कि गवर्नमेंट को लिखा है' पर किसको लिखा है, लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट को लिखा है, सेक्रेटेरियेट को लिखा है कि डेवलपमेंट विभाग को लिखा है या किसको लिखा है? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता कि गवर्नमेंट को लिखा है। मैंने डेवलपमेंट कमिश्नर से फोन करके पूछा कि ऐसी-ऐसी बात हुई है, गवर्नमेंट को लिख दिया है तो यह सिफारिश आई तो क्या निर्णय लेंगे? उन्होंने कहा कि १५, २० दिन के बाद इत्तला दे दूंगा। बाद में कॉन्टेक्ट किया तो मालूम हुआ कि शिमला चले गये हैं दो-तीन महीनों के लिये। ब्लॉक एड्वाइज़री कमेटी में फिर से यह सवाल रखा गया और इसके ऊपर उनकी राय ले ली जाय, बैलट ले लिये जायें ऐसा आया, बैलट हुआ २१ सदस्य हाजिर थे उनमें से १६ सदस्यों ने राय जाहिर की कि हैड क्वार्टर फुलेरा में होना चाहिये। ५ सदस्यों ने राय दी कि जोबनेर में होना चाहिये। इसकी सिफारिश भेज दी, इसके बाद मालूम नहीं कि क्या हुआ। अभी १५, २० दिन पहले मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि सांभर में हैड क्वार्टर रहेगा। हमारी जिला कांग्रेस के पास पंचायतों के सरपंचों की तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन आया कि एड्वाइज़री कमेटी ने ओवर वेल्मिंग मेजोरिटी से तय किया था कि फुलेरा में हैड क्वार्टर होना चाहिये। फुलेरा में कॉम्युनिकेशन्स के साधन हैं। यह ३०-३५ मील लम्बा एरिया है, आर. पी. सी. लाइन जिसे कहते हैं, पेरेलल में चलती है। फुलेरा में आसानी से हर जगह से आ सकते हैं। सुबह की गाड़ी से आये और शाम की गाड़ी से वापिस जा सकते हैं, सांभर जाने में रात भर रहना पड़ता है। पंचायतों के सरपंचों की तरफ से भी जयपुर जिला कांग्रेस के पास चिट्ठी आई कि ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी ने फैसला किया कि फुलेरा में हैड क्वार्टर रखा जाय तो भी क्या बात है कि सांभर में हैड क्वार्टर जा रहा है? मैंने जिला कांग्रेस की तरफ से डेवलपमेंट कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, उसके जवाब में जो उन्होंने चिट्ठी लिखी वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं। वह यों है : "Please refer to your communications regarding the shifting of Block-headquarters from Sambhar to Phulera. The Block has been in existence since October, 1953. In all these times its headquarter has been located at Sambhar. We have invested some funds of the Government in Block buildings in that place. The people have also become accustomed to treat Sambhar due to the lapse of time. These were some of the main reasons which stood in the way of shifting the headquarter from Sambhar to Phulera which is neither more central nor has it shown greater participation in the programme."

अब यह जो पोइन्ट रेज़ किया कि लोग

(श्री पी० के० चौधरी)

यूज़्ड हो गये हैं, यह बिलकुल गलत है, अगर यूज़्ड हो गये होते तो पोपुलर रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ ब्लॉक एड्वाइज़री कमेटी में ऐसा फैसला नहीं करते कि फुलेरा में हैड क्वार्टर रखा जाय, फिर इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन भी सरकार के पास और जिला कांग्रेस के पास नहीं आता है। ब्लॉक एड-वाइज़री के निर्णय के खिलाफ कि फुलेरा हैड क्वार्टर नहीं रखा जाकर सांभर रखा जाय।

दूसरे उन्होंने लिखा कि फुलेरा ने ब्लॉक डेवे-लपमेंट्स के काम में पार्टिसिपेशन नहीं बताया "it has not shown greater participation in the programme."

मैं एक बात कहना चाहता हूं–फुलेरा और सांभर दोनों शहर हैं, म्युनिसिपल एरियाज़ हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आर्ग्युमेंट देते हैं कि फुलेरा ने ब्लॉक डेवलपमेंट के कामों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। It is a mischievous argument advanced by him. यह आर्ग्युमेंट उन्हें देना चाहिये, फुलेरा म्युनि-सिपल एरिया है, ब्लॉक एरिया में वह आता नहीं, सारे प्रान्त के विकास कार्यों के लिये सबसे बड़ा जिम्मेदार अफसर कलेक्टर है, उसकी तरफ से इस प्रकार का मिश्ची-वियस आर्ग्युमेंट देना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट फन्ड्स सांभर में इन्वेस्टमेंट करने का लिखा है वह भी गलत है, क्या गवर्नमेंट ने नया इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्ज़ इसके लिये क्या बनाई गई हैं? जो बिल्डिंग्स हैं वे पहले की हैं। फिर कहते हैं कि पोपुलर पार्टिसिपेशन करना चाहिये मेहता कमेटी कहती है कि पोपुलर पार्टि-सिपेशन करना चाहिये, पर पोपुलर वोइस जो हैं उसकी क्या रेस्पेक्ट की जाती है, उसका क्या रिगार्ड किया जाता है, यह इसका एक नमूना है। एक छोटी सी बात है उस पर दो दो बार फैसले होते हैं। पहले फैसला हुआ उसमें कुछ लोग गवर्नमेंट में, इन्ट्रे-स्टेड थे कि जयपुर में ही हैड क्वार्टर हो, जब एड्वाइज़री कमेटी ने फुलेरा के फेवर में फैसला किया तो यह देखा कि जयपुर को तो किया नहीं, अब ब्लॉक डेवेलपमेंट कमेटी के पास भी नहीं रहना चाहिये और फिर फैसला किया कि सांभर में रखा जाना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि यह उनका गलत कदम है। पब्लिक की सेफ्टी को रेस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे तो यह आप कैसे चाहते हैं कि फुलेरा से हटाना चाहिये? सच्ची ओपीनियन तो यही है किन्तु वह हैड क्वार्टर फुलेरा न रख कर सांभर के लिये ओपीनियन देते हैं, सिफा-रिश करते हैं, तो यह जनता विकास के कार्यों में क्या सहकार देगी?

यह तो नमूना है कि आप पोपुलर कोऑ-परेशन चाहते हैं, इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। आपके डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, जो इस स्टेट में लोगों को कोऑपरेशन लेने के लिये, जिसके ऊपर पूरा जिम्मा दे रखा है, उनकी तरफ से पोपुलर ओपीनियन सेट असाइड करने के लिये इस तरह की हरकत की जाती है। फुलेरा एक डेवलप्ड एरिया है। तो मैं तो कहता हूं कि it is an unbecoming argument advanced by the Development Commissione.

तो मेरा तो इतना ही कहना है कि चाहे सरकार हैड क्वार्टर कहीं रखे, अजमेर रखे, फुलेरा रखे या जयपुर में रखे, लेकिन जो पोपुलर रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ की कमेटी बनावे और उनकी राय ले और फिर उसके साथ इस

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रकार करेंगे तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपको पोपुलर रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ का सहयोग नहीं मिल सकेगा। बस इस डिमान्ड पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

दूसरी डिमान्ड है और कट मोशन है वह बाघावास से चौमू सड़क को जोड़ने के लिये। मेरी फुलेरा कोन्स्टिटुएन्सी है। वहां रास्ते अजीब टाइप के हैं। वहां सरकार की तरफ से एक सड़क बनी है जो जयपुर से रेनवाल तक जाती है। यदि हमें अपनी कॉन्स्टिटुएन्सी में जाना होता है तो रेलवे की पटरी के पास पास होकर चलना पड़ता है और सिर्फ एक ही सड़क क्रोस करती है जो चौमू से रेनवाल को जाती हैं। बाघावास एक इम्पोर्टेन्ट गांव है और लगभग दो या तीन हजार की आबादी है और मैं यह चाहूंगा कि यह जो सड़क चौमू—रेनवाल है इसको बाघावास के साथ जोड़ दी जावे। इसकी काफी डिमान्ड है। यदि इसके लिये सरकार चाहेगी तो लोग श्रम दान देने के लिये भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि फुलेरा कोन्स्टिटुएन्सी में कोई सड़क है नहीं, इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे और मैं समझता हूं कि इसको सिम्पेथेटिकली कन्सीडर करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो तो कुछ इस संबन्ध में कहूं, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी का प्रश्न है और जोबनेर का प्रश्न आया है इसलिये बोलना जरूरी हो गया है, तो कुछ बातें साफ कर दूं।

यह सही है कि जोबनेर फुलेरा की तहसील में होते हुए भी इसको दूदू की तहसील में डाला गया और उसके बाद में यहां पर बहुत ज्यादा सहूलियतें होते हुए भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अभी फुलेरा और सांभर का प्रश्न आ रहा है, यह प्रश्न जैसा कि हमारे फुलेरा से आने वाले महानुभाव ने उठाया, मैं निवेदन करूंगा कि यह एक तरफी बात है, इसलिये मुझे बीच में बोलने की आवश्यकता पड़ी। मैं यह कहूंगा कि जोबनेर ज्यादा सेन्टर में है और फुलेरा और सांभर एक तरफ पड़ते हैं; इसके अलावा फुलेरा और सांभर में म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उसी प्रकार जोबनेर में भी है; ब्लॉक के लिये सबसे अच्छी जगह हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज के होने की वजह से सारी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को कोई आपत्ति इस बात के लिये नहीं होगी। यह चाहते हैं कि फुलेरा रहे और सांभर नहीं रहे। फुलेरा और सांभर का दोनों का झगड़ा निपट जाएगा और फुलेरा और सांभर दोनों को छोड कर जोबनेर...

श्री चन्दनमल वेद : जोबनेर उन दोनों के झगड़े का फायदा उठा ले।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वहां पर सब मौजूद हैं। इसके लिये बिल्डिंग की जरूरत हो तो अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ हमारे माननीय मुख्य मंत्री वहां थे, वे जानते हैं कि इस बात की कितनी जबर्दस्त आवश्यकता है और लोगों में कितना असंतोष है और उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जब फुलेरा के लिये चाहते हैं और सांभर के लिये नहीं चाहते तो दोनों के झगड़े को छोड कर जोबनेर हो जाए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी यह न्यायप्रियता की बात मालूम होती है। चौधरीजी को मंजूर होगा।

Page No.39

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : होना चाहिये। पहले फुलेरा मेरी तहसील थी मगर अब आपकी हो गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह एक ऐसा मामला है जो जरूरियात पर होता है। यहां पर दो दो कॉलेज, एक हाई स्कूल है और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी चीजें यहां पर हैं। अब यह कहा जाता है कि ६ या ७ मील तक कोई स्टेशन नहीं है, मैं यह कहूँगा कि ५ या चार मील पर एक स्टेशन है इसीलिए मैंने बीच में आपको अर्ज किया है; दूसरा कौन कहता इसलिए मैंने कहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, ७० और ७६ हैं। एक कटौती के प्रस्ताव में मैंने मांग की है कि सार्वजनिक विभाग में ठेकेदारी प्रथा पर विचार किया जाए। इस विभाग में जन साधारण को इस प्रकार की शिकायत है और मांग है कि जिस काम के लिए एक पैसा खर्च होना चाहिए वहां पर दो पैसे खर्च होते हैं और उस ठेकेदारी प्रथा को यहां पर किस प्रकार से लागू किया जा रहा है और निभाया जा रहा है उसके लिए कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष, जब किसी काम को प्रारम्भ किया जाता है तो उसके लिए इस प्रकार की प्रथा है कि सबसे पहले टेन्डर कॉल किये जाते हैं। इस प्रकार का नियम है कि छोटे काम के लिए १५ दिन का टेन्डर कॉल किया जाता है और बड़े काम हों तो एक महीने का समय। लेकिन यदि इस विभाग की सारी फाइलों को देखा जावे तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इस नियम की अव–हेलना की जाती है। जब यह ऑर्डर स्पष्ट है कि १५ दिन और १ महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये, मगर नहीं दिया जाता। होता क्या है कि जब प्रमुख अधिकारी यह देखता है कि किसी खास व्यक्ति को यह ठेका देना है तो वह बाकी के दूसरे ठेकेदारों को नोटिस नहीं देता और इसके अलावा बहुत कम समय में नोटिस देते हैं। टेन्डर नोटिस, होना तो यह चाहिये कि गजट में या राजस्थान के प्रमुख पत्रों में शाया होने चाहिये। मगर इस प्रकार शाया न करके जिन निश्चित ठेकेदारों को ठेका देना होता है दे देते हैं और निश्चित रूप से उसी के लिए कार्य करते हैं।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इन टेन्डरों में जान बूझकर ऐसी शर्त रखी जाती है कि काम को इतने समय में पूरा करना होगा, यानि टाइम फिक्स किया जाता है कि कोई सड़क या भवन है तो उसको पूरा करने के लिए महीना या १॥ महीना या दो महीनों में पूरा करना होगा। मान लें कि किसी मकान का निर्माण करना है तो उसको कहा जाता है कि १॥ महीने में इसको पूरा करना होगा। जब इतने समय में काम को पूरा करना होता है तो अवश्य ही ऊंची रेट से लोग टेन्डर देते हैं और जब उनके टेन्डर पहुँचते हैं तो इन्जी-नियर लोग यह कह कर उन टेन्डरों को रिजे-क्ट कर देते हैं कि रेट बहुत हाई है और दुबारा टेन्डर कॉल करते हैं। फिर भी वही समय की पाबन्दी उसमें भी होती है और फिर जब किसी ठेकेदार को ठेका देना होता है तो वे उसको कह देते हैं कि थोड़ा सा कम रेट करके तुम टेन्डर दे देना। वह ठेकेदार पहले ठेकेदार से कुछ कम रेट पर टेन्डर दे देता है और उसका टेन्डर मन्जूर हो जाता है और उसमें जो टाइम लिमिट होती है वह स्वयं एक्सटेन्ड हो जाती है। मैं आपको एक उदा-हरण दूं कि सेक्रेटेरियेट के पीछे सड़क बनने के लिए १॥ माह का नोटिस दिया गया था।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक ठेकेदार ने टेन्डर अधिक रेट का दिया और वह टेन्डर मन्जूर नहीं किया गया। दुबारा टेन्डर कॉल किये गये और कम रेट में टेन्डर आया और उसको स्वीकार किया गया, मगर वह सड़क जितने दिनों में बननी चाहिये थी नहीं बनी और समय एक्सटेन्ड किया गया। अगर आपको ऐसा करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया; अगर पहले ही ऐसा करते तो टेन्डर कम रेट के मिल सकते थे।

दूसरी मिसाल टोंक की है। वहां पर कुए बनवाने थे। १५ जून की मियाद नोटिस में थी मगर उसके बाद भी जब टेन्डर हुए तो तीन महीनों का एक्सटेन्शन दिया गया। पहले जो टेन्डर दिये गये उनको स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद दुबारा टेन्डर आये, दुबारा टेन्डर आने के बाद तीन महीने की मियाद दी और अब तक वह काम पूरा नहीं हुआ। उन ठेकेदारों पर जिन्होंने इतना एक्सटेन्शन लिया, किसी तरह का कोई जुर्माना हुआ हो, अर्नेस्ट मनी जब्त की हो यह कोई बात नहीं। इस प्रकार से एक्सटेन्शन दिया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से शंका की जा सकती है कि इस विभाग में अवश्यमेव कोई न कोई गड़बड़ है। जैसा मैंने पहले कहा जन साधारण से, किसी ले मेन से पूछ लिया जाय तो वे कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है तो इसी सार्वजनिक निर्माण विभाग में होता है। इस विभाग के पेट ठेकेदार हैं और उनको किसी न किसी तरह से ठेका दिया ही जाता है और यदि कोई ठेकेदार बीच में भी आता है तो उसको इधर उधर ठेके देकर आउट करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको एक उदाहरण और दूं कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग का टेन्डर दिया, १८ महीने में बिल्डिंग बननी चाहिये, इन्जीनियर ने ठेकेदार से कहा कि नहीं १३ महीने में ही बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, चूंकि वह काम किसी हालत में १३ महीने में नहीं हो सकता था, वे भी जानते थे, लेकिन उसको पकड़ कर, उसको फंसाकर, उस पर कार्यवाही की जा रही है। यह कहा जाता है कि ठेकेदार काम नहीं करते हैं। जो लिखा हुआ है उसी अनुसार समय पर निश्चित काम नहीं होता है तो पेनॉल्टी है उसके लिए। सीकर से जयपुर की रोड़ बन रही है, रिंगस से आगे ठिकरिया बावड़ी तक तीन चार मील का टुकड़ा है वह अब जाकर पूरा हो रहा है। इस सम्बन्ध में जब सदन में प्रश्नोत्तर हुए तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि उस ठेकेदार पर जुर्माना कर रहे हैं। आज तक मैं समझता हूं कि कोई पेनॉल्टी नहीं इम्पोज़ हुई। वह खुद रही है और अब जाकर कहीं वहां पत्थर पड़ रहे हैं; पांच साल तक जुर्माना उस ठेकेदार पर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह एक बड़ी फर्म से सम्बन्धित था। तो किस तरह से सार्वजनिक धन का इस विभाग द्वारा दुरुपयोग होता है यह नमूने हैं। इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा बना हुआ माल आता है और मकानों का निर्माण होता है उसके सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा कि गांधी नगर में क्वार्टर्स बने थे, उनके सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं, और उस समय बी. एन. झा, पोपुलर मिनिस्टरी बनने से पहले इसके इन्चार्ज थे, उनको शिकायतें की गई। उन्होंने उन शिकायतों के विषय में इन्वेस्टिगेशन कराया। उस संबन्ध में एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक मन्त्री महोदय की फाइल में दबी हुई पड़ी है। उसमें यह स्पष्ट सिफारिश की थी कि जिस प्रकार से ठेकेदारों को नमूना बताया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

गया था और ठेकेदारों ने माल का नमूना दिया था वह माल नहीं लगा और न उस माफिक क्वार्टर्स बने। जब गांधीनगर के क्वार्टर्स बने तो उसके बाद जो पहली बारिश हुई तो सारे के सारे कमरे चूने लग गए, कोई कमरा साबुत नहीं रहा कि जो न चूता हो। जब इसकी शिकायत की गई तो ७५ हजार की चद्दरें खरीद कर उनकी छतों पर बिछाई गई जिससे कि वहां के जो निवासी हैं वे उन कमरों में रह सकें। उनकी मरम्मत भी कराई गई। इसके लिए विशेष टेन्डर नहीं लिए गए। खर्चा जो मरम्मत वगैरा का किया गया उसको कहीं से किसी दूसरे महकमे से इधर उधर लेकर एडजस्ट किया। इसका कारण एक यही प्रतीत होता है कि उन ठेकेदारों को शरण देना था, उनका बचाव करना था। उन ठेकेदारों की रक्षा करने के लिए अलग अलग विभागों से कहां की रकम कहां लगादी और उन क्वार्टरों की छतों को ठीक कराया और बी. एन. झा ने जो इन्क्वायरी कराई थी वह रिपोर्ट पड़ी रही। जो जो इन्जीनियर और ठेकेदार दोषी थे उनके विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो निस्सन्देह शंका पैदा होती है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग है वहां इस प्रथा को रखा जाय या नहीं। कहा जाता है कि सरकारी अधिकारियों से काम कराया। फिर इस सम्बन्ध में भी आलोचना आएगी कि सरकारी अधिकारी खाते हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ठेकेदार हैं उनका ऊपर से नीचे तक पर्सेन्टेज़ बन्धा हुआ है, नहीं तो मजाल नहीं कि ठेकेदारों द्वारा इतना दुरुपयोग किया जाय। जिस ढंग से बिल्डिंग बननी चाहिये नहीं बनती है और मकान की छतें चूती हैं। इस प्रकार से निस्सन्देह शंका होती है कि इस विभाग की जांच की जानी चाहिए। केन्द्र में इस प्रकार का सुझाव आया और राज्य सरकारों को लिखा है कि एक टेक्निकल एडवाइज़री कमेटी बनायी जाय जो इस विभाग द्वारा बने हुए मकान आदि है उनकी जांच करे। जिस ढंग से मकान बनाने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसी माफिक ठेकेदार बनाते हैं या नहीं ? इन बातों की जांच करके कमेटी रिपोर्ट दे कि कितनी मात्रा में गड़बड़ी हुई है और कितना ठीक है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेमेंट किया जाय और यदि पेमेंट कर दिया गया है तो वापिस ठेकेदार से वसूल किया जाय, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस प्रकार की एक कमेटी बनाने का निर्णय नहीं लिया है। यदि निर्णय लेती है तो कम से कम उस कमेटी के पास शिकायतें तो जावेंगी और वह उनको देखेगी।

जिस प्रकार से एन्टी–करप्शन विभाग पुलिस विभाग के अन्तर्गत था लेकिन जब हमने देखा कि पुलिस विभाग स्वयम् इसमे सम्बन्धित है, पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे कि भ्रष्टाचार करते हैं वे उनको शरण देते हैं और इसीलिए विशेष आई० जी० पी० को नियुक्त किया कि इसकी जांच करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वे राज्य सरकार के अधिकारी हैं, वे टेन्डर मन्जूर करते हैं, एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर वगैरह इस प्रकार के अधिकारी होते हैं काम देखते हैं, उनकी जांच करने के लिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई थोड़े दिन का तो है नहीं, यह तो राज्य का एक स्थायी महकमा है, लाखों रुपया बजट से खर्च किया जाता है और जब

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तक पंचवर्षीय योजनायें चलेंगी इसका विशेष महत्व भी है । जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ी होती है उसकी जांच कराने के लिए एक विशेष टेक्निकल कमेटी बनायी जाय, जो इस विभाग के कामों की जांच करे । इस प्रणाली पर माननीय मंत्री महोदय विशेष जानकारी करेंगे जिससे जहां जहां गड़बड़ी होती है और धन का दुरुपयोग होता है उसको रोका जा सके ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मैंने सीकर जिले की पुलिस बिल्डिंग्स पर रखा है । सीकर जिले में पुलिस लाइन्स से थाने तक जो मकान हैं सारे के सारे ऐसे नहीं हैं कि पुलिस के लायक हों । सारे मकान किराये के हैं । पहले मैंने सुना था कि ये राज्य सरकार के हैं, लेकिन पता चला कि पर्सनल लिस्ट में ले लिया है उनको । आज सारे मकानों की यह हालत है कि उनमें पुलिस के आदमी आसानी से सो नहीं सकते और न सामान ठीक ढंग से रख सकते हैं । जागीरदार चाहते हैं कि मकान चले जायं; उनको बेच दें और अधिकारी लोग ठीक ढंग से व्यवस्था करेंगे और राज्य सरकार यह चाहती है कि जागीरदार उनकी मरम्मत कराये । जागीरदार मरम्मत नहीं कराते । थानेदार के रहने के लिए भी मकान नहीं है । उसी कमरे में थानेदार और पुलिस वाले रहते हैं । इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है । राजस्थान बनने के बाद में एक पैसा भी उन पर नहीं लगाया गया है । मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सारी समस्याओं के देखने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सारी समस्याओं पर विचार करके या तो इन सारे मकानों का नये ढंग से निर्माण करें या उन सब मकानों को अपने कब्जे में ले लेवे । इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने दो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं ।

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव शिक्षण संस्थाओं के निर्माण के अन्तर्गत प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिये मकानों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के सम्बन्ध में है ।

इस बजट में शिक्षा संबन्धी निर्माण कार्यों के लिये लगभग ४५ लाख रुपया रखा गया है और इस राशि में से प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिये बहुत ही कम राशि निर्धारित की गई है । वह राशि शायद १लाख से भी कम है और जो भी राशि रखी गई है, वह भूतपूर्व अजमेर राज्य के कुछ मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के लिये है ।

इस दृष्टि से जब हम इस बजट को देखते हैं तो हमको लगता है कि निर्माण कार्यों की योजना को बनाते समय हमने यह ध्यान में नहीं रखा कि हमको किन-किन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये और किनसे जनता को सीधा लाभ हो सकता है ? अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते तो निश्चय पूर्वक हमें लगता कि सबसे पहले जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये शिक्षा के प्रचार की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे यहां का साक्षरता का प्रतिशत आठ है, उसको हमें आगे बढ़ाना है । यह प्रतिशत हमारे कॉलेजों से या हाई स्कूल्स से नहीं बढ़ेगा, यह बढ़ेगा हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के विस्तार और विकास से । इस दृष्टि से आवश्यक है कि हम जब निर्माण योजनाओं को बनायें तब उसमें इस बात का ध्यान रखें कि इस मद का शीर्षक "नागरिक" शब्द से शुरू होता है, इसलिये मेरा ऐसा खयाल है, कि इससे हमारी सरकार को थोड़ा भ्रम

(डॉ० चन्द्रकला)

हो गया है और वह नागरिक शब्द से नगर में रहने वालों को ही समझती है, शायद इसलिये अधिकतर रुपया जो इस मद में रखा गया है, वह नगर में रहने वालों के लिये ही रखा गया लगता है और उन्हीं के लिये खर्चे की व्यवस्था भी बजट में की गई है, लेकिन 'नागरिक' का अर्थ नगर में रहने वालों से नहीं बल्कि सभी जनता से है। राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता यहां की नागरिक है, चाहे वह नगर में रहने वाली हो या गांवों में। अस्तु, जो व्यय रखा गया है उसका लाभ डेढ़ करोड़ जनता को पहुंचे इस दृष्टि से हमें योजना बनानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बड़े भवनों और सड़कों का निर्माण करने का मैं विरोध नहीं करती क्योंकि मेरा यह मानना है कि निर्माण कोई भी हो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता को ही लाभ होता है, पर अधिक और सीधा लाभ किस तरह होता है यह देखना चाहिए। आप दूर न जायं जयपुर शहर की ही बात ले लें, जयपुर शहर के लिये इस बजट में केवल शिक्षा के मद में राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और दूसरे कॉलेजेज़ के विस्तार के लिये बहुत बड़ी राशि रखी गई है। यह बात जरूर है कि इन कॉलेजेज़ और इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं पर जो राशि हम खर्च करते हैं उनसे भी हमारा स्तर बढ़ेगा। स्तर बढ़ेगा लेकिन उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वह अपेक्षाकृत खर्चे के प्रतिशत से बहुत कम होगा। राजस्थान कॉलेज के लिये तीन लाख रुपये की राशि रखी गई है अगर हम थोड़े दिन के लिए राजस्थान कॉलेज जिस स्थिति में आज चल रहा है उसी स्थिति में चालू रखते हैं तो कोई नुकसान होने वाला नहीं और जो राशि इसके लिये रखी गई है उसको मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के लिए लगा देते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि साल भर में तीन सौ प्राइमरी स्कूलें खुल सकती हैं और फिर धीरे-धीरे जाकर वे मिडिल स्कूलों में परिणत हो सकती हैं। आजकल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के खोलने की जब बात होती है तो उसके लिये कहा जाता है कि जनता भवन की सुविधा करे। यह ठीक है कि जनता सुविधा करे। किन्तु जब हम योजनायें बनाते हैं और अपनी ओर से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो हमें यह खयाल रखना पड़ेगा कि बड़ी-बड़ी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ नहीं पहुंच सकता। हम केवल एक दो प्रतिशत स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बहुत सारे स्तर को उपेक्षित नहीं कर सकते। साधारण जनता को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान न दें, यह नहीं हो सकता। अगर हम बहुत बड़े जन-समूह के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो एक ओर हम जहां कुछ गिनती लोगों के पढ़ने लिये तीन लाख रुपया खर्च करते हैं तो वही दूसरी तरफ जो जयपुर शहर की छोटी छोटी संस्थायें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। सरकार इसके लिए यह कह कर अपनी जिम्मेवारी से अलग हो सकती है कि यह तो म्युनिसिपल एरिया में आती है, लेकिन जितना कर्तव्य सरकार का म्युनिसिपल एरिया के बाहर है उससे कोई कम म्युनिसिपल एरिया के अन्दर के लोगों के लिए नहीं है। यहां की जनता के प्रति सरकार का उतना ही कर्तव्य है। ऐसी हालत में हमें यह देखना चाहिये कि इन छोटी-छोटी संस्थाओं को इस योजना से, इस राशि से कुछ हिस्सा मिल सकता है या नहीं? यहां की मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों की हालत को मैं जानती हूँ इसलिये मैं कह

(डॉ० चन्द्रकला)

सकती हूं कि यहां भवनों की बहुत कमी हैं। जिस स्कूल में जितनी कक्षायें हैं उनके बैठने के लिये उतने कमरे नहीं और बच्चों की संख्या के हिसाब से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार जब इस प्रकार की योजना बनाती है, इस तरह बजट की मांग करती है तो उस समय यह भी देखना चाहिये कि अधिकतर लाभ किस बात से मिलेगा। एक बड़ी योजना को लेकर दूसरी छोटी-छोटी योजनाएं खत्म करने की अपेक्षा बड़ी योजना को स्थगित करके छोटी-छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन देना ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिये मैंने अपना यह कटौती का प्रस्ताव रखा है कि हम इस तरह की व्यवस्था करें ताकि हमारी शिक्षण संस्थाओं को एक ओर जहां भवनों की सुविधायें मिलेंगी वहां दूसरी ओर शिक्षा के प्रसार में भी जनता को प्रोत्साहन मिलेगा और उससे जनता का स्तर ऊंचा उठेगा और उससे निश्चित रूप से प्रान्त का विकास होगा।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सड़कों की आवश्यकता के सम्बन्ध में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले के अन्दर कई सड़कों का प्रावधान रखा गया था उसमें सबसे मुख्य सड़क थी बीकानेर से डूंगरगढ़, बीकानेर से गंगानगर और बीकानेर से पूगल ये तीन सड़कें प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखी गई थीं। इससे हमें यह संतोष हो गया था कि सरकार बीकानेर जिले के अन्दर कुछ सड़कों का निर्माण करना चाहती है लेकिन हमें इस बात से निराशा हुई कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के तीसरे साल की शुरुआत होने को है किन्तु अभी तक उन सड़कों के बारे में काम शुरु करना तो दूर रहा दो तीन सड़कें तो ऐसी हैं जिन्हें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिला अन्न की दृष्टि से कमी वाला एरिया है उसके पड़ौस में गंगानगर जिला है जहां अन्न की बहुलता है। अगर बीकानेर जिले का सीधा सम्बन्ध सड़क से श्री गंगानगर तक स्थापित हो जाय तो वहां के व्यापारियों को भी लाभ पहुंच सकता है और जनता को भी काफी राहत मिल सकती है और लोगों को रोजी का नया साधन भी उपलब्ध होगा। सड़कों के सम्बन्ध में नीति निर्माण करते समय सरकार को प्राथमिकताएं करने की आवश्यकता होती है। सड़कों के निर्माण में व्यापारिक केन्द्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये इसके साथ-साथ कुछ प्रशासनिक सुविधाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नीति अपना कर सड़कों का निर्माण राज्य में होना चाहिये इससे आज जो सड़कों की शिकायतें हैं वे भी शिकायतें न रहें। बेसिक स्टेटिस्टिक्स सन् १६५७ जो वितरण किये गये उसके अन्दर सड़कों के बारे में ३१ मार्च ५६ तक क्या स्थिति रही उससे यह मालूम होता है कि बीकानेर जिले के अन्दर राजस्थान बनने के बाद कोई नयी सड़क हाथ में नहीं ली गई। यह हो सकता है कि पुरानी सड़कों पर कुछ डामर बिछाया गया हो कुछ मीलों तक; पर राजस्थान बनने के बाद नई सड़कों का काम कहीं हाथ में नहीं लिया गया।

१ म० प०

आगे कहा गया कि २३६ मील फेअर वेदर रोड है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जैसे रेतीले प्रदेश में फेयर वेदर

(श्री भीमसेन)

रोड सरीखी कोई चीज़ आंधियों के झोंकों में रह ही नहीं सकती। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि सरकार ने इन सड़कों के मद में कुछ भी खर्च नहीं किया और अगर कुछ किया भी गया है तो वह वेस्टेज़ ही हुआ है। तो मैंने यह कटौती का प्रस्ताव कुछ खास सड़कों के निर्माण करने के लिये रक्खा है।

सबसे पहले तत्काल जो आवश्यकता है, वह इन सड़कों के बनाने की है। सागर से रिडमलसर का (बास सिपाहियान) एक मील का टुकड़ा है। रिडमलसर से बीकानेर जाने के लिये चार मील की दूरी है। तीन मील की दूरी तक सड़क बनी हुई है, सिर्फ एक मील का टुकड़ा बनना बाकी है। इससे हजारों आदमी जो बीकानेर आते जाते हैं और जो नौकरी-पेशा लोग हैं उनको इससे फायदा पहुंचेगा।

इसके साथ-साथ नौपासर सिथल लिंक रोड़ यह दो मील का टुकड़ा है और इसके बन जाने से दो बड़े-बड़े कस्बे एक दूसरे से सम्बन्धित हो जावेंगे। इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि शिवबाड़ी के लिये ३० हजार समय द्वितीय योजना में रक्खा है और यह सड़क रिपेयर के हैड में बन चुकी है। यदि यह तीस हजार रुपया इस दो मील के टुकड़े में खर्च किया जावे तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा और यह बन सकेगी।

इसके साथ-साथ इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे बीकानेर जिले में बीकानेर से लूणकरणसर और बीकानेर से डूंगरगढ़ और पूगल से बीकानेर तक सड़कें बनाने का प्रावधान रक्खा गया है। लेकिन इसका जो फेजिंग किया गया है उससे मालूम होता है कि ६०–६१ तक सिर्फ २० हजार रुपया बीकानेर की सड़कों पर खर्च करने का निश्चय किया गया है। बीकानेर से डूंगरगढ़ की रोड महत्वपूर्ण है। इस वक्त दिल्ली से बीकानेर की जो सड़क है उसमें ११० मील का चक्कर पड़ता है। अगर यह बीकानेर से डूंगरगढ़ की रोड बना दी जावे तो इस ११० मील की दूरी में अन्तर हो सकता है और फिर डिफेन्स के लिहाज से भी यह सड़क महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसका रीफेजिंग करके इस प्लान पीरियड में बीकानेर से डूंगरगढ़ नहीं, तो नापासर तक का टुकड़ा ही बना दें तो अच्छा हो।

दूसरी सड़क है बीकानेर से लूणकरणसर-अभी वह सड़क बीकानेर से जामसर तक बन रही है। पर रीफेज़िंग होकर ६०–६१ तक इसका चार मील का टुकड़ा और बनेगा। मैं चाहता हूं तहसील हैड क्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ने की दृष्टि से भी यह एक आवश्यक सड़क है और सरकार की नीति यह है कि कम से कम तहसील हैड क्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक जोड़ा जावेगा और इस दृष्टि से भी इसका निर्माण कर दिया जावेगा। तीसरे प्लॉन के पीरियड में गंगानगर वाया लूणकरणसर का बीकानेर से कनेक्शन हो जावेगा तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फायदा होगा।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी प्लॉन पीरियड के आखीर तक बीकानेर से डूंगरगढ़, बीकानेर से लूणकरणसर और बीकानेर से पूगल की सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिये। इससे जनता को आराम मिलेगा।

इसके अलावा तीन-चार सड़कें और हैं

(श्री भीमसेन)

जिनका बनाना भी बहुत आवश्यक है। वे हैं: लूणकरणसर से कालू, लूणकरणसर से विजयनगर वाया कुंभाना, यह ५० मील का टुकड़ा है।

(२) बीकानेर से पल्टू वाया जैतपुर–यह ३० मील का टुकड़ा है।

(३) नोखा—पांचू २५ मील है।

इतनी सड़कों का निर्माण हो जावे तो मैं समझता हूं कि हमारे बीकानेर जिले में जो बहुत सी यातायात की कठिनाइयां हैं, वे दूर हो जावेंगी। इस ख्याल से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिये मैंने ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ७३ प्रस्तुत करता हूं। यह धौलपुर के वाटरवर्क्स और ड्रेनेज के सम्बन्ध में है।

माननीय अध्यक्ष, आजकल जो वाटर वर्क्स धौलपुर में है उसका निर्माण निर्माण विभाग द्वारा हुआ है, पर वह एक खिलौना मात्र है। वहां की जल-समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

यह तो माना जाता है कि जीवन को रखने के लिये वायु, जल और अन्न की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर की कृपा से वायु काफी स्वच्छ मिलती है, वायु की वहां कमी नहीं है। पर जल की आवश्यकता है इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के इस वाटर वर्क्स को डेवलप करके वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इसे क्षमताशील बनाया जावे। वहां पानी की कमी नहीं है। कूए हैं पर वे गहरे हैं और जो टैंक है वे छोटे हैं उनको बड़ा कर दिया जावे, कूओं से पानी निकालने के लिये मशीनरी का प्रबन्ध कर दिया जावे और जो पाइप लाइन इस समय है उसको भी बढ़ा दिया जावे तो वहां की आवश्यकता आसानी से हल हो सकती है।

इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उल्लेख है पर आज तीन साल बीतने पर भी इस ओर कदम नहीं उठाया गया है।

माननीय अध्यक्ष, इसी प्रकार गन्दे पानी को निकालने के लिये ड्रेनेज़ की आवश्यकता है। धौलपुर पुराने राज्य की राजधानी है और यह तो आप जानते ही हैं कि पुरानी राजधानियां किस प्रकार की हुआ करती थी। वहां थोड़ी बहुत नालियां हैं और वे वहां के सारे गन्दे पानी को निकालने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इससे होता यह है कि इतना सुन्दर नगर होते हुए भी वहां कीचड़ हो जाता है। पानी फैलता है, मच्छर पैदा होते हैं और बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसको सुधारने के लिये आवश्यकता है कि वहां पर ड्रेनेज़ सिस्टम ठीक प्रकार से चलाया जावे। सरकार इसको ठीक तरह से बना लेगी तो वह पानी सिंचाई के काम भी आ सकेगा। तो इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ड्रेनेज को भी सुधारा जावे। तो इस प्रकार मेरा यह एक छोटा सा कटौती का प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि इस आवश्यक मांग को राज्य सरकार के मन्त्री महोदय जरूर स्वीकार कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ा सा ध्यान इस कटौती प्रस्ताव के अलावा विधान सभा की कुर्सियों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। इनके सम्बन्ध में निवेदन है कि गर्मियों में बड़ी परेशानी होती है, गरम हवा जब चलती है और पसीने से जब कपड़े भीग जाया करते

(श्री बहादुरसिंह)

हैं तो ये कुर्सियां और भी तकलीफदेह होती हैं, इसकी जगह बेंत की कुर्सियां अगर कर दी जावें तो उत्तम होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों का प्रोग्राम बनाया गया था, उस समय विभिन्न जिलों की विकास समितियों से सुझाव मांगे गये थे और उन विकास समितियों ने जो सुझाव दिये वे करोड़ों पर पहुंचे थे और यह नामुमकिन था कि सरकार उनको जैसे के तैसे मान लेती। उससे इनमें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार काफी कटौती की जो उचित ही थी और जो सड़कें काट छांट कर चुनी गईं थीं उनके लिये एक बात यह मान ली गई थी कि जो काम प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरु किया गया था और जो अधूरा पड़ा है उसे पहले लिया जावेगा; उसे तरजीह दी जावेगी। दूसरी बात यह तरजीह के रुप में रक्खी गई थी कि कम से कम तहसील हैडक्वार्टरों को जिला हैड क्वार्टर्स से जोड़ा जावेगा।

तो मेरा जो कटौती का प्रस्ताव ७४ है उक्त भूमिका के साथ उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो सड़क है देबारी कुराबाद की प्रथम पंचवर्षीय योजना में हाथ में ली गई थी और इसके बाद वह थोड़ी बनकर अधूरी रह गई थी। उसको पूरा करने का सुझाव जिला विकास समिति ने दिया था। पर दुख है कि दूसरी योजना में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पहली योजना में ६० हजार रुपया इस पर खर्च करके ४ मील का टुकड़ा बनाया गया था, इसकी कुल लम्बाई १४ मील है। आज वह चार मील तक ही बना हुआ पड़ा है। इसके आगे एक मील भी नहीं बढ़ रही है।

मैं मानता हूं मंत्री महोदय यह कहेंगे कि जितना पैसा इस पर रक्खा गया था वह उस पर खर्च कर दिया। यह सही है कि प्रथम योजना में जितना रुपया इसके लिये रक्खा गया था वह खर्च कर दिया गया पर मेरा यह कहना है कि इसे पूरा करने के लिये दूसरी योजना में इसे प्राथमिकता देनी चाहिये थी।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ जिला विकास समिति ने सुझाव दिया था उसमें से पैसे की कमी के कारण कमी की गई, यह मैं मानता हूं। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य लिये गये हैं कि सुझाव ही नहीं दिया गया था और सरकार ने जो काम करने का क्राइटेरिया रखा था वह उसमें भी नहीं आते हैं। जैसे कि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट लाया गया है उसमें पेज नम्बर ५१२ पर उदयपुर डिविजन में किये जाने वाले कामों की सूची आइटम नंबर ८,९ और १० पर दी है। वह इस तरह से है :—

ग्रेवल रोड फ्रॉम कामलीघाट टू जोजावाड़
ग्रेवल रोड फ्रॉम बाली टू सरेरी
ग्रेवल रोड फ्रॉम गगरोद टू पिंडवाड़ा

इसके बारे में कोई भी उदयपुर की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी ने सुझाव नहीं दिया और न इनका महत्व ही है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो एक सड़कें तो उदयपुर जिले में आती भी नहीं हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ सरकार किया वह बिना किसी सिद्धान्त के जो मरजी आई वही कर दिया...

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी सड़कें ?

श्री सोहनलाल भटनागर : यह बजट के पेज ५१२ पर आइटम नम्बर ८,९ और १० पर दी हुई हैं।

Page No.48

श्री नाथूराम मिर्धा : नाम क्या है ?

श्री सोहनलाल भटनागर : ग्रेवल रोड कामलीघाट टू जोजावाड़ और ग्रेवल रोड फ्रॉम बाली टू सरेरी........

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरियारी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : सिरियारी होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बारे में न तो विकास समिति ही ने सुझाव दिया और न इनका महत्व ही है; केवल उदयपुर को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ना था वह जोड़ दिया गया। केवल उसके बाद में इन सड़कों का कोई महत्व नहीं था और न उनके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी ने सुझाव दिया, फिर भी इनको रख दिया। मैं नहीं कहता कि इनको हटा दिया जाय लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य अधूरे पड़े हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं वे पूरे होने चाहिए और इन्हें पूरा करके ही दूसरे नये काम हाथ में लेने चाहिएं। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर डिविज़न के बारे में काफी आक्षेप किया है। उदयपुर डिविज़न के अन्दर आपने इन सड़कों के लिए ८ लाख रुपया रखा है, कहीं पर १२ लाख रखा है और कहीं पर कितना। गंगानगर में १२ लाख रखा है, बीकानेर में ११ लाख के करीब रकम रखी है। इस तरह काफी प्रतिबन्ध रखा है और यह प्रतिबन्ध इसलिए कि वहां का काम पूरा न हो और वहां की जनता का नुकसान हो, इसी दृष्टि से यह रकम इतनी रखी जाती है। मैं फिर यही कहूंगा कि जो काम अधूरे रह गये हैं पहले उनको पूरा करना चाहिए।

श्री मनोहर कोठरी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी एकमात्र भावना यह है कि हमारे यहां जो विकास खण्ड खुले हैं और उन विकास खण्डों में जो भी मकान या सड़कों आदि के निर्माण कार्य हुए हैं उन सब की स्थिति अभी तक अधूरी है केवल इसी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आमेट और कुम्भलगढ़ में जो विकास खण्ड हैं वे दोनों के दोनों साधारणीकरण (नोर्मलाइज़ेशन) की स्टेज पर हैं और दुर्भाग्य की बात है कि जो काम ब्लॉक डेवलपमेन्ट....

श्री मूलचंद डागा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आपका यह जो सवाल है यह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का है और यह इस हैड में नहीं आता है। मकान आदि के निर्माण का काम इसमें नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : "To discuss the failure of the Government in works relating to Community Development Projects in Udaipur Division."

श्री मूलचन्द डागा : कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का तो अलग हैड है इसमें नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष : जो वहां पर सिविल वर्क्स है।

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि उदयपुर डिवीज़न के कम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लाक्स में जहां जहां ऐसे सिविल वर्क्स हुए हैं उनकी जो आज दयनीय स्थिति है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आमेट में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

(श्री मनोहर कोठारी)

बनाया गया है और उसके बनवाने में ब्लॉक डेवलपमेन्ट कमेटी ने भी मदद की और गांव के लोगों ने उसमें काफी धन खर्च किया, लेकिन वह बिल्डिंग आज भी अधूरी है और मैं समझता हूं कि उस बिल्डिंग को जब तक पूरा नहीं किया जाता उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। यह भी कहा जा सकता है कि सरकार ने इतना खर्च करके उक्त भवन का निर्माण किया है और गांव के लोगों ने अर्थ व श्रमदान से जिस सीमा तक अपना योगदान किया, उसकी उपयोगिता सफल नहीं हो सकती। मेरा अनुभव है कि उक्त चिकित्सा केन्द्र में जो मरीज लोग जाते हैं उनके बैठने की थोड़ी भी व्यवस्था नहीं है। मैंने स्वयं ने निर्माण विभाग के मन्त्री और चीफ इन्जीनियर के नाम एक चिट्ठी लिख कर बताया था कि कम से कम जहां बीमार आदमी अस्पताल में जायें और वह धूप और वर्षा में खड़े रहें ऐसी स्थिति में उस अस्पताल की क्या उपयोगिता हो सकती है? इसलिए यदि फिलहाल और कुछ नहीं हो सके यदि भवन को पूरा नहीं बनाया जा सके तो भी वहां पर एक ऐसा टिन शैड बना दिया जाना चाहिये जिससे मरीज़ उसके नीचे बैटकर इन्तजार कर सकें। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक बात है और जिसकी ओर सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। इसी तरह मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसी कस्बे में एक हायर सेकन्डरी स्कूल की इमारत बन गई है और उसमें ४० हजार रुपया जनता ने सहयोग के रूप में प्रदान किया और बाकी का पैसा सरकार ने खर्च किया और मैं समझता हूं कि हमारे यहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी० डब्ल्यु० डी०), बिल्डिंग एण्ड रोडस के अधिकारियों ने भी देखा है....

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री मनोहर कोठारी : आमेठ में गत वर्ष ही उस पर १५ हजार रुपया खर्च किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इमारत की स्थिति जाकर देखी जाय तो मालूम होगा कि वहां दरवाजे नहीं हैं, फर्श नहीं है और जो मकान बनाया है उस पर प्लास्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है, आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता था कि वहां पर एक छात्रावास की स्थापना की गई और उसके लिए एक व्यक्ति ने अपना अच्छा मकान भेंट किया और उस पर दो, ढाई हजार रुपया भी खर्च किया गया। क्योंकि आमेठ तहसील के अन्दर अभी केवल एक ही हायर सेकन्डरी स्कूल है और जहां पर दूर दूर के विद्यार्थी पढ़ने को इकट्ठे आते हैं और जहां पर मकानों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को ठीक मकान किराये पर नहीं मिल पाते और इसलिए सात-आठ विद्यार्थियों को वर्तमान छात्रालय के एक ही कमरे में रहना पड़ता है। एक ही कमरे में इतने विद्यार्थियों का एक साथ रहना किसी भी स्थिति में उचित और वांछनीय नहीं है और इसलिए उस पर सरकार को थोड़ा पैसा खर्च करके ऊपर और कमरे बनाने चाहिये क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है।

जहां तक सड़कों का सवाल है अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कामलीघाट से जोजावर की जो सड़क है वह उदयपुर डिविज़न में नहीं पड़ती है। मैं समझता हूं कि शायद सूचना के अभाव में यह बात कही जा रही है। मैं उन्हें यह बताऊंगा कि कामलीघाट से

(श्री मनोहर कोठारी)

जोजावर की जो सड़क बनाई जा रही है उसमें ज्यादा हिस्सा उदयपुर में पड़ता है। कामलीघाट से जोजावर दवे और कोट होकर जो सड़क बनाई जा रही है वह पहाड़ी इलाके में है। इस प्रकार इस पहाड़ी क्षेत्र में जहां कि अधिकांश डाकू पलते हैं और डाकुओं को मिटाना बहुत आवश्यक था इसलिये राज्य सरकार ने उसका काम शुरू किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस ओर हम बड़ी मन्द गति से चल रहे हैं; मेरे विचार से इसमें और ज्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है और यदि सम्भव हो सके तो यह सड़क कामलीघाट से जोजावर तक अगले वर्ष में ही पूरी की जाय, ऐसी मैं सरकार से आशा करता हूं। इसके सिवाय एक बात मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता था कि सड़कों के सम्बन्ध में उदयपुर बहुत ही पिछड़ा रहा है क्योंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और यह दुर्भाग्य से जागीरदारों के चंगुल में रहा है और उन लोगों ने पैसा खर्च करके कभी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया है और अब वहां काम शुरू हुआ है जिसे विकास की दृष्टि से भूमिका मात्र कहा जा सकता है। आज कई जगह तो सड़कें बन चुकी हैं और कई जगह अब बन रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। श्रमदान से जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें आमेर से सरदारगढ़ की सड़क बनी, उस पर राज्य का काफी पैसा खर्च हुआ और श्रमदान भी किया गया, लेकिन उस सड़क को पी० डब्ल्यु० डी० विभाग ने अब तक अपने चार्ज में नहीं लिया है और चार्ज में नहीं लेने के कारण बरसात में हर बार सड़क टूटती जाती है। इस प्रकार सड़कें तो बनाई गईं, मगर उसकी देख रेख करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा रीछेड़ से आतमा कुंमारिया कुम्भलगढ़ से समीचा, आमेर से सरदारगढ़, कुम्भलगढ़ से कांकरोली वाया घाटासोगढ़ ये सारी की सारी सड़कें नई बनाई गई हैं और मैं समझता हूं कि इनकी उपयोगिता तब ही साबित हो सकती है जब कि सरकार इनको पी० डब्ल्यु० डी० बिल्डिंग्स एण्ड रोड के महकमे की देख रेख में रखे और आवश्यकतानुसार उन सड़कों की मरम्मत होती रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सड़कों पर जो हजारों रुपया खर्च किया वह सब बेकार चला जायेगा।

एक बात मैं विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहता था कि आमेर एक बहुत बड़ा व्यासायिक केन्द्र रहा है। मेवाड़ राज्य में उसकी उपयोगिता रही है। जैसे किशनगढ़ के पास में एक छोटा सा व्यावसायिक केन्द्र मदनगंज है, भीलवाड़े के पास में भोपालगंज की जो स्थिति है, उसी प्रकार आमेर के पास में चारभुजा रोडमढ़ी की भी वही स्थिति थी, वह भी उसी प्रकार का एक व्यावसायिक केन्द्र है, किन्तु कुछ समय पूर्व सट्टे के कारण वह केन्द्र बरबाद हो गया था। इन दिनों फिर से लोगों ने कल्पना की कि केन्द्र को व्यवस्थित किया जाय और कुछ सुधार किया जाय, इन्हीं भावनाओं को मद्दे-नजर रख कर स्थानीय जनता ने १४४ नई दुकानें कोऑपरेटिव बेसिस पर बनाना प्रारम्भ किया और निर्माण कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह पहला इन्स्टान्स है जब कि १४४ नई दुकानें पूरी की पूरी आमेर जैसे छोटे कस्बे में लक्ष्मी बाजार के नाम से बनाई जा रही हैं और जिसका शिलान्यास हमारे माननीय वित्तमन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों से हुआ है। उस बाजार में आवश्यकता इस बात की है कि केवल दो फर्लांग की सड़क

(श्री मनोहर कोठारी)

बाजार के बीच बनाने से वह ग्राम सड़क से जोड़ा जा सकता है। उस सड़क को जोड़ने के लिए सरकार के पास बार बार लिखा पढ़ी की गई है, लेकिन उसकी मन्जूरी नहीं मिलती है। स्थानीय लोगों ने करीब करीब १ लाख रुपया खर्च करके बाजार को बनाने की योजना बनाई है। जमीन का पैसा भी उन्हीं को खर्च करना पड़ा है, यदि सरकार इस सड़क को ग्राम सड़क से नहीं जोड़ेगी तो मैं समझता हूं कि बाजार की योजना बिल्कुल व्यर्थ हो जायगी।

मेरे क्षेत्र में स्कूल की कुछ इमारतें बनाई गई, किन्तु कई जगह वे अधूरी पड़ी हैं। लाम्बोडी में प्राइमरी स्कूल भवन की रचना की गई, लेकिन उसकी बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। चारभुजा में एक स्कूल का निर्माण किया गया है। लोगों के द्वारा उनके सामर्थ्य के मुकाबले में काफी धन भी दिया गया और सरकार यानि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की ओर से भी पैसा खर्चा गया है। लेकिन उस इमारत को पूरा करने में सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कुम्भलगढ़ की पहाड़ी तहसील में हायर सेकण्डरी स्कूल की नितान्त आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, वे स्वयं इस बात को अनुभव करते होंगे कि इतने बड़े पहाड़ी क्षेत्र में जहां कि २०—३० मील के क्षेत्रफल में कोई दूसरा हायर सेकन्डरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं है वहां हायर सेकन्डरी स्कूल की कितनी उपयोगिता हो सकती है। इमारत पूरी नहीं होने के कारण हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं खोली जा सकतीं, यह कहना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज तक पी० डब्ल्यु डी० के चार्ज में जो सड़कें हैं, उनमें भी गन्ने बहुत कम लगे हुए हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि चारभुजा से पड़ासली वाया रोद का गुड़ा तक पुरानी सड़क है किन्तु उसकी बराबर देख रेख नहीं की जाती, परिणाम यह हुआ है कि आज उक्त सड़क पर बसें नहीं चल कर गोतमती होकर बसें आती जाती हैं। चूंकि ऐसी छोटी-छोटी कई पुरानी सड़कें हैं जिन्हें कि महाराणा ने अपने कार्यकाल में संभवतः राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थीं वे सड़कें इस खराब हालत में पड़ी हैं। पहाड़ी सड़कों के लिये ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। मरम्मत नहीं होने के कारण आम तौर से आवागमन बन्द कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इन सड़कों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, उनको सुधारने की आवश्यकता है। सेवंत्री से चारभुजा की सड़क चूंकि पहाड़ी केन्द्र है, मैं समझता हूं कि वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया उसी समय से बीच-बीच में बड़ी ऊंची-ऊंची व टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हैं। घाटियां अब तक भी नहीं तोड़ीगई हैं, इसलिये वहां एक्सीडेन्ट होने का खतरा रहता है, मैं समझता हूँ कि चारभुजा से देसूरी की जो सड़क बनाई गई है, वह पी० डब्ल्यु डी० ने बनाई है। सड़क अच्छी बनी है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी कई स्थानों पर विकट घाटियां रख दी हैं और ऐसे मोड़ दे दिये गये हैं कि जहां कम से कम एक वर्ष में तीन फेटल एक्सीडेन्ट हो चुके हैं और दो तीन आदमी मारे गये हैं। दो—तीन लोडिंग ट्रक भी उलटे हैं। इस बात को मैं जानता हूँ इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ कि जहां सड़कों के बनाने की योजना सोचते हैं और सड़कें बनाते हैं तो उन्हें एक दम सतर्कता के साथ बनाना चाहिए।

(श्री मनोहर कोठारी)

अन्त में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां नेशनल हाईवे, या दूसरी सड़कें बनाई जाती हैं वहां किसानों की खेती बाड़ी को अनावश्यक तौर से बरबाद किया जाता है। पहाड़ी इलाके में खेती की जमीन की ज्यादा कमी है। वहां एक-एक बीघे जमीन की ५-५ हजार की कीमत होती है। पी० डब्ल्यू डी० के अधिकारी अधिकांश में उन सारी जमीनों को अपने हाथ में ले ले कर उनकी मिट्टी खोद देते हैं और खेतों के बीच में सड़क डाल दी जाती है और सारी मिट्टी उठाकर सड़कों के अन्दर डाल दी जाती है, यही नहीं इतना कर देने पर भी मुआवजा तय नहीं किया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे में जो गांव गौमती नदी के पास घणीणा से मोजावतों के गुड़े तक पड़ते हैं, कई महीनों पूर्व उनमें जमीनें सड़क में ले ली गई और पैसा अभी तक उन्हें दिया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि निर्माण के काम में जहां उन किसानों की इतनी महत्वपूर्ण जमीनें ले ली जाती हैं, वही काफी होता है, लेकिन कम से कम उनको मुआवजा तो समय पर मिलना चाहिए।

इसके सिवाय अन्त में एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब सड़कें बनाई जाती हैं तो किसानों की जमीनें सड़क के अन्दर चली जाती हैं, उसके बाद से भी रेवेन्यु विभाग किसानों से बराबर जमीनों का लगान वसूल करता है। किसान के पास खेत नहीं होने पर भी लगान किस तरह से मांगा जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता है, इस बात से ज्यादा आश्चर्य की और क्या बात हो सकती है? मैं समझता हूं कि इस ओर शीघ्र ध्यान देकर लगान जो उनसे वसूल किया जाता है, उसको माफ करना चाहिए और जो चढ़ा हुआ लगान है वह उसको छोड़ देना चाहिए तथा मुआवजा जो अभी तक चुकाया नहीं गया है उसको अविलम्ब मुआवजा चुकाना चाहिए। संबन्धित मंत्री महोदय को यह सोच कर कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन की कठिनाई है, मैं समझता हूँ, कि अभी सड़कों के संबंध में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, उसमें स्वीकार किया गया है पिछड़े हुए प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता है केवल व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंध जोड़ने के लिए भी सड़क की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश बरसों से पिछड़ा हुआ रह गया। वहां अब थोड़ी सी विकास की किरण दिखाई दी है। विकास योजनाओं के द्वारा आज इस तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं, उनका ज्यादे से ज्यादा उपयोग हो सके, इस बात का राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए। यह मेरी इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय समाप्त हुआ और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी यह तीसरा वर्ष है, लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें न तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का कोई कार्य हुआ और न जब यह तीन वर्ष हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(श्री शंकरलाल)

के गुजर चुके हैं अभी तक कोई भी कार्य उस क्षेत्र के अन्दर सड़कों का नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया और मैं इस बात से सहमत हूं कि सड़कों का निर्माण वहां आवश्यक है जहां के लोगों को इस बढ़ती हुई प्रगति और विकास के सम्पर्क में लाना जरूरी है। जहां पहाड़ी इलाका है और जहां रेतीला इलाका है, जहां के लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं और प्रगति की दीवार के अन्दर एक दूसरे से मिल नहीं सकते, वहां सड़कों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। जिस क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं उसका तीन चौथाई हिस्सा पहाड़ी और दूर दूर आया हुआ है, जहां कि कोई भी रास्ते व मार्ग की व्यवस्था नहीं है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा।

यह जो इलाका था पहले दूसरे इलाके में था और उसके बाद में जब राजस्थान बना तो राजस्थान के अन्तर्गत आया; तब कुछ ऐसा हिस्सा है जहां कि पहले पत्थर की मामूली सड़कें नजर आती थीं और बहुत सा ऐसा हिस्सा है जहां कि सर्वे हो चुका है, लेकिन सड़कों के निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं पहले उन हिस्सों के बारे में निवेदन करूंगा जहां पहले सड़क बनी हुई थीं, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सैंदड़ा से रामगढ़ कोटड़ा होती हुई जसकोट तक ४ माइल का टुकड़ा है जो जीर्ण अवस्था में है। देखने से मालूम पड़ता है कि उसके लिए बहुत कम खर्चे की आवश्यकता है और इस इलाके की जनता ने कई बार प्रार्थना-पत्र भेजे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इसकी मरम्मत न हो।

इसी प्रकार सैंदड़ा से चितार तक ८ माइल का टुकड़ा है। वहां का रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ है और जगह जगह दांत निकले हुए हैं उस पर से कोई मोटर तो क्या जीप तक मुश्किल से जाती है। ऐसा छोटा काम भी आसानी से हाथ में लिया जा सकता है।

इसी प्रकार मैं उन सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा जहां पर जनता की मांग पर सर्वे हो चुका है लेकिन एक भी कार्य हाथ में आज तक नहीं लिया गया। ब्यावर से समेल बाबरा, रास, लांबिया तक २२ माइल का टुकड़ा है। इस सड़क के बारे में पाली के जिलाधीश और पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने बताया था कि इस इलाके को सुरक्षा और बहतरी के लिए एक सड़क बहुत ही अनिवार्य है। इधर काफी डाकू पनाह लेते हैं इसलिए यह २२ मील का टुकड़ा सुरक्षा और सुविधा के लिए बनना आवश्यक है। पाली जिले के कलेक्टर ने मजबूती के साथ इसकी सिफारिश की थी।

इसी प्रकार काणूजा से झाला की चौकी तक की सड़क की बात है। काणूजा उदयपुर से थोड़ी सी दूरी पर है। इससे झाला की चौकी तक का ५ माइल का टुकड़ा है जो बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र की जनता को आने जाने में बहुत तकलीफ रहती है। यह मामूली टुकड़ा है और इसका सर्वे भी हो चुका है इसलिए इस काम को जल्दी ही हाथ में लेना चाहिये।

इसी प्रकार खुशालपुर, लांबिया, नींबाज होती हुई ८ माइल का टुकड़ा है जिसके सर्वे

Page No.54

(श्री शंकरलाल)

का कार्य हो चुका है। आस-पास के गांव वालों ने कहा है कि हम कुछ कॉन्ट्रिब्युशन, श्रमदान और रोकड़ भी दे सकते हैं, लेकिन आश्चर्य होता है कि उनकी मांग की अब तक सुनवाई क्यों नहीं की गई !

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि सरकार की पॉलिसी रही है कि तहसील हैड क्वार्टर्स को सड़कों से मिलाया जाय और मुझे खुशी थी कि हमारे मन्त्री जी ने गत वर्ष कहा था कि रायपुर तहसील को आम सड़क से मिलाया जायगा, लेकिन खेद है कि यह कार्य अब तक नहीं हुआ और न यह इस वर्ष के बजट में दिखाई देता है। दूसरा एक ऐसा कार्य था जो अनावश्यक था उसके बदले में इसको आवश्यक समझ कर पूरा करने की आज्ञा दी थी, लेकिन वह अनावश्यक कार्य पाली से सवाला फिर रख दिया गया है। पाली जिले की विकास समिति ने तय किया था कि पाली से हेमावास और रायपुर तक की सड़क को इसके बदले में लिया जाय, लेकिन वही पुराना कार्य बजट में दिखाई देता है और जो आज्ञा मन्त्री जी ने दी थी उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया, इसका पता नहीं लगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। पीपलिया से नींबाड़ा, चांवड़िया, आगेवा होती हुई जैतारण तक ११ माइल का टुकड़ा है, वह पहाड़ी क्षेत्र रेतीले क्षेत्र से मिलता है और आस पास के कई गांवों की जनता इस रास्ते से आती जाती है, इसलिए यह ११ मील का बहुत ही आवश्यक टुकड़ा है। रायपुर से लीलाम्बा, खुशालपुरा, चांवाड़िया होती हुई बिलाड़ा तक सड़क का टुकड़ा है जिसका कई दफा रूट दिया गया है, जिस पर एक बार बस जाती है तो बाद में जाना पसन्द नहीं करती और डिसकन्टिन्यू करना पड़ता है। वह भी ऐसा टुकड़ा है जिसका बनना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही झाला की चौकी से बराठिया खुर्द तक ४ मील का टुकड़ा है। इस इलाके में हजारों आदमी, १ लाख से कम जन-संख्या, बरांठिया के मेले पर इकट्ठी नहीं होती होगी और दूसरे भी हजारों आदमी इधर से गुजरते हैं, यह ४ मील का टुकड़ा है जो अत्यन्त ही आवश्यक है, इसलिए इसको हाथ में लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, वैसे एक क्षेत्र की बात कहते हुए कभी कभी ऐसा महसूस होता है, और कुछ हद तक यह ठीक भी है, कि क्षेत्रीय भावना और एक क्षेत्र की बात कहनी पड़ती है जब कि सारे राजस्थान की बात सोचना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का जब एक अंग हो चुका है और जिस प्रकार शरीर होता उसका एक हिस्सा ज्यादा विकसित होता है और मजबूत होता है और दूसरा हिस्सा विपरीत और ज्यादा कमजोर हो तो अच्छे वाला हिस्सा भी भद्दा दिखाई देता है, इसी प्रकार बाहर के मनुष्य को देखते हैं कि किसी का पेट ज्यादा फूला हुआ है तो उसके शरीर का दूसरा भाग भी भद्दा दिखाई देता है और वह पेट भी भद्दा दिखाई देता है। मैं यह नहीं कहता कि किसी क्षेत्र के लिए सरकार की दूसरी तरह की भावना है, लेकिन वास्तविकता की ओर सरकार को ध्यान रखना चाहिये। जो पैसा विकास कार्य में खर्च किया जाय वह समान रूप से खर्च किया जाय ताकि राजस्थान चारों तरफ से एक सा विकसित दिखाई दे और शिकायत न हो कि एक ही हिस्सा बढ़ रहा है। सभी हिस्से एक साथ नहीं बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।

पाली जिले के कई हिस्से अच्छे दिखाई

(श्री शंकरलाल)

देते हैं। बाली और देसूरी में जांय तो वे अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही पाली जिले के रायपुर और जैतारण तहसीलों का दौरा करेंगे तो इनमें और बाली देसूरी तहसीलों में बहुत अन्तर दिखाई पड़ेगा और आप यह नहीं कह सकेंगे कि ये भी उसी पाली जिले के हिस्से हैं, जिसके बाली और देसूरी भी हिस्से हैं और ऐसा मालूम होगा कि पाली जिले रूपी शरीर के एक अंग को लकवा मार गया है। इस प्रकार रायपुर का हिस्सा पाली जिले में विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि रायपुर और दूसरे और उस क्षेत्र में जो मार्गों की समस्या है उससे जनता को कठिनाई महसूस होती है उस पर ध्यान दें और मैंने सुझाव रखे हैं उनकी विभाग के द्वारा जांच करवाकर जो आवश्यक हों उनके लिये रास्तों की व्यवस्था की जाय, क्योंकि आगे भी प्रथम पंचवर्षीय योजना गुजर गई और द्वितीय योजना के तीन साल गुजर गये। इन ८ सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो उस क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य होता है कि हमारे यहां की मांग आपके सामने रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मांग नहीं रखने से, किसी इलाके की आवाज न उठाने से भी ऐसा हो सकता है उस इलाके की आवाज नहीं उठाई गई है, वहां से मांग नहीं आई है इसलिये वहां कुछ नहीं किया जाय। वैसे तो जिला विकास समिति और ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भी मौजूद हैं और उनकी प्रतिलिपियां भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन साथ ही मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वहां की उचित मांग आपके द्वारा सरकार के सामने रखूं और मुझे आशा है कि अवश्य ही उस पर ध्यान दिया जाकर मार्ग सुधारने और सड़क-निर्माण की ओर अवश्य कदम उठाया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके कुछ हिस्से का मैं भी समर्थन करता हूं। यद्यपि बाली और सुमेरपुर सामुदायिक योजनाओं में जिला बंटा हुआ है, लेकिन पाली तहसील पर सरकार की कब शुभ दृष्टि होगी, यह पता नहीं है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आज ही क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान देकर कुछ फरमाया है उस पर आशा लेकर बैठना चाहिये और कटौती प्रस्ताव को ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिये। लेकिन पाली सड़क का निर्माण होगा और पाली में एक गर्ल्स स्कूल के लिये बिल्डिंग बनाने का कटौती प्रस्ताव रखा है। यह छोटा सा प्रस्ताव है और लंबी-चौड़ी सड़क की मांग नहीं करना चाहता। मैं एक सडक जो पाली से मांडिया, रूपावास होती हुई कुलथाना तक जाती है, वह सड़क कुल १० मील का टुकड़ा है। इस १० मील सड़क के टुकड़े की क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है? यह बतलाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, वे उसी जिलेजन के हैं और मेरी समझ में उस रास्ते से कई बार वे गुजरे होंगे। उस सडक की महत्ता क्या है? उस सड़क के बनने के कारण ५० हजार जनता, जो उन गांवों में रहती है, उनको सुविधा होगी और जो ७० छोटे मोटे गांव हैं, उन सारे गांवों को पाली से कनेक्ट किया जा सकता है। उस सडक की दूसरी महत्ता मैं दूसरे रूप में नहीं बताना चाहता क्योंकि उस सडक के कारण कितने ही जानवरों को सुविधा होगी। क्योंकि जालौर तहसील के और पाली तहसील के एक बड़े हिस्से के लोगों का आने

(श्री मूलचन्द डागा)

जाने का यह रास्ता है, जो अपने धान को लेकर इस रास्ते से निकलते है । यह रास्ता इतना रेतिला है, ऊबड़-खाबड़ है, जिसके कारण हर साल किसानों के बैलों को तकलीफ उठानी पड़ती है और गाडियों का वजन खींचते खींचते कई बार उनके प्राण मुंह पर आ जाते हैं । यह बात भी कोई छिपी हुई नही है । इस बात को पूर्ण रूप से सोचें तो इस सड़क की अधिक आवश्यकता हमारे समक्ष आती है । इस सड़क की आवश्यकता इसलिए भी है कि एक सीधा रास्ता जालौर तहसील से पाली तहसील तक हो सकता है, इस सड़क के द्वारा जालौर तहसील को भी कनेक्ट कर सकते हैं । अभी माननीय मंत्री जी ने वहां फेमिन के सिलसिले में केवल ११ हजार रुपया लगाने की योजना रखी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क का, आठ-नौ मील का टुकड़ा है, उस सड़क को बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि कई जानवरों को, वहां के रहने वालों को बड़ा आराम और सुविधा होगी । यह भी मैं बताऊं कि इस सड़क के बीच में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कल्वर्ट भी नहीं बने हुए हैं । इस सड़क की ज्यादा चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता । मैं अपील करूंगा किसी प्रकार से इस सड़क का निर्माण राजस्थान सरकार करने के लिए सोचे ।

दूसरा जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखा वह यह है कि पाली शहर में एक गर्ल्स स्कूल है, जिसमें कम से कम ६०० लड़कियां पढ़ती हैं और उस गर्ल्स स्कूल में केवल २०० लड़कियों के पढ़ने की जगह है । उस स्थान में ६०० लड़कियां पढ़ाने की योजना आज भी चलती है । आप देखिये कि लड़कियों को बरामदे में बैठना पड़ता है, धूप में बैठना पड़ता है । मैं उस भवन का विस्तार करने के लिए अर्ज नहीं करता, यह नहीं कहता कि नया मकान बनाया जाय, लेकिन आज की जो मौजूदा पाठशाला है, जो कन्या पाठशाला है, इसके पास ही चार, पांच कमरे हैं, पुरानी हुकूमत के बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, उन कमरों की तोड़ फोड़ करके, उनकी रद्दोबदल करके उन्हें कन्या पाठशाला के लिए ठीक कर दिया जाय तो फिलहाल के लिए लड़कियों की पाठशाला के लिए सुविधा हो सकती है । इस प्रकार के मेरे दो सुझाव हैं । एक तो छोटी सड़क का है और दूसरा कन्या पाठशाला के भवन के विस्तार का है । मैं इन दोनों कटौती प्रस्तावों को आपके सामने रखता हूं, इनका निर्माण किया जाय तो अत्युत्तम होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री आबिदअली ।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव सपोटरा से सवाई–माधोपुर सड़क के बारे में रखा है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि जहां तक देश के निर्माण का सम्बन्ध है, इस सड़क की इम्पोर्टेन्स बहुत बड़ी है । यह एक मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन और ट्रान्स–पोर्टेशन है और इससे लोगों के आने जाने में सुविधा होती है । इसके साथ ही साथ बिज़नेस पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाय तो यह सड़क बहुत बड़ी इम्पोर्टेन्स रखती है । सवाई माधो–पुर में अनफोर्चुनेटली दो तहसीलें ऐसी हैं जो बहुत अन्डर डेवलप्ड हैं, एक तो खंडार और दूसरी सपोटरा । सवाई माधोपुर एक डबल मेम्बर कान्स्टिट्यूएन्सी होने के कारण तीन तहसील रखती है । तो ये दो तहसीलें, सपोटरा और खंडार, अन्डर डेवलप्ड होने के साथ ही साथ, इनमें सड़क की व्यवस्था ठीक ढंग

Page No.57

(श्री आबिद अली)

की नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जहां तक सपोटरा का सम्बन्ध है, इसमें कोई सड़क ऐसी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से इसको मिला सके। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि सपोटरा को हैड क्वार्टर सवाई-माधोपुर से मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त तक इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सपोटरा को सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से मिलाने की जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, सपोटरा तहसील का जहां तक सम्बन्ध है, सपोटरा से नारोली तक एक सड़क बनाई जा रही है। मेरा सुझाव है कि जो सड़क बनाई जा रही है, वह ज्यादा लाभदायक पब्लिक के लिए नहीं हो सकती जितनी कि अगर यह दूसरे रूट से बनाई जाय, तब होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सपोटरा से हाडौता तक जो सड़क जाती है, उसको बनाया जाय। हाडौता की सड़क को सवाई-माधोपुर से आसानी से मिलाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि हाडौता के बराबर ही बनास नदी है और बनास के पास जो भूरी पहाड़ी गांव है, वहां तक बस रन करती है। लेकिन यह रास्ता बड़ा खराब रास्ता है। उस सड़क में गड्डे ही नहीं बल्कि मिट्टी भी इतनी है कि गाड़ी के चलने में परेशानी होती है और पब्लिक को भी परेशानी होती है। जो लोग मुसाफिर होते हैं, उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है और आज वक्त तो गाड़ी को रात भर पड़ा रहना पड़ता है। इस रूट पर बस रन करती है, इसलिए इन्सानी तकाजा तो यह है कि जिनसे आप टैक्स वसूल करते हैं उनको पूरी सुविधा सड़क की आप दें। अगर यह सुविधा मिल जाती है तो जो सफर करने वाले लोग हैं उनको सहूलियत मिल जाती है। यह सड़क जब सवाई माधोपुर तक जुड़ेगी तो कई गांव इसके बीच में आयेंगे। सवाई-माधोपुर तहसील तक जब सड़क जावेगी तो श्यामपुर बीच में पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष महोदय, श्यामपुर, डलेडा, शहरपुर आदि प्रोडक्टिव इलाके हैं, वहां पर बहुत गल्ला होती है। उनको भी बहुत सुविधा मिल सकती है। अभी बस सर्विस जिस रास्ते से चलती है, चूंकि वह बहुत खराब है, इसलिए रूट को चैक करने के सिलसिले में बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि हर एक पॉइन्ट ऑफ व्यू, बिज़नेस पॉइन्ट ऑफ व्यू से, सवाई माधोपुर से सपोटरा को जल्दी से जल्दी मिला दिया जाता है तो वहां के लोगों की तकलीफ एक हद तक दूर हो सकती हैं, बिज़नेस को भी बहुत हद तक फायदा पहुँच सकता है, एग्रीकल्चर को फायदा पहुंच सकता है।

इसी सम्बन्ध में एक निवेदन और है कि सवाई-माधोपुर शहर से शहर को जो सड़क जाती है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है। अगर फिगर्स लिये जायं तो जितने भी एक्सीडेन्ट्स हुए हैं, उनका रूट कॉज मालूम किया जाय, कोर्ट में जो एक्सीडेन्ट के मामलात जाते हैं और अदालत उन पर जो फैसला करती है, उनसे रूट कॉज़ मालूम किया जाय, तो चूंकि इस सड़क की चौड़ाई कम है इसलिए वहां पर ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं। इसका कारण एक यह भी है कि वहां पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। एक तो कोर्ट आ गया है, दूसरी एग्रीकल्चर कॉलेज स्टेशन पर ही है; इन कारणों से करीब १५०–२०० तांगे चलते हैं, उसके साथ ही साथ बसेज़ चलती हैं, टैक्सीज़ भी काफी तादाद में चलती हैं, कारें भी

(श्री आबिदअली)

चलती हैं। इसके अलावा सीमेन्ट फैक्ट्री फलौदी का रास्ता भी यही है। इस प्रकार इस सीमेन्ट फैक्ट्री का ट्रेफिक भी बहुत हैवी है। इस सडक की चौडाई बहुत कम है, इसलिए एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं, हर महीने दो महीने में एक्सीडेन्ट होते हैं, कभी साइकिल वाला मर जाता है, तो कभी गाड़ी वाला मर जाता है। ये एक्सीडेन्ट तभी खत्म हो सकते हैं, जब कि सडक की चौडाई को जो ६ फीट है, और बढ़ा दी जाय। अगर सडक की चौडाई बढ़ा दी जाती है तो उससे आने जाने वालों की तकलीफ दूर हो जाती है और साथ ही साथ जो एक्सीडेन्ट होते हैं, वे भी एक हद तक खत्म हो जाते हैं। यह एक इमीजियेट नेसेसिटी है कि सवाई माधोपुर स्टेशन से शहर तक की सडक की चौडाई ज्यादा की जाय। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेन्ट इस सिलसिले में उचित कार्यवाही करेगी और जल्दी ही इस सडक को चौडा करने की कोशिश की जायगी। मैं समझता हूं कि रात दिन चलने वाली सडक की चौडाई नौ फीट कम है, इस पर सरकार ध्यान दे।

तीसरी सडक सवाई माधोपुर से पाली तक जाती है। हालांकि यह सैंक्शन्ड रोड है लेकिन काम धीरे हो रहा है। सवाई माधोपुर की ज्योग्राफिकल पोज़िशन इस तरह की है कि सवाई माधोपुर से पाली तक पहाड़ बहुत मिलता है, नाले भी आते हैं और नाले के साथ ही साथ बहुत बड़े–बड़े पत्थर भी आते हैं। खुशावाला एक मुकाम है, वह पांच मील का टुकड़ा है, यह टुकड़ा ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाड़ी फुल्ली लोडेड हो, सवारी भरी हुई है, तो वह सही सलामत आ जाय। कभी उसकी स्प्रिंग टूट जाती है, कभी बर्स्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लोगों को इससे सख्त परेशानी होती है। इस जगह दरिन्दे भी बहुत हैं, शेर का खतरा है। कभी कभी इस मुकाम पर गाड़ी रात भर पड़ी रहती है और इससे लोगों को परेशानी होती है, उन्हें लालटेन आदि लेकर आठ मील दूर शहर तक जाना पडता है। यह तकलीफ इस तरह दूर हो सकती है कि सवाई माधोपुर से पाली तक जाने वाली जो सैंक्शन्ड रोड है, उसका काम एक्सपीडाइट हो, जल्दी-जल्दी काम चले और सड़क बन जाय। दूसरे इस रोड पर सीमेंट फैक्टरी है, फलोदी क्वेरीज़ हैं, इन क्वेरीज़ को सड़क वहां से जाती है; वहां ट्रेफिक हैवी है, इस वजह से गहरे गड्ढे सड़क में पैदा हो गये हैं और सड़क में बड़े-बड़े पत्थर निकल आये हैं, हिल्ली ब्रेक होने से पत्थरों का निकल आना सम्भव है। इसलिए इस तरफ भी मैं उम्मीद करता हूं, गवर्नमेण्ट जरूर जरूर ध्यान देगी।

एक सड़क सवाई–माधोपुर से टौंक उणियारा को मिलाने के लिए चल रही है। जिस तरह पंचवर्षीय योजना चल रही है उसी तरह यह चल रही है, पांच वर्षों में यह सड़क गो के पूरी हो गई है फिर भी बहुत से ट्रेक ऐसे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि सड़क पूरी हो जायगी पर इमीजियेट नेसेसिटी है वह यह है कि तमाम वाटर्स को निकालने के लिए ब्रिजेज बनाने चाहिये, योजना जरूर है, पर ये ब्रिजेज़ बन जाने से सवाई माधोपुर से जयपुर तक सड़क ठीक हो जाती है, जो सड़क सवाई माधोपुर से दौसा होकर जाती है उसमें से बरसात में हो-कर निकलना नामुमकिन होता है और ट्रेफिक बारिश के दिनों में बन्द रहता है। टौंक से सवाई माधोपुर की सड़क पूरी हो जाती है और इस पर ज्यादा पुल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो जगह पुल बन जाते हैं, जो

(श्री आबिदअली)

छोटे-छोटे पुल होंगे, इन पर ज्यादा लागत भी नहीं होगी, मैं समझता हूं कि एक एक पुल पर दस-दस, पंद्रह–पंद्रह हजार रुपये लगा दिये जाते हैं तो यह सड़क हर वेदर के लिए, हर मौसम के लिये जयपुर से सवाई माधोपुर तक उपयोगी हो सकती है। एक पुल तो (अश्रव्य) बना दिया जाय और दूसरा पुल, गम्भीरी नदी है, उसका छोटा पाट है वहां पर भी ब्रिज बनाने की योजना है, ये दो पुल बन जाते हैं तो सवाई माधोपुर से जयपुर तक की सड़क सब मौसमों के लिए खुल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों सड़कों के बारे में मैंने जो बातें रखी हैं सरकार उनकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ४ कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। ये कटौती प्रस्ताव जिनमें से एक प्रस्ताव पाठशाला भवन बनाने के सम्बन्ध में है, बाकी प्रस्ताव सड़कों से सम्बन्ध रखते हैं। इन प्रस्तावों को, अध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ लेना चाहूंगा। क्योंकि इन तमाम के पीछे एक ही दलील है, एक ही तर्क है और एक ही युक्ति है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय, सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करूंगा कि कोटा भी इस दृष्टि से किसी प्रकार से आगे नही है और जो स्थिति आज सड़कों की कोटा डिवीज़न के अन्दर, है; मैं समझता हूं कि शायद ही राजस्थान के किसी हिस्से के अन्दर ऐसी स्थिति और सड़कों की की होगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो एक आम कटौती का प्रस्ताव सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में है, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा क्योंकि वैसे तो सड़कें इतनी ज्यादा खराब हालत में हैं कि इनके एक-एक के कटौती के प्रस्ताव लाए जायं तो सैकड़ों की तादाद में कटौती के प्रस्ताव हो सकते हैं, जिनसे सदन का समय वृथा जा सकता है। इसलिए मैंने एक कटौती का प्रस्ताव तो सामान्य रूप से सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने के लिए रखा है और दूसरा तथा तीसरा कटौती प्रस्ताव दो सड़कों को उदाहरण स्वरूप लेकर राज्य सरकार के सामने वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए रखा है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की यह स्थिति है कि नई सड़क बनते देर नहीं लगती और उसमें गहरे–गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, इन पर चलना मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि कोई गर्भवती स्त्री इन सड़कों पर से गुजरे तो उसको लेडी डाक्टर या नर्स की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके बहुत से कारण हैं, और हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अधिकारियों का सड़कों के सम्बन्ध में कोई अच्छा नियन्त्रण नहीं है, कोई अच्छा कन्ट्रोल नहीं है, कोई अच्छा निरीक्षण करने की प्रणाली नहीं है। दूसरी बात जिस भ्रष्टाचार की चर्चा आम तौर पर की जाती है, वह भ्रष्टाचार इस विभाग में भी अध्यक्ष महोदय, मौजूद है। सड़कों को बनाने में जो मेटीरियल काम में लाया जाता है वह इतना खराब होता है कि सड़कें अधिक समय तक टिक नहीं सकतीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो रही है कि राज्य सरकार प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण के लिए काफी मात्रा में धन–राशि का प्रावधान रखती है, लेकिन

Page No.60

(श्री रामेश्वरदयाल)

देखना यह है कि यह होते हुए भी आज हम सड़कों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सके हैं। । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अब मैं दो एक सड़कों के उदाहरण सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। पहला जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह है कोटा से, रंगपुर जाने वाली सड़क के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, इसके किनारे पर ही हमारी राजस्थान सरकार ने एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का निश्चय किया है। कोटा की एक बड़ी टेक्सटाइल मिल इससे आगे है, इससे आगे रेलवे की बड़ी वेगन फैक्टरी बनने वाली है, आगे चला जाय तो हम रंगपुर के पास ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो बहुत ही रमणीक स्थान है जिसको देखने के लिए हजारों आदमी प्रतिवर्ष वहां पर जाते हैं। आगे चलकर एक बहुत अच्छा कस्बा बूंदी जिले का आता है, जो पाटन, है इसके अन्दर एक बहुत विशाल मन्दिर है, वहां प्रति वर्ष मेला भरता है, जहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, यात्री आते हैं जाते हैं और सात दिन तक यह मेला रहता है।

इस प्रकार की यह सड़क महत्वपूर्ण है। हमारा सौभाग्य था कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी भारत सेवक समाज का शिविर देखने रंगपुर पधारे थे। उस समय लोगों ने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से शिकायत की थी, एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा लोगों को मिली थी कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी पधारे हैं तो इस सड़क के बनाने का बहुत जल्दी से जल्दी मौका आ जायगा। इस सड़क के बारे में बहुत अर्से से लोग शिकायत करते रहे हैं, लोगों को विश्वास था कि गंगा आई है हमारी प्यास बुझ जायगी।

२ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब कि हमारे माननीय मन्त्री महोदयों का कहीं भी आगमन होता था तो उस समय सड़कों और जितने भी लोगों के अभियोग होते थे, वे उनके सामने बगैर रखे हुए भी अपने आप मिट जाते थे। लेकिन यह जो आशा लोगों के हृदय में बंधी हुई थी वह कुछ दिन बाद इस सड़क के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होने के कारण निराशा में परिणत हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क की यह हालत है, शायद माननीय मुख्य मन्त्रीजी को याद आवेगा और उन्हें याद नहीं आए तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह वही सड़क है जिस पर आने जाने से पाव इन्च और आधा इन्च धूल शरीर पर जम सकती है, है। यह हाल इस सड़क का है। दूसरी सड़क माननीय उपाध्यक्षजी, कोटा जंक्शन के पास, जहां कि पॉवर हाउस का सब स्टेशन स्थिति है। वह सड़क माल रोड के नाम से कहलाती है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसके किनारे पर वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न का बड़ा भारी दफ्तर है और आगे चल कर छोटा सा बाजार है और आगे चल कर इस विभाग के अधिकारियों के बंगले बने हुए हैं और फिर आगे चल कर मिल्ट्री ट्रेनिंग सेन्टर है और आगे चल कर पुलिस लाइन है। इसलिए यह सड़क भी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके बारे में भी ६-७ साल से शिकायत चली आ रही है। यह दो-ढाई मील का टुकड़ा है, माननीय उपाध्यक्षजी, जो अभी भी बन नहीं पाया है। आज यह हालत है कि जगह जगह गड्ढे हैं और आना-जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक अन्य कटौती

(श्री रामेश्वरदयाल)

प्रस्ताव हमारे शहर में पाठशालाओं के भवनों की जो दुर्व्यवस्था है, उसके बारे में है। हमारे शहर में बच्चे और लड़कियों के कई प्रारम्भिक स्कूल हैं और ये ज्यादातर किराये की इमारतों में है। सरकारी भवन न तो हैं और न अब तक कोई कोशिश की गई इनके बनाने की। उपाध्यक्षजी, इनका भी सड़कों से ज्यादा बुरा हाल है। बहुत सी स्कूलें तो ऐसी हैं जिनमें हवा और रोशनी का प्रवेश नहीं हो पाता है और इतनी गन्दी हालत में हैं कि बदबू की वजह से वहां पर बैठना मुश्किल होता है। माननीय उपाध्यक्षजी, आज हम कल्याणकारी राज्य की बातें सोच रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की कसौटी है कि आम जनता को बिना किसी भेद भाव के सब सुख–सुविधायें और सुरक्षा प्राप्त हों। लेकिन सड़कों और पाठशालाओं के भवनों की दृष्टि से आज हम यह कह सकते हैं कि इस कल्याणकारी राज्य को लाने में हम ज्यादा सफलता केसाथ प्रगति नहीं कर सकें हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, इन स्कूलों में हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, जो हमारे भविष्य की उज्ज्वल आशायें हैं और जो हमारे सर्व-सम्पन्न और नये राजस्थान के बनाने वाले नागरिक हैं, पढ़ते हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसी इमारतों में पढ़ने वाले, जिसके अन्दर हवा और रोशनी का ठीक प्रकार से प्रवेश न हो, तो क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी तपेदिक की बीमारी से बच सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष, क्या जिस नये राजस्थान के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं क्या उस नये राजस्थान में इस प्रकार से तपेदिक से पीड़ित नागरिक रहेंगे ? यह एक अहम् बात है, जो विचारणीय है, बजट के वक्त जब सामान्य बहस हुई थी तब भी यह बात सामने आई और वह बात बजट के आंकड़ों से प्रमाणित होती है कि लाखों रुपया सरकार ने चालू वर्ष में बचाया है और वह खर्च नहीं करने की वजह से ही तो बचा है। माननीय उपाध्यक्षजी, जिन बच्चों और बच्चियों का जिक्र मैंने यहां पर किया है, इन पाठशालाओं में पढ़ते हैं, इन इमारतों में राष्ट्र के भावी नागरिक जिनका शासन में हाथ होगा, जिनका मन्त्री–मण्डल के निर्माण हाथ होगा, जिनको अधिकारी वर्ग की श्रेणी में आने का अधिकार होगा, वे पढ़ते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार द्वारा दूसरे मदों में रुपया लेप्स कर दिया जाता है, बचा लिया जाता है। क्या यह रुपया भावी नागरिकों के पाठशाला भवनों के सुधारने के लिये, बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिये, अच्छी सड़कें बनाने के लिये नहीं खर्च किया जा सकता है ? अगर दो-चार लाख रुपया भी खर्च कर दिया जावे. माननीय उपाध्यक्षजी, तो मैं यह कह सकता हूं कि जितनी भी प्रारम्भिक स्कूलें हैं उनके सबके भवन आसानी से बनाये जा सकते हैं। इसके साथ खेल–कूद के मैदान भी हो सकते हैं और सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा से बौद्धिक विकास के साथ हर प्रकार से मानव का विकास होना चाहिये, मानसिक और शारीरिक विकास भी होना, चाहिये, भौतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन भवनों में अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया, ज्ञान दे दिया और उनके शरीर का विकास नहीं किया और बिगाड़ दिया, तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे हमारे प्रान्त और देश की क्या सेवा कर सकेंगे और हमारे प्रान्त को इससे क्या लाभ होगा ? यह प्रश्न विचारणीय है।

(श्री रामेश्वरदयाल)

यह जो प्रस्ताव कटौती के मैंने रखा है बहुत ही मामूली हैं। इसमें कोई ज्यादा रकम की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि मौजूदा दुर्व्यवस्था हमारे घोषित लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य के लिये बहुत बड़ी भारी चुनौती है, जिसका राज्य सरकार को सामना करना चाहिये और उसको जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

मैं मानता हूं कि राज्य सरकार की मर्यादायें हो सकती हैं, राज्य सरकार के लिये बाधाएं हो सकती हैं, उनकी सीमायें हो सकती हैं, रुपयों की कमी हो सकती है और दूसरे क्षेत्रों का भी तकाजा हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप कोटा पर ही खर्च कीजिये। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि जिनकी न्यायोचित मांग हैं उनको भी मिलना चाहिए, आप दूसरे क्षेत्रों पर भी खर्च कीजिये। लेकिन साथ ही हमारे क्षेत्र पर भी खर्च कीजिए, कोटा की क्या बात करें ? आप बूंदी और झालावाड़ को ले लीजिये। झालावाड़ की ओर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिले की सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखा है, जितना कहा जाय कम है। आज इतनी अव्यवस्था है सड़कों के सम्बन्ध में कि उसका वर्णन करना कठिन है। सिर्फ मामूली बात है माननीय मंत्री महोदय की कृपा हो जाय, उनकी कृपा की आवश्यकता है, उदारता की आवश्यकता है; यदि थोड़ी उदारता और कृपा इस भाग पर भी कर लें तो मैं समझता हूं कि कटौती प्रस्ताव सदन में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो मैंने विचार रखे हैं, जो तथ्य उनके सामने रखे हैं उन पर विचार करेंगे और हमको भी अपनी उदारता से और महरबानी से, जिसके लिए वे सुविख्यात हैं, महरूम नहीं रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : No, it is a matter of right and not that it is a matter of clemency.

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही में कहा था कि हमारे भी अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ थोड़ी उदारता भी हो जाय।

श्री चन्दनमल वेद : वे तो नागौर और उदयपुर तक सीमित हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : (अपना भाषण जारी रखते हुए) लेकिन उन अधिकारों को पूरा करने में भी कभी कभी बाधायें आ जाती हैं। इसीलिए निवेदन किया था कि उन अधिकारों को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय, कुछ उदारता दिखायें, सड़कों और भवनों का सवाल है. जो थोड़े से लाखों की रकम खर्च करने से पूरा हो सकता है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय गम्भीरता के साथ और शान्ति के साथ इस पर विचार करेंगे और जो कटौती प्रस्ताव हैं, उनमें जो अभियोग बताये गये हैं उनको पूरा करने में पूरी पूरी मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचंद्र।

श्री रामचंद्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय,...

(श्री मुक्तिलाल मोदी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मुक्तिलालजी, आप क्या फरमा रहे थे ?

Page No.63

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक कटौती प्रस्ताव पर, दूसरे माननीय सदस्य ने रखा है, उनके सपोर्ट में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्टेज तो बाद में आवेगी।

श्री रामचंद्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३६, मेजर हैड ८१, के सम्बन्ध मे जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है, वह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाने के लिए ही रखा है। अभी एक साल पहले इसी सदन में झालावाड़ की ओर से सामूहिक रूप से मांग की गई थी कि झालावाड़ में सड़कों का बड़ा अभाव है और झालावाड़ की सड़कों की दुर्दशा का चित्र भी इस सदन के सम्मुख रखा गया था। उस समय हमको यह विश्वास दिलाया गया था कि पुरानी बातें सब भूल जाइये, इस साल आपके वहां की सड़कों के लिए हमने काफी रुपया मंजूर किया है, इस साल अवश्य सड़कें बन जावेंगी। उस आशा को लेकर हम विचार में रहे कि मंत्री महोदय ने इस बार तो पूरा ही वादा किया है कि हमारे यहां की सड़कें बन जावेंगी, लेकिन जब छः महीने का समय निकल गया और सड़कों का कहीं भी काम आरम्भ नहीं हुआ तो मैं सिर्फ याद दिलाने की गर्ज से मंत्री महोदय से मिला और कहा कि श्रीमान् इस वर्ष के छः महीने तो गुजर चुके हैं और जिले में सड़कों का कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। यदि यही हालत रही तो आपके वादे के खिलाफ तमाम कार्यवाही होगी। इस पर श्रीमान् ने मुझे आशा दिलाई कि मुझे याद है। बहतर तो यह है कि आप चीफ इन्जीनियर साहब से जाकर मिलो। आपके आदेशानुसार मैं चीफ इन्जीनियर साहब के दफ्तर में गया और उनके पास विनम्र प्रार्थना रखी। उसका उत्तर पहले तो यह मिला कि बिला वजह सड़कों के लिए कहते फिरते हो, झालावाड़ में काफी सड़कें बन गई हैं। अगर विश्वास न हो तो दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड देख लीजिये।

एक माननीय सदस्य : रिकार्ड क्या ? नक्शें।

श्री रामचन्द्र : (अपना भाषण जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझको ऐसा विश्वास दिलाया गया तो इस बात का पता लगाने के लिए, आया कि झालावाड़ जिले में सड़कें नहीं है या चीफ इन्जीनियर साहब के दफ्तर में झालावाड़ में कितनी सड़कें बन चुकी हैं, गया, लेकिन मुझे वहां मालूम हुआ कि यहां तो सड़कें बनाने के लिए किसी ठेकेदार ने और किसी इन्जीनियर ने कदम नहीं रखा है, लेकिन दिखाया यह गया कि इसका प्रिलिमिनरी वर्क तैयार हैं, गिट्टी पड़ गई है, इन्जिन नहीं मिल रहे हैं। मैंने प्रार्थना की कि सरकारी दफ्तर में इस प्रकार का रिकार्ड रख कर मन्त्री महोदय को और अन्य उच्चाधिकारियों को इस प्रकार का भुलावा देना ठीक नहीं है। मैं झालावाड़ का निवासी हूँ और वहां की एक एक इंच से वाकिफ हूँ। आप मुझे ऐसी बात कह कर कैसे भुलावा दे सकते हैं। अगर विश्वास न हो तो आप आइये या किसी ओवरसीयिर या इन्जीनियर को मेरे संग भेजिये, मैं झालावाड़ का एक एक हिस्सा बता दूं और फिर आप अपने नक्शों से मिलान कर लीजिए, आपका रिकार्ड और झालावाड़ की सड़कों का रिकार्ड कहां तक है। आपके इन्जीनियर साहब के ऊपर मेरी बात का प्रभाव पड़ा और कहने लगे कि घबराइये नहीं, अभी बड़े इन्जीनियर को लिख देता हूँ जो सड़कों का अभाव तुरन्त पूरा कर देंगे। आपने पत्र जरूर लिखा और उसका मैं बड़ा आभारी हूँ, लेकिन जो नतीजा निकला

(श्री रामचन्द्र)

वह यह निकला कि झालावाड़ की सड़कें पिछले साल जैसी थीं वैसी की वैसी पड़ी हैं। जरा इनके चित्र आपके सामने रख दूं। मैं सड़कों के लिए इतना जोर दे रहा हूँ इसलिए नहीं है कि सड़कें मेज पर रखे जाने वाले गमले के समान हैं या मेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हों बल्कि राज्य के लिए आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि सड़कों के बगैर किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, सड़कों के बगैर किसी क्षेत्र में पूरा लॉ एन्ड ऑर्डर नहीं रह सकता है। झालावाड़ की स्थिति राजस्थान के मान-चित्र में देख लीजिये कि झालावाड़ में कितने यातायात के साधन होने आवश्यक हैं। यदि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको कहूँगा कि सरकार की इस गलती की वजह से लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। झालावाड़ जिले में सड़कें नहीं होने से वर्षा ऋतु में सिवाय दो तहसीलों के बाकी सब तहसीलें टापू बन जाती हैं। चार महीने तक क्या मजाल की कोई अधिकारी कलेक्टर वगैर वहां आ जा सकें। आप इकलेरा से मनोहर थाना में आ जा नहीं सकते। रास्ते में पुलिया बिना बनी हुई पड़ी है। उसके बनते बनते यह तीसरा वर्ष है। दूसरी सड़क है झालरापाटन से पीड़ावा। इसका ज्यादा भाग मध्य भारत में है। केवल सोजत से लेकर पीड़वा तक दस मील का टुकड़ा है उसको बनते हुए पांच वर्ष हो गए। एक मील के टुकड़े को बनाते बनाते तीन वर्ष हो गये। पुलिया का हिस्सा अब तक नहीं बना है। मालूम हुआ कि ठेकेदार लोगों को लगाकर पुलिया बनाने का काम आरम्भ हो गया है और कुछ बन भी गई है और यदि वह बरसात के पहले पूरी नहीं हुई तो पीड़ावा और झालरापाटन की वही हालत रहेगी जो वर्षों से थी। तीसरी सड़क झालावाड़ से सुनेल टप्पा तक की है, तीस मील यह लंबी है। २४ मील तो वह हिस्सा है, जो भवानी गंज को जाता है सूलिया होकर सुनेल के लिए छः मील का टुकड़ा है जिसमें से १।। मील का टुकड़ा तो पहले ही बन चुका है और ४।। मील के टुकड़े की मन्जूरी मध्यभारत में पहले ही से हो चुकी थी, गिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। चौथी सड़क है पचपाड़ सुनेल रोड। इसकी यह दशा है कि जैसीलिया से सुनेल वाली सड़क का है। सुनेल से पिवाड़सी १४ मील की सड़क है। इस पर कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। सरकार की मन्शा है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तहसील का दूसरी तहसील से मिला दिया जावे। मैं नहीं समझता कि झालावाड़ की सड़कों की दुर्दशा ऐसी क्यों बनी हुई है ? मैं आशा करता हूँ कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में इन सड़कों की ओर जरूर ध्यान दिया जायगा।

पंचपहाड़ से डग और डग से श्री गंगधार जो इस जिले की तीनों बड़ी तहसीलें हैं, का केवल दस मील का टुकड़ा बना है, बाकी सड़क तो वैसी ही पडी हुई है। इस सड़क के लिए मुझे तो अब तक यह बताया गया है कि उस पर बहुत काम हो चुका है। यह झालावाड़ की सड़कों की दुर्दशा है जिसकी वजह से मजबूर होकर के सदन में और माननीय मन्त्री महोदय के सम्मुख यह कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का साहस हुआ है। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। एक बात और कहना चाहता हूँ, यद्यपि ये सड़कें ३६, ३०, ३४ मील की बन चुकी हैं, लेकिन सम्पूर्ण सड़कें अभी नहीं बनी हैं। यह तो ऐसा कार्य है जैसे खाना तो पूरा बन गया लेकिन उसमें नमक नहीं डाला

(श्री रामचन्द्र)

गया है। जब तक खाने में नमक नहीं डाला जाय उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। यही हालत इन झालावाड़ की सड़कों की है। सड़कें तो बन गईं, लेकिन पुलिये अभी तक नहीं बन पाई हैं। इनके बनने की बात तो तीन चार वर्ष से चल रही है, लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ....

श्री चन्दनमल वेद : मन्त्री महोदय को ब्लड प्रेशर की बीमारी है इसलिए नमक नहीं खाते हैं।

श्री रामचंद्र : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव इस आशय से रखा है कि इस प्रस्ताव द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाऊं ताकि जो छोटे छोटे टुकड़े बिना बने रह गये हैं वे बरसात के पहले पूरे हो जायं। रही बडी सड़क जैसे पचपहाड़ से श्री गंगधार वाली सड़क, उनको बरसात के बाद में शुरू कर दिया जाय।

इसके अलावा एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ, वह यह कि पिछली बार आठ सड़कों की मन्जूरी हुई थी और उसके लिये ८ लाख रुपये का प्रोवीज़न रखा गया था। उन आठ लाख रुपयों में से इस साल कितना खर्च किया गया, यह भी माननीय मन्त्री महोदय अपना जवाब देते समय बताने की कृपा करेंगे। बस, मेरा इतना ही कहना है, मेरे जिले में सड़कों की कमी है और इसी बात की ओर मैंने सदन का ध्यान दिलाया है।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य के समर्थन में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती का प्रस्ताव तो नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप स्थान ग्रहण करिये। श्री मुक्तिलाल मोदी को भी समर्थन में बोलने नहीं दिया गया तो आपको कैसे इजाजत दी जा सकती है ?

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१ के अन्तर्गत तीन कटौती के प्रस्ताव हैं।

पहला प्रस्ताव है चूरू जिलाधीश के कार्यालय की इमारत के न बनाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु।

दूसरा प्रस्ताव है राजगढ़ जिला चूरू में पशु–चिकित्सालय के मकान न बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए।

और तीसरा प्रस्ताव तारानगर-साहवा सड़क तथा राजगढ़ से सालू जाने वाली सड़कों की खराब हालत पर विचार करने के लिये है।

ये तीनों कटौती के प्रस्ताव हैं जो जिला चूरू से सम्बन्धित हैं। माननीय उपाध्यक्ष, जितने भी मेरे साथी बोले हैं उनमें एक–दो सदस्यों की तरफ से एक विशेष आवाज आयी है, वह यह कि हमारे क्षेत्रों के साथ पक्षपात बरता गया है। वास्तव में हम लोग जो यहां आये हैं, जो विभिन्न इलाकों से निर्वाचित होकर आये हैं। इसलिये हमारा यह फर्ज हो जाता है कि अपने-अपने इलाकों के अन्दर किसी भी प्रकार के अभाव हों, उनको विधान

(श्री मोहरसिंह)

सभा के अन्दर लाकर प्रस्तुत किया जाय, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम सारे राजस्थान के साथ साझीदार बनें। आज हमें केवल क्षेत्र की दृष्टि से ही नहीं, सारे राजस्थान के लाभ की दृष्टि से सोचना होगा, यह जिम्मेदारी आज हमारी है। यहां जो १७६ विधान सभा के सदस्य बैठे हैं उन सब का यह कर्तव्य है कि वे सारे राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए बातें रखें। मैंने भी अपने जिले के लिये तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। वहां की हालत पर जब हम विचार करते हैं तो हमें दिल में यह महसूस करना पड़ेगा कि वास्तव में इस जिले के साथ ग्रान्ट के तहत में इन्साफ नहीं हो रहा है। अभी-अभी एक साथी ने नाम लेकर बताया कि ऐसा हाल सड़कों का है। लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि हमें सबको समान रूप से देखना चाहिये, किसी भी क्षेत्र के साथ पक्षपात न हो। हम सब जो यहां आये हैं बहुत बड़े उसूल को लेकर आये हैं। एक तरफ तो विकास का युग है और हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। वैसी हालत में हमारे राजस्थान की जो आबादी है, डेढ़ करोड़ की, उसका उत्थान करने के लिये हम लोग यहां आये हैं। आज हम देखते है कि ज्यादा सुविधा उदयपुर को दी जाती है। इस सवाल पर विचार करते समय यदि मुख्य मंत्री होते तो उनको बताया जाता, क्योंकि वह उनका जिला है, लेकिन आज वे एक जिले के नहीं सारे राजस्थान के विकास के जिम्मेदार हैं। आज हमारा समाजवाद का नारा है, विकास का नारा है, उसमें हमें खेती का विकास करना है, उस विकास करने के अन्दर जितने साधनों की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा नैतिकता की आवश्यकता है। इस चीज का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो जो विकास इस युग में हम करने जा रहे हैं उसमें हम सफलता पा सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। जब हम इस चीज में जाते हैं तो हमें पुराने जमाने की बातें याद आ जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो कट मोशन है उसी पर आप बोलिये।

श्री मोहरसिंह : यह भी उसी से संबंधित है, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी प्रश्न पर आ जाइये।

श्री मोहरसिंह : (जारी रखते हुए) इन सारी चीजों को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि पक्षपात जरूर हुआ है, चार करोड़ के करीब की यह योजना हैं इसके अन्दर सारे जिले के हिसाब से अनुपात लगाया जाय तो चूरू जिले के लिये जो रकम खर्च कर रहे हैं वह करीब चार लाख के है, जो सारे जिले के हिसाब से एक प्रतिशत खर्चा इस जिले पर आता है। यह न्याय संगत चीज नहीं हो सकती। यह इलाका जो पिछड़ा इलाका है इस पर विशेष खर्च किया जाना चाहिये, लेकिन प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो कुछ खर्च हुआ, इस जिले पर वह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव मैंने रखा है कि चूरू जिलाधीश के कार्यालय की इमारत बनाई जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। माननीय मंत्री महोदय या उनके साथी कई दफा वहां गये होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जहां जिलाधीश का कार्यालय है वहां कितनी छोटी छोटी कोठड़ियाँ हैं। आज जो छः सात तहसीलों का जिला है, जिसकी आबादी साढ़े पांच लाख के करीब है, ऐसी जगह का जिलाधीश ऐसे स्थान पर बैठे जिसकी हालत बहुत शोचनीय है, तो यह

(श्री मोहरसिंह)

हमारे लिये शोभा की चीज़ नहीं है। आप दिन में भी वहां गैलरीज़ में जाकर देखें तो आपको अन्धकार दिखाई देगा। उस इमारत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह इमारत तो तहसील के मकान के लिये भी काफी नहीं है।

इसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव मैंने रखा है जो राजगढ़, जिला चूरू में पशु चिकित्सालय के मकान न बनाने के संबन्ध में है।

राजगढ़ का इलाका पंजाब से लगा हुआ इलाका है, यहां के पशुओं की नस्ल बहुत अच्छी है। वहां सरकार ने कृपा करके एक छोटी सी डिस्पेन्सरी खोल दी है, लेकिन उसके लिये मकान की सुविधा नहीं। वह डिस्पेन्सरी एक किराये के मकान में काम करती है। हिसार की नस्ल के पशु और एक छोटा बछड़ा भी ४००, ५०० रुपये की कीमत का होता है, लेकिन इतना होने पर भी इनके इलाज के लिये किसी प्रकार के मकान की सुविधा नहीं, यह अच्छी चीज मालूम नहीं होती। वहां पर इस किस्म का मकान होना चाहिये कि वहां पर पशुओं को रख कर इलाज करवाया जा सके।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है तारानगर-साहवा सड़क का तथा राजगढ़ से सांखू जाने वाली सड़क के बारे में है। इस सड़क का हाल ऐसा है कि राजाओं के जमाने में जो सड़कें बना करती थीं और आज जो सड़कें बनती हैं उसमें अन्तर जरूर है और वह अन्तर इस प्रकार का है; ८६ के अकाल में राजगढ़ से सांखू तक एक सड़क बनी थी जो वर्षों तक चलती रही, लेकिन अब उनके अन्दर से कंकर निकलने और जो अब की दफा फेमीन के वक्त में साल भर पहले जो रोड़ियां बिछाई गईं और जितने भी हिस्से पर रोड़ियां बिछाई गईं वे तो रोड़ियां बिछने के साथ ही निकलने लग गईं, हालत यह है कि राजाओं के समय में बिछी हुई रोडियां अब तक मौजूद है और अब जो बिछाई गईं वह इधर तो बिछाते जाते हैं और उधर निकलती जाती हैं। आज हम देखते है कि वहां पर आध-आध हाथ के गड्ढे पड़े हुए हैं। मोटर वाले लोग तो इसका फल भुगतते ही हैं, कितना ही टेक्स उनसे लिया जाता है, लेकिन सड़कों का जो हाल है उससे तो मोटर वाले उनको याद करते रहते हैं। आप यह अन्दाज लगा सकते हैं जहां कंकर निकल गये और आधे हाथ जितने गहरे गड्ढे पड़ गये वहां मोटर किस प्रकार चल सकती है? यह वास्तव में एक ऐसी सड़क है जिसकी मरम्मत होनी चाहिये। आगे बनाना तो दूर रहा लेकिन जो सड़क मरम्मत के अभाव में खराब पड़ी है, उसका तो पुन: निर्माण होना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं इन तीनों कटौती के प्रस्ताव के लिये उम्मीद करता हूं, कि संबंधित मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे और विचार करके उनके लिये कुछ कोशिश करेंगे और कोई गुंजाइश निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कटौती प्रस्ताव आज कोई नया नहीं है, क्योंकि गये साल भी जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस अवसर पर भी ऐसा ही कटौती प्रस्ताव रखा था कि समदड़ी और करमावास के गांवों को जोडने के लिये उनके बीच में यातायात की व्यवस्था करने के लिये सड़क बनाई जाना जरूरी है। उस वक्त मैंने अपने कटौती प्रस्ताव को इसलिये वापिस ले भी लिया था कि मंत्री महोदय ने

(श्री अनूपसिंह)

यह कहा था कि मैं इस रोड के बारे में जागरुक हूं और जानता हूं कि जरूरी है और इसके बारे में कुछ न कुछ किया जावेगा; कभी भी होगा और सब कुछ होगा । इस भरोसे पर मैंने अपना कटौती प्रस्ताव गये साल भी वापिस ले लिया था ।

पर मैं देखता हूं कि शायद वह मैंने उस समय गलती ही की । आज तक वहां कुछ नहीं किया गया, न सर्वे किया गया, न कोई विचार किया गया । इसलिये मैं आज बाध्य हुआ हूं इस कटौती प्रस्ताव को दुबारा रखने के लिये । अब इस प्रस्ताव को रखने और इस पर जोर देने और आपके नोटिस में लाने की बार बार क्या ऐसी बड़ी आवश्यकता पड़ गई, इस पर मैं थोड़ा निवेदन कर दूं । समदड़ी और करमावास दो गांव हैं । बीच में इनके एक नदी है । नदी के एक किनारे यह गांव है, दूसरे किनारे दूसरा गांव है । समदड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है, आज भी है और आगे भी महत्वशील होने जा रहा है, यह आप जानते ही हैं । कांडला पोर्ट से जो रेलवे लाइन आती है वह समदड़ी होकर जाती है और समदड़ी एक बड़ा जंक्शन हो गया है और आगे भी बड़ी भारी रेलवे को बढ़ाने का वहां प्लान है। लाखों रुपयों का बजट उस के लिये रक्खा गया है । समदड़ी के एक बहुत बड़ी व्यापार की मंडी का केन्द्र बनने की भविष्य में बड़ी भारी आशा है । इस प्रगति को देखते हुए सरकार जो चुपचाप बैठी है, यह उचित नहीं है, सरकार को समय पर उसकी प्रगति में योग देना चाहिये । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि आज जो सबसे बड़ी रुकावट, उसके बहुत बड़ी मण्डी बनने में, आ रही है वह यातायात का अभाव है । सिवाय ऊंट के और कोई सवारी वहां काम नहीं आ सकती । इससे यातायात की वृद्धि की सारी संभावना रुकी हुई है। मैं मानता हूँ नदी खराब है । काफी पैसा लगने पर ही कुछ हो सकता है । पर कांडला पोर्ट की वजह से जो इसका महत्व बढ़ने वाला है और उससे जो आस-पास के इलाके के लोगों में खुशहाली आने वाली है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि उनकी उस खुशहाली का द्वार सरकार जल्दी से जल्दी खोल दे । कम से कम अभी दोनों गांव ही सड़क द्वारा आपस में जोड़ दिये गये तो काफी यातायात की सुविधा हो जावेगी और आस-पास के गांवों के लोग आसानी से अपना सामान वहां मण्डी में ला सकेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे ।

मैं यह नहीं कहता कि आप अभी वहां कन्क्रीट की सड़क बना दो । ऐसी कुछ बना दो कि लोग आ जा सकें । अगर यह दूसरी योजना के आखीर तक भी पूरी हो सके तो ऐतराज नहीं । पर कुछ न कुछ होना जरूरी है ।

इस यातायात के अभाव में आज आपकी विकास की जो योजनायें हैं वे लेकर आपके सरकारी कर्मचारी वहां नहीं जा सकते । वहां न जीप जा सकती है, न बैलगाड़ी ही जा सकती है । ऐसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि यह दरगुजर कर जाने की या बिलकुल मजाक में टाल जाने की चीज नहीं है ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है उस इलाके के बारे में जो बाड़मेर का रेगिस्तानी इलाका है । मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय कई बार उधर गये हैं और उधर की हालत से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्हें तरस भी बहुत आई होगी उन लोगों की हालत को देख कर जो

(श्री अनूपसिंह)

लाखों की तादाद में वहां बसते हैं । वहां न उनके लिए कोई यातायात का साधन है, न और कुछ विकास योजनाओं का फायदा है; कुछ नहीं है। जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही आज भी हैं। वहां बिलकुल चलने का रास्ता नहीं है या तो पैदल चल सकते हैं या ऊंट पर। लोग वहां अलग—अलग ढाणियों में रहते हैं। वहां कई बड़े-बड़े गांव भी हैं जहां दो-दो हजार की बस्ती भी हैं। इस यातायात के साधन के अभाव के कारण होता यह है कि लोग बाहर आ जा नहीं सकते, बहुत इन्टीरियर के लोग आस—पास के गांवों में आसानी से नहीं आ सकते, अगर वे किसी तरह से रेल को पकड़ना चाहें तो बड़ी भारी दिक्कतों के साथ उनको वह रास्ता पार करके रेल तक आना पड़ता है, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है । उन्हें चिकित्सा और शिक्षा की भी कोई सुविधा नहीं और किसी डेवलपमेन्ट की सुविधा नहीं । वहां अगर आप कोशिश करें कि ये सुविधायें उनको दी जावें तो कैसे दी जावें ? आपके कर्मचारी वहां नहीं जा सकते, उनकी जीपें वहां काम नहीं देती । अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आस-पास के हस्पताल में पहुँचने के लिये कोई साधन नहीं, रेल पकड़ने के लिये कई मील उसे रेगिस्तान पार करने की दिक्कत पड़ती है।

हमारे बजट में ५, ४० हजार की राशि इसके लिए रक्खी गई है, पर वे सड़कें किस दिन तैयार होंगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं । इसके लिये इन्जीनियर तक सर्वे करने में थक जाते हैं। वे कहते हैं वहां सर्वे कैसे करें ? जहां इन्जीनियर तक यह सोचते हैं तो फिर रोड बनने का तो सवाल ही अभी पैदा नहीं होता और मैं यहां आपका ध्यान दिलाऊं कि वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा, शिक्षा एवं विकास की अन्य सुविधायें देने के लिये भी पहले सड़क की सुविधा देना आवश्यक है, इसके बिना दूसरी सुविधायें भी वहां नहीं पहुंच सकतीं । आपका कोई विभाग वहां नहीं पहुँच पाता। इस लिये ये यातायात की सुविधा देना जरूरी है। इसके बाद दूसरे जितने भी विकास कार्य हैं उनका काम वहां शुरू किया जा सकता है। इस लिए ये मेरे दो छोटे से प्रस्ताव थे; मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इनके ऊपर ध्यान देकर और आगे आने वाले बजट तक मैं समझता हूं कि इसमें किसी न किसी तरह की प्रगति इतनी तो हो कि वहां का सर्वे हो कर, वहां का तखमीना लिया जाकर काम शुरू हो जाये, तब तो हमें यह विश्वास हो सकता है कि वास्तव में आप कुछ कर रहे हैं। एक साल पहले मैंने मंत्री महोदय को याद दिलाया था कि आपने जो रूट बनाये हैं वह गलत हैं या सही हैं और उन्होंने मान लिया था कि अगर यह सही नहीं हैं तो इसका कोई आलटर्नेट कर लिया जायेगा। मगर मैं देखता हूं कि वहां कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है जिससे हम सोच सकें कि वहां के लिए आपका ध्यान है। इसलिए मैं दोनों प्रस्तावों को रखते हुए स्थान ग्रहण करता हूं ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी व श्री गिरधारीलाल दोनों के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही एक साथ ? मुक्तिलालजी आपका क्या प्रश्न है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : साहब, समर्थन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हमने समर्थन करने और पक्ष में बोलने के रूल को रिलेक्स कर

(श्री उपाध्यक्ष)

रखा है । अगर आप पांच मिनट बोलें और दूसरे सदस्य नहीं बोलें, इसका आप विश्वास दिलाते हैं तो पांच मिनट सिर्फ बोल सकते हैं । उसके बाद में मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री गिरधारीलाल : अभी तो १५ मिनट का समय पड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हमने उन रूल्स को भी रिलेक्स कर रखा है ।

श्री गिरधारीलाल : यह तो हमारे साथ अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस अधिकार को वापिस लेता हूं । श्री मुक्तिलाल मोदी केवल ५ मिनट ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी तो समय पड़ा है और केवल पांच मिनट ही बोलने को दिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसी बात को दृष्टिकोण में रखकर यह बात नहीं कही है । हां, आरम्भ रखिये

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो मांग संख्या ३६ के ऊपर कटौती का प्रस्ताव माननीय जगदीशप्रसाद ने रखा है, सड़कों आदि के बनाने में ठेकेदारी प्रथा के ऊपर, इसका मैं समर्थन करता हूं । उसमें ठेकेदार लोग किस किस तरह से इन सड़कों के बारे में गलतियां करते हैं इसकी तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार ने ६ वर्ष पहले जो ठेका पास किया था वह आज भी राजस्थान सरकार ने पूरा नहीं किया है और वह सड़क जयपुर से देहली रोड है और जो नेशनल हाईवेज़ रोड कहलाती है, उसके लिए जब कि राजस्थान सरकार को आज से ५ वर्ष पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया था, उस रोड को आज भी राजस्थान सरकार उन रुपयों के द्वारा पूरा नहीं करा पा रही है । आज से साल भर पहले मिनिस्टर साहब द्वारा इस हाउस में वायदा किया जाय फिर भी वह काम नहीं होता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव कौन सा है जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मांग संख्या ३६ पर ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है उसमें ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ठेकेदारी प्रथा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप सड़कों पर चले गये थे इसलिये मुझे ख्याल नहीं रहा था ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह सब ठेकेदार ही तो बनाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने भीलवाड़ा से मेड़ तक की सड़क बनाने के लिए जो हाउस में वायदा किया था कि ५८ के अन्त तक वह सड़क पूरी हो जायेगी उस सड़क का काम आज तक भी शुरू नहीं हुआ है । जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही है । तो इस हाउस के अन्दर माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जवाब इस हाउस में क्यों दिया जाता है ? अगर जवाब दिया जाता है तो उस काम को, उस सड़क को पूरा अवश्य कराना चाहिए ।....

श्री उपाध्यक्ष : यह किस जवाब के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। कब जवाब दिया ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक साल पहले दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास कुछ लिखा हुआ है या केवल स्मृति से कह रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब याद नहीं है, हाउस की प्रॉसीडिंग्ज़ में है। मंत्रीजी ने जवाब दिया है और वह मौजूद है। वैसे मैं याद से नहीं कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कौन से महिने की प्रॉसिडिंग्स हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : फरवरी के महिने की प्रॉसिडिंग्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जवाब नहीं है तो उसका एक्सट्रेक्ट न दें। हां, आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरी चीज यह है कि जो ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है और उन ठेकों के अन्दर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन ठेकेदारों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जब कि एक ठेकेदार काम नहीं करता है तो दुबारा उस ठेकेदार के टेन्डर क्यों लिये जाते हैं ? जब तक कि ऐसे ठेकेदारों के नाम ब्लेक लिस्ट में आउट नहीं किया जायगा और जब तक उस ठेकेदार का नाम ठेकेदारों की लिस्ट में से कैन्सिल नहीं किया जायगा तब तक सरकार को फायदा नहीं होगा और काम भी नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर खुद अपने वर्क चार्ज पर काम करायेगी तो उसमें सरकार सक्सेसफुल होगी।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके और मेरे बीच में पांच मिनट का समझौता हुआ था। अच्छा एक मिनट और ले लीजिए।

श्री चन्दनमल वेद : दो मिनट और दे दीजिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तीन मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की राय है कि दो मिनट और दे दिये जायें। हां, आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी ठेकेदारों के बारे में जो निवेदन मैंने हाउस के सामने किया उसको माननीय मन्त्री जी गौर से, ध्यान में रखते हुए इस बात पर गौर करेंगे कि उन ठेकेदारों को ठेका नहीं दिया जाय। दूसरे पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर जो बिल्डिंग्स पब्लिक ने बनाकर सरकार को दे दी हैं और उनमें एजूकेशन की स्कूलें और डिस्पेन्सरीज़ चल रही हैं उनको सरकार एक्वायर नहीं कर रही है.........

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आप विषयान्तर हो रहे हैं। प्रश्न ठेकेदारी प्रथा के लिए है, इसमें इमारतें नहीं आनी चाहिएं, ठेकेदारी आ सकती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इमारतें ठेकेदार ही तो बनाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो पहले ठेकेदारी लीजिए और फिर इमारतें ले लीजिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ठेकेदारी तो सब जगह पर होती है आजकल दुनिया में।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो राजस्थान के अन्दर पी० डब्ल्यू. डी. का काम चल रहा है, अगर सरकार उस बात को देख ले कि ठेकेदारों को ठेका न देकर और वर्क चार्ज के ऊपर अगर सरकार काम कराये सड़कों का, बिल्डिंग्स का तो मेरा ऐसा मानना है कि वह काम जल्दी हो सकता है, अच्छा हो सकता है और फिर इसके ऊपर ऑफिसरों की भी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो मेरे दूसरे माननीय सदस्य पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं वह कहना भी उनका मिट जायेगा। परन्तु सरकार इस बात के लिए यह तय कर ले कि हमें वर्क........

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

चार्ज के ऊपर ही सड़कों और बिल्डिंग्स का काम कराना है तभी यह काम पूरा होगा।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री भोगजी भाई : उपाध्यक्ष महोदय, तीन बजे तक समय रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मांग संख्या ३६ के सिलसिले में जो प्रस्ताव मैंने इस सदन के सामने पेश किया था, उस सिलसिले में करीब २१ कटौती प्रस्तावों पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाके के कुछ अभाव-अभियोगों के बारे में जिक्र किया। इन प्रस्तावों में एक ऐसा प्रस्ताव था जो कि सीकर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने, जो कि जनसंघ के मेम्बर हैं, इस मांग पर रखा। मैंने उस कटौती प्रस्ताव पर जो उन्होंने बहस की उसको काफी गौर से सुना। जो प्रस्ताव उन्होंने इस मांग पर रखा था उसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यह ठेकेदारी की प्रथा होने से इस महकमे में भ्रष्टाचार चलता है और उन्होंने कुछ उदाहरण भी अपने भाषण में दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता था कि वे विस्तार से कुछ इस मामले में प्रकाश डालेंगे; परन्तु उन्होंने जो कुछ थोड़ा सा हिन्ट इस सदन में इस प्रथा के बारे में दिया, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदारी की प्रथा जो हमारे इन विकास कार्यों के करवाने के लिए पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में चलती है और जितने भी बड़े–बड़े काम जो हमारे प्रान्त में चलते हैं या सारे देश भर में चलते हैं इन विकास के कार्यों को चलाने के लिए ठेकेदारी प्रथा को तुरन्त इस क्षेत्र से हटा नहीं सकते। उनका स्थान है इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए और इस विभाग के इन कामों को पूरा करने के लिए इस प्रथा को आज दिन चालू रखना पड़ता है और आने वाले कुछ दिनों में भी इसको रखना पड़ेगा। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में यह मानना है कि अगर इस ठेकेदारी प्रथा को हटाया तो इसके बारे में दूसरा क्या आल्टर्नेटिव हो सकता है? इसके, जहां तक मैं सोच पाया हूं, दो ऑल्टर्नेटिव हो सकते हैं। एक तो यह कार्य जो हम करना चाहते हैं विकास के उन कार्यों को, डिपार्टमेन्ट के जरिये करवाये जायं, या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कुछ मजदूरों की लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाय और उनके जरिये यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ काम करवाये जायं या कुछ ग्राम पंचायतों के जरिये काम करा सकते हैं या सार्वजनिक कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन हों, जैसे कि भारत सेवक समाज कि उनके जरिये हम कुछ काम करवा सकें। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में नीति इस मामले में चालू है और हमने इस समस्या पर विचार किया है और आज से करीब २ साल पहले एक सर्क्यूलर जारी किया था, हुक्म जारी किया था, जिसके जरिये अगर १० हजार तक के काम ग्राम पंचायतों में या मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देना भी चालू किया है और भारत सेवक समाज के जरिये भी कुछ बड़े बड़े काम, जैसे कि चंबल के बांध के काम में और कुछ नहरों की खुदाई के काम और वाटर वर्क्स के काम, छोटे छोटे काम भारत सेवक समाज और मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये चालू किये हैं। उदयपुर डिवीज़न में काफी ऐसी सोसाइटीज़ हैं और जोधपुर डिवीज़न में भी काफी लेबर सोसाइटीज़ हैं, परन्तु वे पिछले दो तीन सालों में बनी हुई हैं, जहां छोटे काम करनी वाली सोसाइटीज़ हैं उन सोसाइटीज़ का काम सुचारु रूप से चल रहा है और उनका काम ठीक ढंग से चल रहा है और उनके बारे में हमें अभी तक किसी प्रकार की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु इन सोसाइटीज़ के पास, मजदूरों की कमेटियों के पास में और पंचायतों के पास में फन्ड्स की कमी रहती है और वे बड़े बड़े काम जो कि लाखों रुपयों के होते हैं उन कामों को करने में असमर्थ हैं, क्योंकि न उनके पास टेक्निकल जानकारी है और न फन्ड्स जिससे कि वे इन कामों को कर सकें। आज के इस क्षेत्र में बड़े बड़े विकास के काम हैं, इसलिए निहायत जरूरी हो जाता है कि ठेकेदारी प्रथा को चालू रखा जाय। अगर डिपार्टमेन्ट के जरिये करवाना पड़े तो डिपार्टमेंट में जो अभी मशीनरी मौजूद है उस मशीनरी को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उसके बढ़ाने के बाद में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और खर्चा बढ़ने के बाद भी जैसा कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा आगे भी निवेदन किया है, यह जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है और जो ईमानदारी की बात हम सब चाहते हैं; वे सारी बातें निर्भर करती हैं आखिर समाज के स्तर पर। उसी समाज से लोग बहुत से क्षेत्रों में जाते हैं; चाहे वे अफसर हों, चाहे इस सभा में बैठने वाले माननीय सदस्य हों, वे सभी उस समाज से आते हैं। जब तक सारे देश और समाज का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठ जाता है, हम इस बात की गारन्टी नहीं कर सकते हैं कि अमुक काम को अमुक जगह और अमुक तरीके से करवाने से फिर सारे का सारा भ्रष्टाचार मिट जायगा। यह एक साथ होना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुमकिन नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट के जरिये बड़े बड़े कामों को करवाने में, फिर जिस प्रकार के जनतन्त्रीय युग में रूल्स और रेगुलेशन्स से काम करने का हमारा जो तरीका है, उन सारे कामों को जो एक इन्डिविजुअल ठेकेदार एक मामूली से काम को करने में जल्दी से, दिमाग लगाकर, मशीनरी सेट करके, कर सकता है; उसी काम को, इसी विभाग के जरिये, इसी तरीके के जरिये, जिस तरीके से अब काम करते हैं जिसमें कि एक कागज २५ जगह निकलने के बाद आखिर जाकर फाइनल बनता है, बड़े बड़े काम में पैसा खर्च करने के तरीके से अगर डिपार्टमेंटल तरीके से काम को करने लगें तो जिस गति से डिलीज़न एक इन्डिविजुअल आदमी ले सकता है, एक इन्डिविजुअल रिस्क उठा सकता है, उस मामले में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिपार्टमेंट से इतने सीधे और सरल तरीके से काम भी नहीं चल सकता है। मैं सीधा इस बात पर ज्यादा जोर देकर कहता हूं कि आज दिन ठेकेदारी प्रथा को एकदम, तुरन्त विकास के क्षेत्रों से, पी. डब्ल्यू. डी के महकमे से हटा कर सारे काम को डिपार्टमेंटल तरीके से करवाना या दूसरी संस्थाओं के जरिये करवा लेना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस प्रथा को बर्दाश्त करना पड़ेगा, परन्तु जो बात कही गई है कि कुछ लोगों को यह टाइम शिड्यूल, टेन्डर्स मंगाने का वह टाइम शिड्यूल मर्जी आती है, जिस तरह से महकमा उसको कर देता है। माननीय उपाध्यक्ष, बात ऐसी नहीं है। हमारे सब कामों के लिए नियम हैं, जैसा कि मैंने आपसे आगे भी निवेदन किया था, सदन के माननीय सदस्यों के सामने कि पी. डब्ल्यू. डी. का काफी पुराना विभाग है और इस विभाग में जितने क्षेत्र हैं उनके लिए जितने नियम हैं, जितने भी कानून कायदे हैं और जितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, फाइनेन्स मेनुअल और जितने भी रूल्स हैं, वे राजस्थान के दूसरे जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे अच्छे हैं। इस मामले में जितने भी अलग अलग विभाग जो हैं, उनमें मामूली से मामूली डिटेल्स के रूल्स और रेगुलेशन्स बने हुए हैं और उनका बराबर पालन किया जाता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य सदन में यहां खड़े होकर कह देते हैं कि मर्जी आई उसी समय टेन्डर नोटिस निकाल दिया जाता है, ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए वहां थोड़ा टाइम दे दिया जाता है, यह बिल्कुल गलत बात है। मैं इस प्रकार के स्टेटमेंट को बिलकुल इस सदन में मानने को तैयार नहीं हूँ और माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि वह एक इन्डिविजुअल स्टेटमेंट, जो बिना किसी जानकारी के, जनरल स्टेटमेंट सुना दिया जाता है, उससे किसी प्रकार का गलत इम्प्रेशन उनके दिमाग में नहीं बनना चाहिए......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पेसिफिक इन्स्टान्स टेन्डर के टाइम का नहीं है। आपने जो स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिया था उनके बारे में जानकारी मैं माननीय सदस्यों के सामने रख देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात तो गांधीनगर के क्वार्टरों के बारे में कही थी। उसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कहना यह है कि वह काम राजस्थान के इन्टीग्रेशन पर हुआ था, बहुत से लोग एकदम से जयपुर में आये थे, उनको रहने के लिए काफी कठिनाई थी। उनके क्वार्टरों के निर्माण का काम बहुत जल्दी में करना था और जल्दी जल्दी में काम पूरा किया गया और उस काम को करने के सिलसिले में, इन क्वार्टर्स को बनाने में कमी रह गई और उस ठेकेदार को जिसने कि कमी रखी, उनमें गड़बड़ की, उसके पेटे में हमने करीब ३० हजार के काम की अलग रकम जब्त करके ठीक तौर से काम को पूरा करवाया। इसके अलावा जिन अधिकारियों की इसमें गलती रही उनकी इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है और फाइनल स्टेज़ पर कागज़ विचाराधीन हैं। लेकिन यह कहना कि कुछ क्वाटर्स ठेकेदार के जरिये बने है लाखों करोडों रुपयों के काम इनके जरिये होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं हुई हो या किसी में कोई कमी नहीं रही हो, वह भी सही नहीं है. जिस प्रकार की कमी रही है और जिनकी गलती नोटिस में आई है उनको बाकायदा सजा दी गई है। जिन ठेकेदारों ने गलती की है, कानूनी राह से उन पर

Page No.75

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जितनी पेनॉल्टि इम्पोज होनी चाहिये उतनी की गई है। जिन ठेकों के बारे में जिक्र किया गया और जिन सड़कों के बारे में जिक्र किया गया उन ठेकेदारों पर पेनॉल्टि लगाई गई है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : टेन्डर्स के बारे में क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर्स कई बार कॉल किये गये हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि इनमें हाई रेट्स आई हैं.......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यही तरीका है भ्रष्टाचार होने का ।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) यह आपके दिमाग की बात है ।

हम किसी काम के लिये टेन्डर्स कॉल करते हैं और जब सैंकशन करने वाली ऑथोरिटी एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर या चीफ इंजीनियर यह महसूस करते हैं कि एस्टिमेटेड कोस्ट ज्यादा आई और रेट्स अबव आई, इससे लो आनी चाहिये और हम महसूस करते हैं कि और भी लो आ सकती है........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सड़क बनाने के संबंध में जितना टाइम ठेकेदार को को दिया था उतने टाइम में बनी या नहीं ?

श्री नाथराम मिर्धा : इसके बारे में भी बताऊंगा ।

श्री गिरधारीलाल : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,... ...

श्री उपाध्यक्ष : He does not want to yield the floor of the House. The Hon'ble member will resume his seat.

श्री गिरधारीलाल : On a point of information, Sir,.........

श्री उपाध्यक्ष : It is not a point of order. There can be no information to be furnished.

श्री नाथूराम मिर्धा : This is not the question-hour.

माननीय उपाध्यक्षजी, उन्होंने यह कहा कि किसी काम को खत्म करने का टाइम मुकर्रर था, लेकिन उसको खत्म करने के लिये मियाद बढ़ादी, इस संबंध में यदि माननीय सदस्य थोड़े डिटेल में, जो टेन्डर नोटिस है या जो एग्रीमेंट है उनको गौर से पढ़ें तो उनको पता चलेगा कि इसमें कई प्रकार की शर्तें रहती हैं। कुछ शर्तों की पाबन्दी ठेकेदार को करनी पड़ती है और कुछ शर्तों में डिपार्टमेंट पाबन्द रहता है। मान लीजिये किसी ने अमुक काम के लिये टेन्डर दिया और हमने कहा कि इतने काम को इतने समय में खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ विभागीय जिम्मेदारियां भी रहती हैं जैसे हम उनसे एग्रीमेन्ट करते हैं कि हम तुमको रोड रोलर देंगे, कोल देंगे, इतने समय में डाम्बर सप्लाई करेंगे आदि। लेकिन समय पर यदि रोड रोलर आदि नहीं दे सकें, क्योंकि रोड रोलर्स की कमी है, हालांकि अब तो काफी हद तक कमी पूरी हो चुकी है, कुछ रोड रोलर्स इस साल खरीदे हैं और कुछ पहले खरीदे थे, लेकिन जो हमारी गलती है उसकी वजह से काम पूरा नहीं हो सका तो मियाद बढ़ाना हमारे लिये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर कहेगा कि हमारे विभाग की तरफ से सप्लाई पूरी नहीं होने के कारण काम नहीं कर पाया तो, हमें उसके लिये टाइम बढ़ाना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पड़ता है और पेनॉल्टी माफ करनी पड़ती है। इस प्रकार की कई बातें हैं जिनके डिटेल्स में जाना चाहिये। खाली टाइम बढ़ा दिया इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया, यह सोचने का सही तरीका नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप और आपकी पार्टी जिन्दा रहती है केवल किसी काम को गलत रूप से रखने में और लोगों गलत हवा फैलाना और भ्रष्टाचार के नाम जिन्दा रहना चाहते हैं तो मामला मुश्किल ही मालूम होता है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप गलती करते हैं इसलिये हमको कुछ कहना पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) मैं ज्यादा समय न लेकर जवाब शोर्ट में डिसपोज़ ऑफ करूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : काम के बारे में बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बता दिया। आपकी एक एक बात का जवाब नहीं दे सकता।

इसके बाद कटौती प्रस्ताव चूरू जिले के बारे में सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किये। उन्होंने दो मदों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया। पहला मुद्दा था चूरू जिले के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स के लिए मकान बनाने चाहिए और कहा कि इस साल के बजट में इसके लिये प्रोविज़न नहीं है इसलिए प्रोविज़न होना चाहिये और मकान जल्दी बनने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, जैसा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, पी. डब्ल्यू. डी. विभाग का काम यह है कि जो अलग २ विभाग हैं वे अपने प्रोविज़न्स, जो उनके पास धन-राशि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है, उसमें से वे किस इलाके में, किस जगह क्या काम कराना चाहते हैं; इस बात को वे विभाग तय करते हैं। यह मामला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का है। यदि उनके पास प्रोविज़न है इस बारे में और उनको जितने मकान और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्ज़ बनाने हैं। वे काफी ज्यादा तादाद में बनाने हैं और सब के सब मकानों को एक दम एक साल में बनाना मुमकिन नहीं है। इसलिये वे प्रायोरिटी तय करते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो कुछ काम हमें करने के लिये कहा उसके लिये प्रोविज़न बजट में मौजूद है। मुख्य मंत्री जी से मेरी इस सम्बन्ध में बात हुई थी, वे कह रहे थे कि चूरू जिले में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस व कलेक्टोरेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्ज़ बनानी जरूरी हैं उनको बनाने की जल्दी से जल्दी शुरूआत करनी चाहिये, उसके लिये प्रोविज़न करेंगे। हो सकता है कि इस समय यह बजट में नहीं आया है, लेकिन आगे मामला विचाराधीन है। मैं आशा करता हूं कि यदि कुछ प्रोविज़न इसके लिये देंगे तो काम करने में पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से कोई डिले नहीं की जायगी।

दूसरा प्रस्ताव सड़क के बारे में था। जैसा की उन्होंने कहा, यह सड़क भारत सरकार की सड़क थी और डिफेन्स डिपार्टमेन्ट ने बनाई थी। वह राजस्थान सरकार को आज से दो तीन साल पहले ट्रान्सफर हुई। जिस समय राजस्थान सरकार ने उसे ली, हमारे पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने भारत सरकार से कहा कि इसकी हालत बहुत खराब है इसलिये यदि आप इसी हालत में हमें सौंपते हो तो इसकी रिपेअर्स और मेन्टिनेन्स

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में ४१ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसलिये इसके लिये विशेष रुपये दो वर्षा इसको हम एक साथ लेने के लिये तैयार नहीं हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि सड़क लेने के लिये भी पैसा देना पड़ेगा, तब हमने कहा कि हम इस सड़क को नहीं लेंगे। तब उन्होंने कहा कि सड़क मुफ्त में देते हैं लेलो मेन्टिनेन्स के लिये देने को हमारे पास पैसा नहीं है। फिर भी यह जब से हमारे पास आई है स्पेशल रिपेअर्स हमने इसकी की हैं।

राजस्थान में सड़क जितने लम्बे माइलेज की है, चाहे डामर की हो, चाहे मेटल की हो, चाहे ग्रेवल की हो, इस माइलेज के हिसाब से जो स्टेन्डर्ड मेन्टेनेन्स पर खर्च होना चाहिए, वह १ करोड़ ५० लाख रुपये हम खर्च करें तो सड़कों का स्टेन्डर्ड मेन्टेन हो सकता है। जैसा कि दूसरे प्रॉविन्सेज़ का स्टेन्डर्ड मेन्टिनेन्स का लेवल है। माननीय उपाध्यक्ष, आर्थिक हालत जो राजस्थान प्रान्त की है उसको ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं है। हमारे यहां जो मेन्टिनेन्स का खर्चा रखा गया है वह ७० लाख है, यह पिछले साल का है, इस साल उस खर्चे को बढ़ा कर ८० लाख का प्रॉवीज़न किया है। तो जहां मेन्टिनेन्स के लिए एक करोड़ ५० लाख रुपया स्टेन्डर्ड हिसाब से होना चाहिये, वह मेन्टिनेन्स का खर्चा ८० लाख है और मेन्टिनेन्स भी पुरानी, बिगड़ी हुई सड़कों का करना है। चाहे हमारे कब्जे में वो सड़कें हों, चाहे ठाकुरों के कब्जे में हों, चाहे म्यूनीसिपेलिटीज़ के कब्जे में हों और चाहे दूसरे लोगों के कब्जे में हों। फेमीन वर्क के अन्दर जो रोड्स बनी हुई हैं, उन सड़कों की मेन्टिनेन्स भी इस लिस्ट में आई है। इसलिये इधर माइलेज बढ़ा है लेकिन हमारे पास मेन्टिनेन्स का खर्चा कम है। इस पर यदि यह उलाहना दिया जाय कि सड़कों की हालत खराब है, मेन्टिनेन्स होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास जिस प्रकार, जितना पैसा अवेलेबल हुआ, उसको स्पेशल माइलेज पर, जहां सड़क ज्यादा खराब है, उसकी स्पेशल रिपेअर के वास्ते काम टेक-अप किया और ज्यों-ज्यों पैसा मिलेगा, हम रोड्स को मेन्टिनेन्स लेवल पर टेक-अप करने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद फुलेरा से आने वाले सदस्य ने दो कटौती प्रस्ताव इस सदन में पेश किये। एक कटौती प्रस्ताव उनका था कि फुलेरा में जोबनेर ब्लॉक का हैड क्वार्टर बनाया जाय। इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. का क्या आसपेक्ट हो, इस पर जोर न देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्लॉक हैड क्वार्टर कहां होना चाहिये। यह ब्लॉक हैड क्वार्टर का मसला काफी कन्ट्रोवर्शियल बना हुआ दिखता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ब्लॉक हैड क्वार्टर जोबनेर में होना चाहिये, कुछ लोग चाहते हैं कि ब्लॉक हैड क्वार्टर फुलेरा में होना चाहिये, कुछ लोग चाहते हैं कि ब्लॉक हैड क्वार्टर सांभर में होना चाहिये, यह काफी विवादास्पद मामला काफी अर्से से बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि पी. डब्ल्यू. डी. के काम में अड़चन इसलिए ही आ रही है। यह मामला तय नहीं है कि ब्लॉक हैड क्वार्टर कहां रहे? यह पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा सेन्टर बनाने की बात है, यह प्रश्न सेकन्डरी प्रश्न है। जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, वह सेकन्डरी पॉइन्ट ऑफ व्यू से रखा था। उन्होंने ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि हैड क्वार्टर का मामला है, उसमें काफी विवाद है और यह विवाद

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दो माननीय सदस्यों के भाषण करने पर उसी समय सदन के सामने आ गया था। इसलिए जहां तक पी. डब्ल्यू. डी. का सवाल है, जहां ब्लॉक हैड क्वार्टर तय कर देंगे, पी. डब्ल्यू. डी. को जहां बनाने के लिए कहेंगे, उसी जगह बन जायगा। अगर माननीय सदस्य इस कटौती प्रस्ताव में इस चीज को न रख कर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की चीज रखते और मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते, वैसे मुख्य मन्त्री जी सुन तो रहे थे और उन्होंने इस मामले को सुलझाने के अन्दर तेजी करने के लिए कहा है।

इसके बाद दूसरे कटौती प्रस्ताव में उन्होंने फीडर रोड के बारे में कहा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का जो रोड प्लान है, उसके लिये हमने जिला लेवल समितियों से प्लान मंगाये थे, वे ३५ करोड़ के प्लान आये थे। स्टेट लेवल समिति ने उन्हें छांट कर १५ करोड़ का प्लान भारत सरकार के सामने भेजा था। भारत सरकार द्वारा १५ करोड़ के प्लान में से जो राजस्थान के लिए मंजूर हुआ है, वह प्लान करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये का है। जिला समिति का प्लान काफी हद तक कट चुका है, इसलिए एप्रोच रोड्स जो जिला समितियों ने भेजी थीं, उनके लिए लोग सोचते हैं कि हमने तो नाम भेज दिये थे, वे क्यों नहीं आये। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ३५ करोड़ का प्लान कट कर १५ करोड़ का प्लान हुआ, १५ करोड़ का प्लान कट कर साढ़े नौ करोड़ का प्लान हुआ और अब साढ़े नौ करोड़ का काम हमने हाथ में ले रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ऐसी योजना रहती है कि अगर साढ़े नौ करोड़ का प्लान है तो करीब १४ करोड़ का काम अपने हाथ में हमने ले रखा है। इसका परिणाम यह होता है कि अगर ज्यादा काम हाथ में नहीं लें तो जैसी कि माननीय सदस्यों को शिकायत रहती है कि फलां सड़क चार मील बन गई है और तीन मील पड़ी रह गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहली पंचवर्षीय योजना हमारी पांच करोड़ रुपये की थी, लेकिन बाद में हमें ५० लाख रुपये और मिले और इस प्रकार वह योजना साढ़े पांच करोड़ की हो गई। जो एप्रोच रोड बनाने के लिए कहा था, वह पंच वर्षीय योजना में स्थान नहीं पाती, जैसी उन्होंने खुद ने कुबूल किया कि उस कस्बे की आसपास की जो आबादी है वह कुल दो तीन हजार की है, परन्तु वह गांव बड़ा है, उनकी निगाह में वह गांव बड़ा हो सकता है, वहां के लोगों की यह मांग हो सकती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि वह दिन आये जिसमें हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाय, इससे हमें भी प्रसन्नता होगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के प्लान का जो टार्गेट है, उसके अनुसार पांच हजार की आबादी के कस्बों को सड़कों के जरिये मिलना चाहिए। इससे बिलो जो मांग आती है, वह प्लान में गुंजाइश नहीं पाती है, वे प्लान में नहीं आ सकतीं। इसलिए उन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव में जो मांग की है, उसे मंजूर करने में मैं असमर्थ हूं।

डॉ० चन्द्रकला : तृतीय में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तृतीय में आगे देखेंगे, जिन्दा रहे तो।

उसके बाद मैं एक कटौती प्रस्ताव डॉ. चन्द्रकला का था। इन्होंने उस कटौती प्रस्ताव में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रस्ताव किया था कि इस चार करोड़ की मद में प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए रुपये का प्रोवीज़न नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, अभी रिसेन्टली, उसमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि आज हम छोटे छोटे स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए या मिडिल स्कूल के भवनों के निर्माण के लिए ज्यादा जोर नहीं देकर, स्कूलों के अन्दर पढ़ाई के सामान की आवश्यकता है, टीचर्स की ज्यादा तनख्वाह देने का सवाल है, इस मामले पर ज्यादा जोर देना चाहिए। भवन निर्माण पर जितना जोर देश के कई प्रान्त दे रहे हैं, इस वर्ष वे ज्यादा जोर डेवलपु इकोनोमी में देना चाहते हैं, इसलिए भवन निर्माण पर जोर न देकर दूसरे विषयों पर जोर देंगे। फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे जो मांग संख्या ३७ आयेगी, उसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए दो लाख का प्रोवीज़न है। यह इस मद में नहीं है, दूसरी में है। यदि वे खुद बजट को गौर से देखें तो उन्हें पता चलेगा....

डॉ० चन्द्रकला : प्राइम् मिनिस्टर ने केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए कहा है या सब स्कूलों के लिए कहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं है, सबके लिए है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जानकारी दे दूं कि उसके लिए आगे दो लाख का प्रोवीज़न है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या दूसरे स्कूलों को भवनों की जरूरत नहीं है ? क्या उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स के लिए ही कहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से सबके लिए है। आपका कटौती प्रस्ताव प्राइमरी स्कूल्स के लिए था।

डॉ० चन्द्रकला : ४५ लाख की राशि क्यों रखी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बड़े बड़े कालेजों की बिल्डिंग बनाने के लिए है, कॉलेजों के अन्दर लेबोरेटरी बनाने की जरूरत होती है, टेक्निकल थिंग्स को रखना चाहिये। वैसे गांवों के अन्दर पहले भी बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ते थे। लेबोरेटरी और बड़े सामान के लिए ही कमरों की आवश्यकता होती है; गांवों में यह आवश्यकता नहीं है। फिर भी गांव के लोगों में खास तौर से उत्साह है और गांव के लोगों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि मिडिल स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई हैं दानी, लोगों ने दान दिया है, उसमें स्टेट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जिला विकास योजनायें हैं, उसके लिए २० लाख रुपया डेवलपमेन्ट करने के लिए इस प्रान्त में रखा है। लोकल डेवलपमेन्ट फन्ड है। स्कूल के लिए ५० प्रतिशत उस लोकल डेवलपमेंट फन्ड में से दिया गया है और इस प्रकार कई स्कूल बन रहे हैं, उसमें से मिडिल स्कूल के लिए भी कॉन्ट्रीब्युशन दिया है और ....

डॉ० चन्द्रकला : शहर की स्कूलों का क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं गांव की बात कह रहा हूं।

डॉ० चन्द्रकला : मैंने शहर के लिए कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सिटी ब्लकॉस हैं, उनके पास अलग से फन्ड्स हैं। शहर में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने की बात कही, उसके लिए मैं निवेदन करूं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए २ लाख का प्रोविजन इस बजट में अलग रखा है, इसलिए उनके प्रस्ताव के अन्दर जो जोर दिया गया, वह जितना हमारी समझ में आना चाहिये, उनमें से काफी हमने समझा है। इसके बाद में बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने सड़कों के बारे में कटौती का प्रस्ताव रखा, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई सड़कें उन्होंने ऐसी बताई जिनको हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं ले सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उनको अब शामिल करना मुश्किल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष साढ़े नो करोड़ रुपये का प्रोविजन है और १४॥ करोड़ का काम ऑलरेडी हमारे हाथ में है और प्राइसेज़ पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो प्राइसेज़ अधिक बढ़ जाने के कारण और काम की बहुतायत होते हुए नए प्लान को शरीक करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी सड़क के काम को शुरू करने के बारे में जिक्र किया, शायद रिडमलसर से सागर तक का एक मील का टुकड़ा है, तो उसको आगामी वर्ष में शुरू कर देंगे और वह काम मेरे ख्याल से पूरा भी हो जायगा।

फिर श्री बहादुरसिंह जी जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने धौलपुर की वाटर वर्क्स स्कीम के बारे में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए जरा अफसोस होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वाटर वर्क्स की योजना बनी थी, उसके बनने के बाद धौलपुर की योजना बनी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने वाटर वर्क्स के प्लान हैं उनका भी खर्चा कीमतों के बढ़ जाने के कारण काफी बढ़ चुका है और इस कारण से उन्हीं को पूरा करने में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है तो नये वर्क्स को इस योजना में शुरू करना बड़ा मुश्किल है।

श्रीमती सतवन्तकौर : गंगानगर जिले वाले सबसे अच्छे हैं कि वे कुछ नहीं मांगते।

श्री नाथूराममिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हर शहर में पानी का, बिजली का इन्तज़ाम करना म्युनिसिपेलिटी का काम है। धौलपुर की म्युनिसिपेलिटी इसके लिए कोई स्कीम बनाये और काम करना चाहे, उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करे। पहले एक साला योजना राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए बनी थी, स्केलटन वाटर सप्लाई के नाम से, इसके लिए एक लाख रुपया खर्च किया गया था और बाद में म्युनिसिपेलिटी को वह सौंप दिया, अब वह स्कीम भी मर–खप कर के चलाती है। इस योजना के लिए यदि वहां की म्युनिसिपेलिटी पैसा इकट्ठा करके योजना बना कर, लोन के लिए एप्लाई करे तो मेरे ख्याल से इस बारे में विचार किया जा सकता है। पर हमारी जो दूसरी वाटर वर्क्स की स्कीम्स हैं वे करीब १८-१६ हैं। ऐसी सूरत में नई स्कीम को हाथ में लेना हमारे लिए बडा मुश्किल है। तो माननीय सदस्य म्युनिसिपेलिटी जो कि रिप्रेज़ेन्टेटिव बौडी है उससे विचार-विमर्श करके साथ में लेवें और वह इस प्रकार की स्कीम बना कर राज्य सरकार के सामने रखे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

इसके बाद उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सोहनलाल जी ने कुछ रोड्स

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के बारे में जिक्र किया। काफी अर्से से उनका विचार है कि अमुक टुकड़ा सड़क का बन जाने पर वह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है, धन की कमी के कारण...

श्री चन्दनमल वेद : उदयपुर में भी नहीं बनेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे तो कुछ असमर्थता ही नजर आती है।

इसके बाद मनोहर कोठारी ने, प्राथमिक चिकित्सा के भवन का, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स के निर्माण का नहीं होने के बारे में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष, यह जो भवन है, जैसा कि उन्होंने कहा ब्लॉक्स की तरफ से कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट हुआ कुछ लोगों की तरफ से होगा, ये वर्क पी. डब्ल्यू. डी. के हैं कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

आमेट के ब्लॉक की कुछ बिल्डिंग्स बनाने को कहा, हैड क्वार्टर पर बनाने का, इसमें मेरे पास ३० हजार रुपये का प्रोविज़न है। वहां पी. डब्ल्यू. डी. का क्या काम है ? ३० में से २६ हजार रुपया तो खर्च कर दिया गया है, आगे भी प्रॉविज़न रखा है। पी. डब्ल्यू. डी. के हाथ में पुराने काम होते हैं और वे पूरे नहीं होते हैं अगले साल में आते हैं।

श्री मनोहर कोठारी : हायर सेकन्डरी स्कूल्स की बिल्डिंग को पी. डब्ल्यू. डी. ने सम्हाल लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं सम्हाला है। आप थक गये हों तो हम सम्हाल लें। तो ये वर्क्स पी. डब्ल्यू. डी. के वर्क्स नहीं हैं, इसलिये इनके लिए हमारी हमदर्दी और सहयोग उनके साथ है।

इसके बाद रामपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सड़कों के बारे में, कई नई सड़के बनाने के बारे में जिक्र किया और यह कहा कि पहाड़ी इलाका है; पिछड़ा हुआ इलाका है, उन सारी बातों पर हमदर्दी रखते हुए बहुत सी नई सड़कों के नाम बता दिये, उनको इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शरीक करने में मैं अपने आप को असमर्थ समझता हूं। उन्होंने रायपुर बिड़ला रोड के बारे में जिक्र किया वह सड़क छप गई है, मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि वह मिसप्रिन्ट हो गया है। रायपुर की एप्रोच रोड की स्कीम थी वह चालू कर दी गई है और काम भी शुरू हो गया है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अच्छे शब्दों में अपने इलाके की, एक गर्ल्स स्कूल का प्रश्न, गिरादरां, रूपावास और बुमारा की सड़कों के बारे में और लोगों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के नहीं होने से लोगों को दिक्कत होती है पर ऐसी बात नहीं कि सड़क नहीं हों तो दिक्कत ही-दिक्कत होती है, यह सदन के माननीय सदस्य जानते हैं। एक माननीय सदस्य ने सड़कों की हालत बताते हुए सड़कों की करुणाजनक दशा बताने के बारे में जो एक मिसरा अकसर कहा जाता है उन्होंने भी कह दिया, 'स्त्री के गर्भपात' के शब्द आज भी मुझे सुनने को मिले, काफी जिम्मेदार और बड़े रेस्पोन्सिबल आदमी हैं, पर सड़क की करुणाजनक हालत बताने के बारे में ये शब्द कहे....

श्री चन्दनमल वेद : उन्होंने अनुभव की बात कही है।

एक माननीय सदस्य : प्रभावित करने के लिये कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रभावित तो कितने होते हैं; यह आप और हम जानते हैं। पर यह एक मुहावरा बन गया है, पर यह इतना डिग्निफाइड मुहावरा नहीं है।

श्री चन्दमल वेद : सही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यूनिफाइड प्रोब्लम्स पर चलना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय उपाध्यक्ष, सड़कों की हालत खराब है, यह हमने कुबूल किया है, पर सबको एकदम सुधारना सम्भव नहीं है। जितना अर्थ उपलब्ध है, उतना ही संभव है।

तो उन्होंने गर्ल्स स्कूल के बारे में कहा, यह तो शिक्षा विभाग का प्रश्न है, कुछ फंड्स शिक्षा विभाग दे, कुछ फंड्स वहां जनता से इकट्ठे किये जांये और पी. डब्ल्. डी. को दें तो भवन तैयार किया जा सकता है। पाली जैसे शहर में, उन माननीय एम. एल. ए. को हमारे शिक्षा मंत्रीजी को कष्ट नहीं देना चाहिये। वहां काफी धनी लोग हैं, विचारें तो तो भवन बना कर या खरीद कर दे सकते हैं। बीस, तीस हजार में भवन तैयार हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप मदद करेंगे वहां प्रेरणा देने में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां दूंगा, रुपया इकट्ठा हो जाय तो वे पी. डब्ल्यु. डी. को दे दें, तो भवन तैयार करा दिया जायगा।

गिरादड़ा वाली सड़क के बारे में कहा, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है। पर वहां के लोगों को डिफिकल्टी है, कहीं से बचत होकर गुंजाइश हुई तो आगे भविष्य में इस पर विचार किया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : वहां के लोग श्रमदान और आधा रुपया देने को तैयार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क में कोई रुपया नहीं देगा।

श्री आबिद अलीजी ने जो सवाई माधोपुर से आये हैं उन्होंने सड़कों के बारे में अभाव-अभियोगों के बारे में जिक्र किया। स्टेशन से शहर तक जो सड़क है उसके लिये कहा कि कम चौड़ी है, ज्यादा ट्रेफिक है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि १७६ लाख का पिछले साल का प्रोविज़न था, वह घटा कर सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने १६० लाख ही मंजूर किया है इसलिये पैसे की कमी की वजह से बहुत सी तकलीफात को पूरा नहीं कर सकते।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सड़कों के बारे में काफी बातें कहीं और बताया कि शहर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं यह कहूंगा कि आप शहरों की सड़कों की हालत के लिये म्युनिसिपेलिटी से शिकायत करिये। उसकी शिकायत पी. डब्ल्यू. डी. रफा नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्होंने दूसरी सड़क बताई और मैं समझता हूं कि वह माजपुरा का जिक्र था। उन्होंने कहा कि दो ढ़ाई मील का टुकड़ा है। मगर मैं यह कहूँगा कि पिछले साल ४॥ मील का टुकड़ा है उसको हमने स्पेशल रिपेअर करके ठीक कराया और २॥ मील का टुकड़ा है, उसको इस साल तैयार करा रहे हैं। उसके बारे में काम हुआ और बिना बजट के होते हुए भी काम किया मगर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और उन्होंने इस टुकड़े का ही जिक्र किया और कहा कि गर्भवती औरतों के गर्भ गिर जाते हैं ....

डॉ० चन्द्रकला : आप घबराइये नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : घबराने की बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। इसके

Page No.83

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बाद उनका कटौती का प्रस्ताव स्कूल भवनों के बारे में था। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह शिक्षा विभाग का काम है। जिस काम के लिये हमें वे कहें हम उस काम को करा सकते हैं। जितना रुपया वे हमको देंगे उतना काम हम उनका करेंगे।

इसके बाद में झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने... ...

श्री दलपतसिंह : ....(अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल में इसे टेक अप कर रहे हैं।

इसके बाद झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों की कमी रहने और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये कम प्रोविज़न होने और सड़कों और भवनों के बारे में यह कहा कि यह काम संतोषप्रद नहीं हो रहा है, उसके लिये मैं सदन की जानकारी के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कुछ आंकड़े सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूँ :

प्रथम पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ में २१२ मील मेटल्ड रोड और ४४५ मील फेअर वेदर रोड

(अश्रव्य)

हमने उसमें १४ लाख ३० हजार का प्रोविज़न रखा था परन्तु उसमें बहुत से कारणों और कामों की वजह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च कर पाये, सिर्फ ८.७५ लाख खर्च हुआ और उसकी वजह से ३८ मील की सड़क बनाई और रिमेनिंग दूसरे फाइव इयर प्लॉन में रखा। इसमें हमने २८ लाख रुपयों का काफी प्रोविज़न रखा है। २८ लाख में ये ४ लाख का अलग काम है। It would be completed during the period at a cost of 14 lacs. A road was also constructed from Rajgarh to Sanku......

श्री रामचन्द्र : आप देखिये कि कितना काम अधूरा रह गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : १४ लाख रुपया पहले दिया और ३८ मील की सड़क हमने बनाई और ८ मील आप कहें तो...

श्री रामचन्द्र : आप ही देख लीजिये कि कहां तक ठीक है........

श्री नाथूराम मिर्धा : या तो आप बैठ कर डिटेल में मुझसे बात कर लीजिये या जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिये। मेरे पास जो जानकारी है, माननीय उपाध्यक्ष, वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि सड़कें अधूरी रह गई हैं कुछ काम अधूरा रह गया। कुछ गलती से और कहीं प्रोविज़न नहीं होने से रह गया। फर्स्ट फाइव इयर प्लॉन में रोड्स के काम में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं मानता हूं कि इस जिले में सड़कों का काम बहुत स्लो प्रोग्रेस में था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने काफी रखा है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले जो कमी रह गई है उससे ज्यादा काम इस इलाके में कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन कटौती के प्रस्ताव रखे। उन्होंने एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जिला हैड क्वार्टर के बारे में कहा और जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं और दुबारा देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सांकु सड़क के लिए कहा। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सड़क पी. डब्ल्यू.

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डी. की सड़क नहीं है। यह फेमिन में ५३-५४ में बनी थी । इसका नाम पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट में नहीं है। इस वजह से इसकी मरम्मत नहीं होती है और चूंकि यह पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कों की लिस्ट में नहीं है, इसलिए इस तीन चार मील के टुकड़े को नहीं बना सके हैं। इसलिये यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं तो पहले इस सड़क को पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट पर लाने की कोशिश करें और कलेक्टर या दूसरे अधिकारियों से मिल कर इसको पी. डब्ल्यू. डी. की लिस्ट पर लाने की कोशिश करें उसके बाद हम इसको ठीक करायेंगे ।

फिर सिवाणा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो कट मोशन्स रखे और दो पॉइन्ट्स पर जोर दिया। एक तो वे यह चाहते हैं कि समदड़ी से कर्मावास तक सड़क बननी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, यों तो समदड़ी भी एक इम्पोर्टेन्ट कस्बा है और कल्यानपुर से जयपुर तक सड़क जाती है। कर्मावास से इसको इसलिए नहीं जोड़ा है कि यह एक २॥ मील का टुकड़ा है और यहां पर पांच हजार से कम आबादी है । इसके अलावा फिर भी हम इसको द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसके बीच में लूनी नदी पड़ती है। इसलिये जब तक लूनी पर पुल नहीं बन जाये यह सड़क कायम नहीं रह सकती । जिसको बनाने के लिए ५ लाख या ६ लाख रुपया चाहिये। इसलिए बहुत ज्यादा दिल में इसको बनाने की इच्छा होते हुए भी जो फन्ड एवेलेबल हैं, उनके अनुसार ले नहीं सकते । इतना फन्ड एवेलेबल है नहीं । इसके बाद में उन्होंने ग्राम के बारे में कहा कि अभी तक वहां सड़क नहीं बनी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और इस इलाके में आज तक जितने प्रयत्न होने चाहिये नहीं हुए जिससे यातायात आगे बढ़ सके । इसके लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमने प्रोविज़न सड़क के लिये रखा है, जो कांकड़ से ग्राम होती हुई रोड़ है, इसके लिये ५ लाख का प्रोविज़न है। लेकिन उसको योजना के आखिरी साल में रखा है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खत्म करने का है । इसलिये जितना फन्ड हो उस हिसाब से उस चीज को ध्यान में रखते हुए जितना पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से टारगेट होना चाहिये। हमने किया है और काफी ऊंचा टारगेट रखा है । हम कोशिश करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो साधन और धन हमको उपलब्ध हों उसको अच्छी तरह से काम में लावें । हम रोड़ और बिल्डिंग्ज़ के स्टेन्डर्ड को अच्छा मेन्टेन करना चाहते हैं और इसके लिए हमने लगातार कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेन्डर्ड हमारे राजस्थान का इस सम्बन्ध में है उस प्रकार का स्टेन्डर्ड बहुत सी स्टेटों का नहीं है और अगर आप सेन्टर से भी कम्पेअर करें तो आपको मालूम होगा कि हमारा स्टेन्डर्ड बहुत ऊंचा है और ओनेस्ट है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम काफी ऊंचे लेबल पर है । मैं यह भी कहना चाहता कि इस विभाग में कोई भी खामी नहीं है या किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ खामियें हो सकती हैं। नोटिस में आने पर उन पर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और जहां लेने की जरूरत होती है, लेते हैं।

अब मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समय नहीं लेकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं वे उनको वापिस लेंगे और जो मांग रखी है उसको सर्व सम्मति से पास करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री चन्दनमल वेद (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव थे। पहला कटौती का प्रस्ताव तो यह था जिसमें मैंने चाहा था कि चूरू जिले में जिलाधीश के कार्यालय की इमारत बनाई जाय। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने फरमाया कि यह तो जी०.ए० डी० का काम है, पी० डब्ल्यू० डी० का नहीं। मैंने मांग रखी थी वह केवल पी० डब्ल्यू० डी० विभाग पर नहीं रखी थी किन्तु मैंने तो ४,४५,४३००० की रकम है उस पर कटौती प्रस्ताव रखा था। वह जी० ए० डी० का हो या पी० डब्ल्यू० डी० का हो या किसी का हो तो क्या यह माननीय मन्त्री महोदय का जिम्मा नहीं था कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय को पूछते और उसी प्रकार का उत्तर देते ? फिर भी मैं मानता हूँ कि उनका जवाब था वह सन्तोषजनक था। उन्होंने फरमाया कि उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी से बात की है और उन्होंने उनको कहा कि वे इस पर सोचेंगे। चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ये इन्फार्मेशन दी है और मुझे इस पर विश्वास करना भी चाहिये इसलिए मैं चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि मुझे इस प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव जो था वह था सुजानगढ़ से राजगढ़ तक की जो सड़क है उसकी खराब हालत हो रही है और उसकी मरम्मत किये जाने पर विचार करने के लिए। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इस सड़क को दो-तीन साल पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने दिया। मेरा ऐसा ख्याल है कि कम से कम पांच साल पहले इस सड़क को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने राजस्थान सरकार को सौंप दिया। जब सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने कोई चीज़ बना कर दी है और यदि वह खराब अवस्था में है तो उसकी मरम्मत में तो कम ही खर्चा होगा, यह तो हरएक ही आदमी जानता है। यदि १५० मील लंबी सड़क मुफ्त में दे दें और उसकी खराब हालत हो और मरम्मत न करायें, देखभाल न करें यह कहां तक उचित है। यदि कोई आदमी कोई चीज़ मुफ्त में दे दे और फिर उसी को कहें कि वह उसकी मरम्मत भी कराये तो क्या यह वाजिब बात है ? सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने इतनी बड़ी सड़क राजस्थान सरकार को सौंप दी और इसकी मरम्मत के लिए वह ही उत्तरदायी है और उसको इसकी मरम्मत करानी चाहिये। एक बात मन्त्री महोदय ने फरमाई कि आर्थिक कठिनाइयां हैं, पैसे की कमी है। मैं भी मानता हूं कि आर्थिक कठिनाई है पैसे की कमी है और इसीलिए नये टैक्स लगाये हैं, लेकिन आर्थिक कमी होते हुए भी उस पैसे की जो इसके लिए रखा गया है समुचित व्यवस्था की जाय, समुचित बंटवारा किया जाय तो यह कठिनाई हल हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : रिप्लाई का प्रश्न नहीं आता है, ब्रीफ में कह कर इसको समाप्त करें।

श्री चन्दनमल वेद : मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि उनका उत्तर सन्तोषजनक क्यों है ? मैं यह मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्थिक साधनों की कमी नहीं है, किन्तु कमी इस बात की है कि समुचित बंटवारा नही कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि चरू जिले में एक आदमी पर ६१ नये पैसे

(श्री चन्दनमल वेद)

खर्च कर रहे हैं जब कि उदयपुर और डूंगरपुर में १६० नये पैसे प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं। यदि अर्थ की कमी है तो सब ही के लिए होनी चाहिए; केवल चूरू जिले के लिए ही क्यों ? अगर वे यह फरमाते कि चूरू जिले पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना कि दूसरे जिलों पर तो मानने की भी कोई बात होती।

श्री उपाध्यक्ष : यहां पूर्व निश्चयानुसार जवाब का कोई अवसर नहीं दे रहे हैं इसलिए पहले भी माननीय सदस्य से अर्ज किया है।

श्री चन्दनमल वेद : मैं यह समझता हूं कि जवाब का हक तो हरएक को है।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार तो है। दूसरा तरीका अपनाया गया है जो दो तीन रोज से बराबर अपनाया जाता रहा है।

श्री चन्दनमल वेद : मैं इसको जल्दी ही समाप्त कर दूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह कह रहा था कि यदि अर्थ की कमी है तो सब ही तरफ होनी चाहिए। सब को बराबर बांटना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो सड़क मुफ्त में मिली है उसकी मरम्मत नहीं होती और दूसरी तरफ सहेलियों की बाड़ी में २७ हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। जब अर्थ की कमी है और सहेलियों की बाड़ी के लिए २७ हजार रुपया रख सकते हैं तो सड़कों की मरम्मत के लिए भी तो रख सकते हैं। उससे मुफ्त में मिली हुई सड़क की मरम्मत कराइये। २७ हजार रुपया सहेलियों की बाड़ी के लिए रख कर कहते हैं कि उस सड़क की मरम्मत के लिए धन की कमी है यह तो मेरी समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदय की समझ में यह कैसे आता है, वे ही जानते हैं। माननीय मंत्री महोदयने जिस शालीनता और शान्ति के साथ उत्तर दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इस कटौती प्रस्ताव को भी वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री चन्दनमल वेद ने नम्बर ६७. और ६८ प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वेद : मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जन संघ वालों की यह आदत हो गई किसी मामले को गलत ढंग से रखते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने इसको गलत ढंग से रखा है या हमने, यह मैं बताना चाहूंगा। आपने कहा कि टेन्डर्स कई बार इन्वाइट करते हैं। मैं मानता हूं कि यदि टेन्डर्स ठीक ढंग से न आवें तो दुबारा मांगने चाहिए टाइम लिमिट है, उसमें यह होता है कि पहले जो टेन्डर आयेंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे और फिर टाइम एक्सटेन्ड करेंगे और इस प्रकार इससे कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं और मैंने स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ भी इस संबंध में दिये थे जिनको कि माननीय मंत्री महोदय ने साइडट्रेक कर दिया और यह कह दिया कि उनकी आदत है गलत बोलने की। मैं समझता हूं कि शायद मंत्री महोदय की यह आदत है कि वे इस प्रकार से तथ्यों को साइड-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ट्रेक कर देते है। उन्होंने कहा कि फन्ड्स की कमी है और टेक्निकल एडवाइस नहीं मिलती। मैं कहूंगा कि टेक्निकल एडवाइस जो विभागीय इन्जीनियर हैं, ठेकेदारों से डील करने में भ्रष्टाचार करते हैं उनको अगर पंचायतों से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से सम्बन्धित कर दिया जाये तो पैसे की कमी महसूस नहीं होगी और टेक्निकल एडवाइस भी मिल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सारांश यह है कि इसको वापिस नहीं ले रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वापिस लेने का तो प्रश्न ही नहीं रहता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको मतदान के लिए रखता हूँ। प्रत्युत्तर का समय नहीं रखा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं एक मिनिट और चाहूंगा। मैंने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ठीक ढंग से और ईमानदारी से काम नहीं होता है, जहां एक पैसा खर्च किया जा सकता है वहां दो पैसे और तीन पैसे खर्च किये जाते हैं। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है इसलिए इनको वोटिंग पर रख दिये जायें।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..........

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव ७० व ७६ श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यह कहते हैं कि मेरा काम तो मकान बनवाने का है और दूसरी सारी योजनायें बनाने का काम शिक्षा विभाग का है इस प्रकार के जवाब से मैं बहुत सन्तुष्ट होती। लेकिन उन्होंने यह जिम्मेवारी ली कि प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों के भवनों की तो जरूरत ही नहीं पहले से ही काफी सुविधा दी गई है। इस प्रकार, की जो बातें कहीं गांवों के लिये कही हैं, लेकिन मैंने तो शहर की बात कही थी। मैं तो केवल शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती थी इसी लिये मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था। अब मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्रम संख्या ७१ में निर्दिष्ट कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती के जो प्रस्ताव रखे थे उन पर माननीय मंत्री महोदय ने कम से कम एक मील का टुकड़ा बनवाने की स्वीकृति दे दी है इसलिये मुझे प्रसन्नता है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

Page No.88

(श्री भीमसेन)

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि नापासर स्टेशन से लेकर गांव तक दो मील का टुकड़ा है। उसके लिये मेरा निवेदन है कि जो बजट में रोड्स के लिये प्रॉवीज़न है उसका पैसा इस हिस्से में लगा दिया जाय इस ओर माननीय मंत्री महोदय गौर फरमायेंगे। इस आशा के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव क्रम संख्या ७२ को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया है कि वे नगरपालिका को कर्ज दिलवा देंगे, इसके साथ साथ मैं उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी म्युनिसिपैलिटी योजना भेजे उसे भी आप स्वीकार करवा देंगे, इस आश्वासन के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि क्रम संख्या ७३ वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सभी कटौती प्रस्तावों पर एक सी करोंत चलाई है। मुझे खुशी होती अगर माननीय मन्त्री महोदय अलग-अलग प्रस्तावों पर उनके मेरिट्स के आधार पर जवाब देते। मेरा कटौती का प्रस्ताव यह नहीं था कि किसी सड़क को लिया जाय या किसी को न लिया जाय। मेरा तो प्रस्ताव यह था कि जो सड़कें प्रथम पंच वर्षीय योजना में अधूरी रह गई, उनको पूरी करायी जाय दूसरी नई सड़कों की आवश्यकता नहीं। उनसे इतना ही निवेदन कर यह आशा रखता हुआ कि कभी न कभी जरूर वे इस ओर ध्यान देंगे इस आशा के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्रम संख्या ७४ में आये हुए प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने दिया और उसमें यह आश्वासन दिया कि जो भी बिल्डिंग्ज़ सरकार चार्ज में लेगी उनको अधूरा नहीं छोड़ा जायगा। चूंकि यह महत्वपूर्ण और प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्ध रखता है अस्पताल से सम्बन्धित है। इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्रम

(श्री उपाध्यक्ष)

संख्या ७५ में आये हुए प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी का भाषण सुनने के बाद मुझे खुशी हुई । राजपुरा रोड़ का नाम किसी तरह से मिस प्रिन्ट के कारण रह गया था, उसकी स्वीकृति हो चुकी है, उसका निर्माण हो जायगा और बड़ी बड़ी सड़कों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य होना संभव नहीं, इस आशा के साथ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मामूली खर्चे से जो काम हो सकता है उसके लिए धन रखा जायगा, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा सदन से चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शंकरलाल को अपना कटौती का प्रस्ताव (संख्या २०३) वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री शंकरलाल : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्तावों के साथ तीन-चार सड़कों का हवाला दिया था, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने एक का भी जवाब नहीं दिया और खामोशी अख्त्यार कर ली । हो सकता है कि राजस्थान के इन्टरेस्ट में उन्होंने उन सड़कों पर रोशनी डालना जरूरी नहीं समझा हो चूंकि रुपया तो खर्च होता ही है । सवाई माधोपुर का नम्बर न आया सही लेकिन मैं उनको इतना अवश्य बता दूं कि दो तीन सड़कें हैं जो सेक्शन्ड रोड हैं उसका जवाब नहीं मिला । सवाई माधोपुर स्टेशन से शहर तक की सड़क है उसके बारे में बताया जाता कि उसकी इम्पोर्टेन्स कैसे कम है । मैंने फेक्ट्स और फीगर्स के साथ अपनी बात रखी थी जुडिशियरी में जितने केसेज़ के फैसल हुए उसको आप देख लीजिये । लेकिन दूसरी जगह भी खर्च हो रहा है वह भी राजस्थान की भलाई के लिए ही खर्च हो रहा है इस उम्मीद के साथ कि माननीय मन्त्री महोदय मेरी बात का भी ध्यान रखेंगे; मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव (संख्या २०६) श्री आबिदअली ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री आबिदअली : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री रामेश्वरदयाल : Mr. Hon'ble Dy. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has tried to reply and in his reply he has tried to cover most of the points raised in my speech but in respect of one cut motion he has tried to shift his liability for reply to the Hon'ble Education

Page No.90

(श्री रामेश्वर दयाल)

Minister. I don't want to go into the controversy of the matter but one thing is very clear, that I am paid for advocating. The cause of our Division, though its price is very little of course, the Hon'ble Minister has given a little assurance with regard to a particular road but an assurance is not enough and not sufficient, still looking to the demands and the growing requirements of the State of Rajasthan, I think I should be satisfied with whatever little assurance is given before the House with regard to a particular road. But, Sir, one information I want to pass on to the Hon'ble Minister, through the Chair, and the information is that the Hon'ble Minister disclosed a very important fact which I doubt very much. I do not know how the Hon'ble Minister and on what basis he has said, but this is a fact which nobody can deny that the roads in the Municipal limits were never under the control of the Municipality. The Municipality had nothing to do with the roads. The Municipality of Kotah resolved that if the then Government was prepared to transfer the Power House and the Water Works, the Municipality was ready to take the responsibility for roads.

४ म०प०

The Hon'ble Minister has said that the roads in the city are under the Municipality. But I think that they are not under the Municipality, The Municipality has got nothing to do with the roads and it is the prime responsibility of the Government to look after the maintenance, repairs and the construction of the roads.

Nevertheless, in view of the assurance that I have just referred to, I beg leave of the House to withdraw my cut-motions No. 207 208, 209 and 210 to the proposed Grant moved by the Hon'ble Minister and pray that the leave may be accorded to me for their withdrawal.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव (संख्या २०७, २०८ से २१०) श्री रामेश्वरदयाल ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामेश्वर दयाल : Sir, I widhdraw my cut-motions.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र : डिप्टी स्पीकर, सर, चूंकि मेरा सड़कों के लिए वाद-विवाद चलने के बाद माननीय मन्त्रीजी ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि आपकी सड़कों की दीन दशा की हमें पूरी जानकारी है और इस योजना के अन्दर अन्दर सभी सड़कें पूरी हो जावेंगी; इस विश्वास को लेकर मैं डिप्टी स्पीकर साहब से यह निवेदन करता हूं कि मुझे अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती

(श्री उपाध्यक्ष)

का प्रस्ताव (संख्या १९७) श्री रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत, वापिस लेने की आज्ञा उन्हें प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामचन्द्र : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव थे, जिनमें से माननीय मन्त्री महोदय ने डेढ़ का जवाब दिया है; पूरे दो का भी जवाब नहीं दिया गया उनसे, सिर्फ एक प्रश्न पूरा और एक आधे का जवाब उन्होंने दिया है । इससे साफ झलकता है कि जहां मोशन का उत्तर देने में ही इतनी लापरवाही बरती जावे वहां उनके अन्दर वर्णित अभावों की पूर्ति और निर्माण कार्यों में कहां तक दिलचस्पी लेंगे । तो उनके रुख को देखते हुए कोई सवाल नहीं पैदा होता कि इनको वापिस लिया जावे । इसलिए मैं इन्हें वापिस नहीं लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव (१९८ से २००) श्री मोहरसिंहजी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कटौती के वे प्रस्ताव (२०१ से २०२) जो श्री अनूपसिंहजी ने प्रस्तुत किये हैं स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कटौती के प्रस्ताव (९६ व २११) श्री पी. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि कटौती के प्रस्ताव (२०४ व २०५) श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ,स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४१,४३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(करतल--ध्वनि)

४.९ म० प०

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

Page No.92

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,५५,५४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

[कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित है :

डॉ० चन्द्रकला :

७७. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये तक की कटौती की जाय। (पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के हेतु)।"

७८. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये तक की कटौती की जाय (शिक्षित बेकारों की समस्या हल करने के विषय में वाद–विवाद करने हेतु)।"

७९. "मांग संख्या १५, प्रमुख शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये तक की कटौती की जाय। (शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति और निश्चित योजना का अभाव है–इस सम्बन्ध में वाद–विवाद करने हेतु)।"

श्री जनार्दन राय नागर :

82. "That the demand No XV, Major head 37.-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government to amalgamate the Ajmer Secondary Board with the Rajasthan Secondary Board)."

83. "That the demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to open four more Janta Colleges)."

84. "That the demand No. XV Major head 37-Education, be reduced by Re. 1/-(To discuss the grant to the Rajasthan University)."

85. "That the demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Re./ (To discuss the slackness of the Government to fix and decide the grant-in-aid to Voluntery institutions in the beginning of the financial year)."

श्री रामचन्द्र :

251. "That the Demand No. 15, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the education Policy of the Govt)."

श्री दयाकृष्ण विजय :

११३. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में एक रुपये तक की कटौती कर दी जाये (पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में वाद–विवाद करने हेतु)।"

श्री शिवचरणदास :

१००. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में से १) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर विचार करने के लिए)।"

श्री रामेश्वरदयाल :

८७. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में से १) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में बुनियादी शिक्षा पर विचार करने के लिये)।"

(श्री रामेश्वरदयाल)

88. "That the Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of Govt. to raise Maharani Inter Girls' College, Kotah to Deg. ree College)."

89. "That the Demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Rs.100/-(To discuss opening of Agriculture College in Kotah)."

90. "That the Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss abolition of Law classes from Kotah, Udaipur and Bikaner)."

259. "That Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the Policy of the Govt. in combining Sanskrit and Hindi Departments in Govt. College, Kotah)."

260. "That Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the opening of Post-Gradutate classes in English, Philosophy, Mathematics and Physics in Govt. College, Kotah)."

261. "That Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss non-fixation of scales of pay of Sindhi refugee teachers of Primary and Middle schools in Kota City)."

रावराजा श्री बख्तावरसिंह :

114. "That the Demand No XV, Major Head 37-Education be reduce by Re. 1/- (to discuss the failure in maintaining the School Building of judicial thikanas)".

श्री लक्ष्मीचन्द :

८०. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा विभाग में रु० १) की कटौती की जाय (सांचोर तहसील में हायर सैकन्ड्री स्कूल को खोलने हेतु)।"

८१. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) की कटौती की जाय (सांचोर तहसील में जो प्राइमरी स्कूलें बंद पड़ी हैं उन्हें चालू करने हेतु)।"

श्री बहादुरसिंह :

९१. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर में डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार करने के लिये)।"

९२. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर में उप-शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय स्थापित करने पर विचार करने के लिये)।"

२२०. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में से १००) कम कर दिये जायं (महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, धौलपुर को हायर सैकन्डरी बनाने पर विचार करने के लिये)।"

२२१. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में से १) कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिला के ग्राम नवाब व सई में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने पर विचार करने के लिए)।"

२२७. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में से १) कम कर दिया जाय (महाराना

(श्री बहादुरसिंह)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर-कृषि शिक्षण की व्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।"

श्री गिरधारीलाल :

२३१. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) की कटौती की जाय (प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन व महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु । ।"

२३२. "मांग सं० १५ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) की कटौती की जाय (माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने हेतु वाद-विवाद करना) ।"

श्री मूलचन्द डागा :

६४. "मांग सं० १५ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) कम कर दिये जायें (बांगड़ हाई स्कूल, पाली व गर्ल्स स्कूल पाली को सेकण्डरी हाई स्कूल में परिवर्तित करने पर विचार करने के लिए) ।"

६५. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) कम कर दिया जाय (वर्तमान सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओं की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।"

श्री चन्दनमल वेद :

98. "That Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss non-availability of Nationalised Text-books)."

श्री अनूपसिंह :

224. "That Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the indifferent attitude of the Govt. to provide basic facilities to the school teachers in rural areas)."

225. "That Demand No. 15 Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. to raise the schools of Samdari, Siwana and Balotra to High school, Higher secondary and Multi-Purpose standards respectively)."

226. "That Demand No. 15 Major head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Govt. to repair the school Hall in Balotra)."

श्री मुरलीधर व्यास :

१८८. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रुपये की कटौती कर दी जाय (प्राथमिक स्कूलों को बेसिक शिक्षा में बदलने के सम्बन्ध में) ।"

श्री पी. के. चौधरी :

213. "That Demand No. XV Major Head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the Defects in the system of Primary and Basic education and its expansion)."

97. "That the demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Goverment to open a Degree College at Sambhar)."

103. "That the demand No. XV Major head 37- Education be

(श्री पी. के. चौधरी)

reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Education Programme to relieve educated unemployment)."

104. "That the demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. to raise the middle school at Manpura, Machaur, Jamwa Ramgarh Tehsil to High School standard)."

105. "That the demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. To acquire the biulding of the Primary School at Dhani Karigarun at Phulera)."

106. "That the demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Govt.'s 'ailure to reconstruct the Building of the Girls' Middle School at Sambhar)."

215. "That Demand No. XV Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the non-fixation of Pay and stoppage of annual grade increment of the taken-over staff of M. R. S. High School, Kishengarh-Renwal)."

117. "That the demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Govt. to provide additional accommodation for the High School at Phulera)."

228. 'That Demand No. XV Major Head 37- Education, be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Govt. to locate the office of the Director of Education at some central place)."

229. "That Demand No. XV, Majr Head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the action of the Govt. in maintaining separate Normal and Central Training schools for women)."

230. "That Demand No. XV, Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Govt.'s piecemeal action in opening Multipurpose and Higher Secondary Schools)."

236. "That Demand No. XV, Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the action of the Govt. in utilising grants received from the Central Govt. for specific schemes and for meeting routine expenditure of the deptt.)."

247. "That Demand No. XV, Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the action of the Govt. in abolishing sanctioned plan posts of ex-Ajmer state in Education Department)."

248. "That Demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the action of the Govt. to hasten the pace of introduction of 3 years degree course)."

234. "That Demand No. XV, Major Head 37- Education be

(श्री पी. के. चौधरी)

reduced by Rs. 100/- (To discuss the irregular appointments of Heads of Post graduate departments of Cnmmerce and Sociology in S. D. Govt. College, Beawar)."

252. "That Demand No. XV Major Head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Govt. to make any provision for introduction of Free and Compulsory Primary education in the State)."

253. "That Demand No. XV Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Govt.'s Vocational Guidance Bureau programme)."

254. "That Demand No. XV, Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the abolition of Junior Technical School Seheme)."

255. "That Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss extravagant expenditure incurred on Commerce College, Jaipur)"

256. "That Demand No. XV, Major head-37 Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Govt''s failure to raise the middle school at Bhandarej, Dausa Tehsil to Higher Secondary School)."

श्री भीमसिंह :

109. "That the Demand No. XV, Major head-37 Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the construction of Physical Training College Building at Bikaner City)."

110. "That the Demand No. XV Major Head 37- Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss taking over of Schools of District Board, Bikaner during current year)."

111. "That the demand No. XV Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss starting of Junior Technical Institute at Bikaner City during current year)."

112. "That the Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss introduction of classes of Sociology in Degree and Political Science in Post graduate classes in Dungar College, Bikaner)."

श्री लच्छूराम :

९३. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिये)।"

श्री मनोहर कोठारी :

115. "That the Demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the appointments of single teachers in primary schools)."

116. 'That the Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To disuess the indifference of the Govt. in open-

(श्री मनोहर कोठारी)

ing the Higher Secondary School in Kumbhalgarh Tehsil)."

रावल श्री नरेन्द्रसिंह :

२२२. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) की कटौती की जाये (जोबनेर में शिक्षणालय व छात्रावास बिल्डिंग्स के बनाये जाने हेतु वाद-विवाद के लिये) ।"

२२३. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) की कटौती की जावे (फागी तहसील में हाई-स्कूल होने के लिये विवाद हेतु) ।"

श्री नारायनसिंह :

264. "That Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the Policy of the Government of Rajasthan regarding Free Primary Education)."

श्री श्रीमानसिंह :

130. "That the Demand No. 15, Major head 37-Education be reduced by Re.1/-(To discuss the Basic Education-conversion of Primary Schools)."

257. "That the Demand No. 15, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the system of imparting Education by Key Notes instead of Text Books)."

श्री श्योपतसिंह :

२१६. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में से १) की कटौती की जाय (सरकार की स्कूलों के खोलने में पक्षपात पूर्ण नीति पर विचार करने के लिये) ।"

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा :

249. "That the Demand No. XV Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss failure of the Govt. to make required provision in the Budget for development of the various education schemes provided in the 2nd, Five year plan for the Ajmer area)."

श्री भैरोंसिंह :

२७०. "मांग सं० १५ मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) की कटौती की जाय (शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय खरीद–फरोख्त में अनियमितता पर विचार करने के लिये) ।"

श्रीमती गंगादेवी डागा :

१०७. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिए जायें (राजऋषि कॉलेज, अलवर में लॉ व एम० ए० क्लासेज़ स्थापित करने पर विचार करने के लिए) ।"

१२६. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० कम कर दिए जायें (महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, अलवर में साइन्स क्लास स्थापित करने पर विचार करने के लिए) ।"

श्री बी. एन. जोशी :

२३५. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिए जायें (राज्य सरकार की समस्त हाई स्कूलों व कालेजों में छात्रावासों तथा खेल मैदानों का समुचित प्रबन्ध करने में असफलता पर विचार करने के लिए) ।"

१२४. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ में शिक्षा में १००) रु० कम कर दिए जायें

Page No.98

(श्री बी. एन. जोशी)

(पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति की असफलता व उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए) ।''

१२५. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु. कम कर दिए जायें (राज्य सरकार द्वारा शिक्षा शुल्क वृद्धि पर विचार करने के लिए) ।''

१२६. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिए जायें (बसवे तथा बांदीकुई के हाई स्कूलों तथा कन्या माध्यमिक शालाओं में स्टाफ की कमी पूर्ति न कर सकने पर विचार करने के लिए) ।''

१२७. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) कम कर दिए जायें (शिक्षा विभाग के प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में असफल रहने पर विचार करने के लिए) ।''

१२८. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० कम कर दिया जाय (बांदीकुई हाई स्कूल में विज्ञापन व वाणिज्य कक्षायें न खोल सकने पर विचार करने के लिए) ।''

२१२. "मांग संख्या १५ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिये जायं (राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने में असफल रहने पर विचार करने के लिए) ।''

श्री मोहरसिंह :

२३७. "मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जावे (तबादलों में होने वाली अनियमितताओं पर विचार करने के लिए) ।''

२३८. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जावे (राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों के न मिलने के कारण हुई असुविधाओं पर विचार करने हेतु) ।''

२३९. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) की कटौती की जावे (राजगढ़ में हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान कक्षा न खोलने पर विचार करने के हेतु) ।''

२४०. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कमी की जावे (राज्य सरकार द्वारा इन्कमटैक्स देने वालों पर फीस वृद्धि कायम रखने के पक्षपातपूर्ण रवैये पर विचार करने हेतु) ।''

श्री मुक्तिलाल मोदी :

२१४. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में से १००) रु० की कटौती की जावे (गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देने पर विचार करने के लिए) ।''

२३३. "मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय। (प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकारी एड बन्द करने के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु) ।'']

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के विषय में मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला प्रस्ताव पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में है।

(डॉ० चन्द्रकला)

दूसरा शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में हैं और तीसरा शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति और निश्चित योजना के अभाव के बारे में है।

पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सदन में कई प्रकार से, कई तरह से आ चुका है और उस पर तरह तरह से विचार भी प्रकट किये जा चुके हैं। कई बार इस पर चर्चा का होना इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में किया उससे सदन और जनता सहमत नहीं है। यदि हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय शिक्षा शास्त्री होते या शिक्षा के क्षेत्र का उनको अनुभव होता तो निश्चित रूप में पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण जैसी चीज वे न करते, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण ठीक नहीं है।

जैसा हम जानते हैं कि बचपन में बच्चों की स्मरण शक्ति, रटने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, ऐसी स्थिति में उनको किसी एक पुस्तक से बांध देना ठीक नहीं होता है। यह बात जरूर थी कि हमारे प्रान्त में समय समय पर पुस्तकों की समस्यायें उपस्थित होती रहती थीं। कभी एक दूसरी बात को लेकर सवाल उठता था, कभी सवाल उठता था पाठ्य पुस्तकों को लिखने के बारे में, कभी उन्हें प्रकाशित करने के बारे में और कभी बच्चों तक उनको पहुंचाने के बारे में। इन सब बातों को लेकर अनेकानेक सवाल उठते थे। हमारी सरकार ने उन सवालों का हल सोचा और वह हल यह सोचा कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और इस हमारी सरकार ने पुस्तक लिखने वाले, पुस्तक प्रकाशित कराने वाले और पुस्तक विक्रेता सबके उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेना मंजूर किया। जैसा कि पहले शिक्षा मन्त्री महोदय स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सुन्दर, सस्ती और सुलभ पाठ्य पुस्तकें देना था। मैं नहीं समझती कि कोई भी शिक्षा शास्त्री यह करेगा कि कोई भी विद्यार्थी एक सुन्दर पुस्तक ले ले और उसी एक पुस्तक उसकी में पढ़ाई बांध दी जाये। अब सुलभ और सस्ती किस दृष्टि से होगी, यह सोचने की बात है और जिस तरह से हमारी यह योजना कार्यान्वित हो रही है, इसमें साल-साल भर हो गया लेकिन अबतक इस दिशा में हम कोई निश्चित सफलता तक नहीं पहुंचे हैं। इस बजट में पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पिछली वर्ष और इस वर्ष के बजट को मिला कर लगभग ३० लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। अच्छा यह होता कि वह भी बताया जाता कि अब तक इससे आय कितनी हुई है? तो इन सब बातों को देखते हुए यह जरूरी है कि पिछली बार जब राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बातचीत चली थी उस समय शिक्षा मन्त्री महोदय ने कुछ विदेशी विशेषज्ञों की राय इस सम्बन्ध में प्रकट की थी कि उन्होंने हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति की सराहना की है। लेकिन दूसरे विदेशी विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनके पास बात गई कि राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तो उन्होंने अपना मत प्रकट किया है कि बच्चों की पहली क्लास से आठवीं तक की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। इसमें दो रायें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है उनकी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीयकरण ठीक नहीं है और इसके साथ ही साथ इस सम्बन्ध में जो व्यावहारिक गुण आने वाला था उसको पहले से देख लेना चाहिए

(डॉ० चन्द्रकला)

था। माना कि बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञ पुस्तक के राष्ट्रीयकरण करने में काम कर रहे थे। उनके प्रति मेरी सम्मान की भावना है। मैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखती हू, लेकिन कोई कोई विशेष योग्यता वाले किसी विषय में रिसर्च करते हैं, मैंने रिसर्च किया साहित्य में, इससे हमारी अयोग्यता मिटती है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमारी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और जिस तरह से यह लिखाई गई और लिखने के बाद में विशेषज्ञों ने संशोधन किये तो भीतर भीतर की बातों से पता लगता है कि यह किसी अंश तक ठीक कार्य नहीं हुआ।

इसके बाद आगे चलें। हमारी सरकार के पास और हमारे शिक्षा मन्त्रीजी के पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं और कुछ काम वे व्यर्थ ही अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना काम तो था ही उसके साथ साथ पुस्तकें बेचने का काम और ले लिया। इससे पुस्तक विक्रेताओं का सहयोग कम हो गया। इधर तो सरकार ने थोड़ा सा काम अपने हाथ में ले लिया और उधर चोर बाजारी और काला बाजारी बाजार में आ गई, पाठ्य पुस्तकों को लेकर। पाठ्य पुस्तकें तो प्रेस में थीं लेकिन उनकी कुन्जी पहले ही आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझती कि सदन कभी कल्पना कर सकता है कि पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चे पाठ्य पुस्तकें तो पीछे पढ़ें और कुंजी उनके पास पहले पहुंच जाये। यह सब पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ। तो मैं यह सोचती हूं और शायद सदन भी ऐसा महसूस करता होगा कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने बड़ा गलत कदम उठाया है। इस पाठ्य पुस्तकों की समस्या को दूसरी तरह से हल करनी चाहिए और बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिलें इसके लिए भी दूसरी तरह से कोशिश करनी चाहिए और जो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है सुन्दर, सस्ती और सुलभ पुस्तकें मिलें इसके लिए दूसरा जरिया भी कोई हो सकता था। नहीं तो पुस्तकें छपी नहीं हैं, भले ही छप जायें इसके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आगे चलकर और दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से यह पुस्तकों के नहीं मिलने की बातें हैं, इनको दूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही पाठ्य पुस्तक में बच्चों को लगा दें, यह तो ठीक नहीं होने वाला है।

मेरा दूसरा प्रस्ताव इसी से सम्बन्धित है, वह है शिक्षित बेकारों की समस्या। कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने एक प्रश्नोत्तर के समय यह बताया था सदन को कि हमारे यहां इस बात का सर्वे नहीं हुआ है, इस बात की जांच नहीं हो सकी है कि शिक्षित बेकारों की औसत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि जहां यह मालूम नहीं है कि हमारे शिक्षित बेकारों की क्या संख्या है, उनकी क्या स्थिति है, फिर उनकी समस्या को दूर करने का सवाल हो ही क्या सकता है? इसी का नाम है कि हम शिक्षा के उसी पुराने ढर्रे पर चलते जा रहे हैं जो बेकारों का कारखाना बनने वाला है। इधर तो मैट्रिक, ग्रेजुएट और एम० ए० काफी निकलते जा रहे हैं, जो धीरे-धीरे हमारी सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। एक सवाल पहले पूछा गया था तो उसका जवाब यह दिया गया था कि शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने के लिए कुछ हजार प्राइमरी स्कूल खोले हैं और वह भी प्राइमरी स्कूल एक अध्यापक का एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है। समझ में नहीं

(डॉ० चन्द्रकला)

आता कि इससे किस तरह यह समस्या हल हो सकती है ? क्योंकि स्कूल खोलने के साथ ही जहां शिक्षित बेकारों को काम देते हैं वहां पर स्कूल चलाने की बहुत भारी जिम्मेदारी को आप अपने ऊपर लेते हैं । तो इसको यदि हमें हल करना है तो हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे और हमें सबसे पहले उस शिक्षा को एकदम से खत्म करना पड़ेगा जो हमारे शिक्षितों की बेकारी को दिन ब दिन बढ़ा रही है । साथ ही ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जिस शिक्षा को लेकर हमारे युवक और लड़कियां बेकार नहीं होंगी ! वह अपने जीवन में जाकर कुछ न कुछ करेंगे । तो शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा । इसके साथ ही ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे वह निकम्मे साबित न हों, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, वह सारे आवश्यक उपयोगी काम में लग सकें ।

आज हमारे सामने सवाल आता है और हम हर जगह महसूस करते हैं कि हमको हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं मिलते । एक ओर तो हमारी तरह तरह की योजनाएं हैं किन्तु उनको कार्यान्वित करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते । तो यह सब क्यों है ? हमारी शिक्षा में मूलभूत कमियां हैं । हमारी शिक्षा हमारी योजनाओं से लेकर, हमारे प्रान्त के विकास से लेकर उन्नति के कार्यक्रम के अनुसार नहीं मिलतीं । वह एक ही ढांचे से चल रही हैं और उस ढांचे के बावजूद भी वह व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं हो रही है । तो हमें इस शिक्षा की योजना बनाते समय इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा ।

मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव शिक्षा के संबन्ध में है । हमारी इसमें कोई स्पष्ट नीति और निश्चित योजना नहीं है । जैसा कि मैंने अपने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया है कि हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से बहुत मार्ग दर्शन लेती है, लेकिन शिक्षा बहुत कुछ राज्य का ही विषय है । राज्य अपनी योजना, अपनी आवश्यकता को देखते हुए, किसी तरह की भी बना सकता है, लेकिन हमारे जो एक पुराने जमाने से अंग्रेजी फैशन के जमाने से जो शिक्षा योजनायें चलती आ रही हैं, उसको ज्यों का त्यों अपना लिया है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया और कहीं-कहीं तो जिसको हम छोड़ने की बात करते हैं, जिसको यदि हम छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता, उसको पनपाते जा रहे हैं । खासकर जो बेसिक शिक्षा के नाम से एक तरह का ढोंग शिक्षा में हो रहा है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ । मेरा तो नम्र निवेदन है कि हमें यदि इसी तरह की बेसिक शिक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से बेसिक और बुनियादी तरीके की बात करनी छोड़ देनी चाहिए; आजकल बुनियादी तरीके में केवल तकली का प्रचार कर देना ही माना जाता है । मैं तो ताज्जुब करती हूँ कि मेरे अभी एक प्रश्नोत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि एक स्कूल को दो महीने पहले से बुनियादी स्कूल कर दिया गया है । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह स्कूल जो कई सालों से चलता आ रहा है वह बुनियादी स्कूल कैसे हो गया, यह परिवर्तन कैसे हुआ ? मैं वहां गई और मैंने जाकर पूछा कि क्या यह स्कूल बुनियादी हो गया है और १५-१-५८ से अब तक इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं ? इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है । फिर मैंने कहा कि आपके पास में तकलियां आई क्या ? उन्होंने कहा कि नहीं । मुझे यह सुनकर

(डॉ० चन्द्रकला)

बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं यह समझती थी कि सरकार किसी स्कूल में दस पांच तकलियां लगा दे तो वह बुनियादी स्कूल हो जाता है।

हां, यदि स्कूल के पास खेत है, थोड़ी सी जमीन है तो दो, चार क्यारियां कर दीं और दो एक तैयार पेड़ लाकर खड़े कर दिये। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि बिना किसी बात के ही बुनियादी स्कूल हो जाया करते हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि क्या नीति है? बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या योजना है, जिसको क्रियान्वित करने के बारे में धड़ाधड़ सीधे-सादे स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो।

दूसरी बात यह है कि हमने कुछ दिन पहले निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में नहीं आता कि क्या अर्थ हुआ निःशुल्क शिक्षा का? एक प्रश्न पूछा था तो मुझे शिक्षा मन्त्री महोदय ने एक दिन उत्तर दिया कि निःशुल्क शिक्षा का मतलब यह है कि जहां सरकारी पाठशालाओं में फीस नहीं ली जाती हो। क्या इसका यही अर्थ हुआ कि सरकार द्वारा चलाये हुए स्कूलों में शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता है और दूसरे स्कूलों में भले ही लिया जाता हो। मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि सरकार यदि सचमुच में, सही अर्थ में शिक्षा का प्रचार करना चाहती है तो सारे भ्रमजाल को छोड़ कर उसको तय करना चाहिए, एक बात कि किस तरह की शिक्षा देना है। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले उसको प्राइमरी स्कूलों में; कक्षा १ से पांचवी तक की शिक्षा को, अनिवार्य करना चाहिये और निःशुल्क करे और बिना किसी भेद-भाव के हरेक पाठशाला में चाहे वह सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे वह सहायता प्राप्त हो, चाहे व्यक्तिगत स्कूल्स हों, सब में निःशुल्क शिक्षा दे। उसके लिए भले ही यह कहें कि अर्थ की कमी हो सकती है, साधन का अभाव हो सकता है। परन्तु उसके लिए मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम राजस्थान कॉलेज या दूसरे बड़े बड़े कॉलेजों की ओर जायं। ठीक है कि इनकी आवश्यकता हमें हो सकती है, लेकिन आज नहीं। पहले बड़ी योजनाओं को स्थगित करें और छोटे स्कूलों को लें और वहां काम करें।

तीसरी बात यह है कि योजनाओं में जो अभाव देखते हैं वह लड़कियों की शिक्षा के बारे में। एक ओर शिक्षित बेकारों के बारे में समस्या बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर चुपचाप लड़कियों को वही शिक्षा दिलाई जाती है। जहां तक नौकरी का सवाल है, जहां तक लड़कियों को नौकरी दिये जाने का सवाल है, यह अवश्य होना चाहिए कि हम उनको इस आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बना सकते हैं। एक टीचर वाले स्कूलों को खोलेंगे तो उनको वहां नौकरी मिल सकती है। वे ऑफिस में जाकर बैठ सकती हैं, लेकिन लड़कियों का क्षेत्र बाहर कम है और घर अधिक है। उनको घर जाकर सम्हालना पड़ता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से लड़कियों की शिक्षा की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैंने साफ देखा है कि इस बारे में किसी तरह की योजना नहीं है। सरकार को इस संबंध में सोच-समझ कर प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक योजना बनानी चाहिए और अधिक से अधिक जनता का सहयोग लेना चाहिए। इन शब्दों को रखते हुए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करती हूं।

Page No.103

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनराय नागर !

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am moving with your premission cut-motion No. 82. It is one of the most important topic so far discussed. So far as the lay out of the Higher Seoondary Education is concerned.........

(सदन में चारो ओर से 'हिन्दी-हिन्दी' की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : This is to our **regret.**

श्री जनार्दनराय नागर : इसका संबंध वर्तमान नीति से भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अपने कटौती प्रस्ताव को बहुत ही महत्व का मानता हूं मुझे भय यह है कि अभी जो राजधानी समिति की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है, उससे मेरे इस कटौती प्रस्ताव का शायद आधा हिस्सा तो हल हो जाता है, लेकिन मैं 'शायद' शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि कहीं हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड जो जयपुर में चल रहा है, वह अजमेर न ले जाया जाय । मैं पहले बहुत ही संक्षेप में हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड की एक कहानी जो अजमेर के साथ लगी हुई है, आप के सामने रखना चाहता हूं । जब अजमेर विलीन नहीं हुआ था तब वहां पर एक सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड चलता था । उस बोर्ड को इस समय भारत सरकार ने अपने आधीन रख छोड़ा है ।

४.२५ म० प०

(डॉ० चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

जहां तक मेरी सूचना है कि हिन्दुस्तान के पब्लिक स्कूलों के लिए और अन्डमान और निकोबार की परिक्षाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है । जब राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के मामले में कदम लिया गया और इस सदन में उसका एक्ट बना तब यह सवाल हमारे सामने आया था और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक बात है कि राजस्थान में एक ही सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड रहना चाहिए, लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि अजमेर में वह बोर्ड बराबर कायम रहे । यह मामला प्रवर समिति में आया तब थोड़ी बहुत चर्चा इस विषय को लेकर हुई थी । सरकार की ओर से कहा गया कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय का कोई रहस्यमय निर्णय है जिसकी वजह से राजस्थान में यह केन्द्र शासित बोर्ड रहेगा । समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार ने जब एक सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बना दिया और उसका काम काज चालू हो गया तब राजस्थान के अन्दर केन्द्र द्वारा संचालित एक बोर्ड रहे और उसका दायरा राजस्थान के दूसरे सेकन्डरी स्कूलों के लिए भी खुला रहे । कहीं भी मौजूदा कानून में यह बात नहीं है कि कोई भी राजस्थान में सेकन्डरी स्कूल, यदि वह इस बोर्ड के द्वारा इम्तिहान दिलाना चाहता है, तो वह नहीं दिला सकता है । इसका मतलब यह है कि राजस्थान राज्य में दो सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड हैं । यह राजस्थान की प्रतिष्ठा और सत्ता के लिए तथा उसके वर्चस्व के लिए सबसे बुरी बात यह है कि इस सदन के द्वारा जो कानून बना है उसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं अत्यन्त गलत बात मानता हूँ कि अजमेर का सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड रहे ।

Page No.104

(श्री जनार्दनराय नागर)

जहां तक खोज करने से मालूम हुआ है, मुझे मालूम नहीं है कि पूरे तथ्य क्या हैं, लेकिन कुछ बात जरूर है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि इस बोर्ड को अजमेर में कायम कर रखा है। मैं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने इस तरफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का ध्यान दिलाया है। जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि इस बारे में प्रयत्न किया गया, लेकिन वह प्रयत्न असफल रहा। इस एक्ट को बनाया तो इस स्थिति का मुकाबला किस तरह से करना पड़ा? हम अजमेर के सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड को नहीं मिला सके। इसलिए इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान राज्य में केवल एक ही सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड रहना चाहिये। उसकी सत्ता समस्त राजस्थान राज्य में चलनी चाहिये। उसके ही जुरिस्डिक्शन के आधीन राजस्थान राज्य के सारे सेकन्डरी स्कूलों की परीक्षाएं होनी चाहिए। यह ऐसी बात है कि जिसमें कोई विवाद खड़ा नहीं होता। केन्द्रीय सरकार का क्या मकसद है इसकी जांच करने का काम राजस्थान सरकार का है। यह काम हमारा नहीं है। लेकिन आधारभूत सवाल यह है कि राजस्थान राज्य में इस प्रकार के दो बोर्ड नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए इस कटौती प्रस्ताव से मांग करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से कहे कि वह अजमेर के सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड को राजस्थान के सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के अन्दर मिला दे और इसके साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि जो बोर्ड यहां चल रहा है, उसको अजमेर में स्थानान्तरित कर दिया जाय। मेरी इस दलील को काफी समर्थन प्राप्त होता है, राजस्थान की राजधानी समिति की सिफारिशों से। उस सिफारिश में कहा गया है कि सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड जो जयपुर में है उसको अजमेर ले जाया जाय। अजमेर का जहां तक हाई स्कूल और इन्टरमीजियेट का सवाल है पुराना इतिहास उसके साथ में चला आता है। हमने भी हाई स्कूल और इन्टरमीजियेट अजमेर बोर्ड से ही दिया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अजमेर केन्द्रीय स्थान होने के नाते शिक्षा की दृष्टि से, जहां तक इन्टरमीजियेट शिक्षा का सवाल है, अजमेर का प्रथम स्थान है। केन्द्र द्वारा शासित वह बोर्ड है, उसके पास में काफी धन है। ६ लाख डिपाज़िट में उस बोर्ड के पास में पैसा पड़ा हुआ है। उसके पास मकान है और जयपुर का बोर्ड अभी चालू हुआ है। उसका घर भी नहीं है और वह किराये के मकान में रखा गया है।

तो सारी जो पीछे की तवालत है, मैं समझता हूँ, मेरे प्रस्ताव से मिट जाती है यदि हम इस बोर्ड को अजमेर ले जाते हैं और अजमेर के सेकण्डरी बोर्ड को उसमें मिला दिया जाता है। तो हमको डिपोज़िट के साथ साथ आलीशान मकान है वह भी प्राप्त हो जाता है। यह भी सत्य है कि अजमेर राजस्थान में मिल चुका है और यह इतिहास की कहानी मात्र रह गया है, ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान पर कृपा क्यों की है कि अपना बोर्ड वहां चालू रखा है।

मुझे पब्लिक स्कूलों के लिए कुछ कहना नहीं है। अलग केन्द्र संचालित बोर्ड है जिसके द्वारा परीक्षाएं ली जायं। मैं समझता हूँ हजारों लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके लिए समझाने की बात नहीं है। आज हिन्दुस्तान में कितने ही पब्लिक स्कूल चलते हैं। जहां पब्लिक स्कूल चलते है वहां मतभेद होता है, लोगों की मांग है कि इन

Page No.105

(श्री जनार्दनराय नागर)

पब्लिक स्कूल्स को हटा देना चाहिये। पब्लिक स्कूल्स की पुराने जमाने में परम्परा रही है। ये यूरोप में युनाइटेड किंगडम में चली। साम्राज्यवादी युग के व्यक्तियों द्वारा चलाने की कहानी है । उनका दूसरी तरह का स्तर है और दूसरी तरह का ही दृष्टिकोण है। आज की भारतीय जनता की जो विकासोन्मुख की मनोवृति और मनोधारा है उसमें वह फिट नहीं बैठती है। इसलिए कहीं तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पब्लिक स्कूल्स हिन्दुस्तान में चलाने की जो परम्परा है उसको समाप्त करना चाहिये और कहां हम देखते हैं कि भारत सरकार अजमेर बोर्ड से इनका सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, जिसके जरिये इन पब्लिक स्कूल्स का एग्ज़ामिनेशन लिया जाय। ये कौन से उच्च वर्ग की स्कूल्स हैं और उसमें बैठने वाले कौन से उच्च वर्ग के हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार विशेष इन्तजाम करना चाहती है, इसलिये यह बहुत ही समीचीन है कि अजमेर बोर्ड राजस्थान बोर्ड के साथ मिलाया जाय और राजस्थान बोर्ड का केन्द्रीय दफ्तर अजमेर भेज दिया जाय। मैं यह मानता हूँ कि इससे सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड में बदइन्तजामी का जो प्रश्न है वह भी हल हो जायगा और राजस्थान के वर्चस्व से काफी सुविधा होगी।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव जनता कॉलेज के बारे में है। राजस्थान राज्य में एक जनता कॉलेज चल रहा है उदयपुर डिवीज़न में। आज से कई वर्ष पहले सन् ५३ में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सहयोग से जनता कॉलेज का शुरूआत करने का निश्चय किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा विभाग की स्कीम नं० १ के आधीन जनता कॉलेज स्थापित करने की योजना थी। दो साल राजस्थान में यों ही निकल गये। तीसरे साल के प्रारम्भ में राजस्थान सरकार ने निश्चय किया कि बहुत नहीं तो एक आध जनता कॉलेज प्रारम्भ किये जांय। तब भारत सरकार के सहयोग से और राजस्थान सरकार के उदारतापूर्ण सहयोग से जनता कॉलेज शुरू किया गया। काफी अपना खर्चा खाना पड़ा लेकिन कुल मिला कर एक ही जनता कॉलेज बन सकी। दूसरा आयोजन बना तब राजस्थान सरकार ने निश्चय किया कि राजस्थान के अन्य चारों डिवीजन्स में चार जनता कॉलेजेज़ खोली जांय और यह फैसला बराबर है, लेकिन मेरी सूचना है कि रेशनेलाइज़ेशन, विलीनीकरण के सिद्धांत के आधार पर यह तय है कि जनता कॉलेज इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के दूसरे इलाकों में नहीं खोले जायं। इसका कारण यह बताया जाता है कि अर्थ का हमारे यहां अभाव है। मैं नम्रता से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि जनता कॉलेज की योजना को नहीं चलाने में अर्थाभाव का कारण बताया जाय तो वह दुखद कारण है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में एक जनता कॉलेज के विस्तार के मामले में काफी अकेलेपन का काम किया जा रहा है। एक ही जनता कॉलेज यहां पर चल रहा है। ५ शुरू हों, उनका विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार को मदद करनी चाहिये थी और मैं जानता हूं कि मदद करना चाहती भी है, लेकिन इनके विकास में काफी रोड़े हैं; मैंने उम्मीद की थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार जनता कालेजेज़ और होंगी। मैसूर राज्य में, मैं सूचना सदन को देना चाहता हूं, कि हर जिले में एक जनता कॉलेज खोलने की तैयारी है। मैसूर राज्य में जनता कॉलेज को विद्यापीठ कहते हैं। युनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन है उसने

(श्री जनार्दनराय नागर)

करीब १२ लाख रुपये मैसूर राज्य के प्रौढ़ शिक्षण संघ को दिए थे। तो कम से कम एक जनता कॉलेज का प्रयोग देखकर हम उसको और भी आगे बढ़ाते तो राजस्थान में जो करोड़ों प्रौढ़ हैं उनको जनतन्त्रीय समाज का क्षेत्र मिलता। हम परोक्ष रूप से समझते हैं कि प्रौढ़ों के शिक्षण का प्रश्न मूल प्रश्न है। आज हमने शिक्षा विभाग के बजट में अधिक से अधिक यदि उदारता पूर्वक कहना चाहें तो ४० पर्सेन्ट बच्चों को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है। ४० पर्सेन्ट मैं अधिक उदारता से कहना चाहता हूं। इनके अलावा ६० पर्सेन्ट बाकी हैं, जिन्हें स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं। लेकिन इन बच्चों के आस-पास इनके माता पिता हैं, जो लाखों की संख्या में हैं, उनको शिक्षित किये बिना कोई जनतंत्रीय समाज पद्धति और संस्कृति विकसित नहीं हो सकती, विकसित होना तो दूर रहा लेकिन टिक भी नहीं सकती; तब तक, जब तक कि व्यापक समाज शिक्षण का आन्दोलन नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं राष्ट्रीय विस्तार खंडों के द्वारा इस प्रकार का आन्दोलन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय विस्तार खंड के साधनों से प्रसारित करने वाली बातों को राष्ट्रीय विस्तार खंड के लिए प्रचार मात्र कह सकते हैं। सही रूप से इसका प्रचार होना चाहिये......

श्री दयाकृष्ण विजय : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जनता कॉलेज और राजकीय कॉलेज में अन्तर क्या है, यह बता दीजिये।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रीय विस्तार खंड के जरिये समाज शिक्षण आन्दोलन चलाया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा वह पर्याप्त नहीं है। सही बात यह है कि राज्य में इसके लिए स्वतंत्र डाइरेक्टोरेट या बोर्ड होना चाहिए, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि जनता कॉलेज अधिक महत्वपूर्ण माध्यम होने वाला है। आज सारे देश में १५-२० जगह चलाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं, पहले पहल डेनमार्क की हायर स्कूल में इसका ख्याल आया। वहां पर उन्होंने स्वतन्त्रता ही प्राप्त नहीं की बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में उन्होंने इसका प्रारम्भ हायर स्कूलों से बहुत जोर शोर से किया। वहां पर ये जनता के लिये शिक्षा-दीक्षा के समस्त साधन और सुविधाएं जुटाने वाली कॉलेजेज़ के रूप में हैं।

भारत सरकार ने आज से ५ वर्ष पहले या इससे भी पूर्व प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इस ओर ध्यान दिया और भारत सरकार ने १७,१८ शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों का एक डेलिगेशन डेनमार्क भेजा। इस डेलीगेशन ने वहां जाकर जितनी पब्लिक हाई स्कूल थीं और कॉलेजेज़ थीं, उनका निरीक्षण किया और उसके बाद में भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखी और उसके बाद शिक्षा मन्त्रालय ने अपनी स्कीम नं० १ के अन्तर्गत इस स्कीम को शुरू किया और ऐसी १५,१६ संस्थाएं इस समय चल रही हैं। उनमें से एक दिल्ली के पास अलीपुर में चलती है जिसको यू. एन. ओ. से भी काफी रुपया मिलता है और देश में जो भी दूसरे स्थानों पर चलती हैं उनको १ लाख से कम की सहायता नहीं मिलती है। १०० प्रतिशत इन जनता कॉलेजों को मिलता है और जनता कॉलेज का नमूना हमारे देश में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जनता कॉलेज के इस स्वरूप को देख कर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज में शिक्षण का कैसा भी प्रावधान हो, कैसी भी व्यवस्था हो, जनता कॉलेज एक आलोक के रूप में काम

(श्री जनार्दनराय नागर)

करेगा। जनता कॉलेज एक सरल और आकर्षक विचार है। हम चाहते हैं कि गांवों से कुछ वयस्क आवें और जनता कॉलेज के वायु मंडल और जनता कॉलेज की चार दीवारी में कुछ आलोक प्राप्त करें......

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : आप बैठ जाइये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि वे समय-सीमा का ध्यान रखें। इस मांग पर सारे कटौती प्रस्ताव नहीं लिये जा सकेंगे, अगर समय की ओर ध्यान नहीं दिया तो। आप पांच मिनट में बाकी दोनों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। समय की क्या सीमा निर्धारित की गई है, आप बता देंगी ?

श्रीमती सभानेत्री : पांच मिनट और हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : पांच मिनट एक कटौती प्रस्ताव के हिसाब से २० मिनट लेने का मुझे अधिकार है।

श्रीमती सभानेत्री : २० मिनट हो गये हैं। आप पांच मिनट में सारे प्रस्ताव रख दें।

श्री जनार्दनराय नागर : आप सारे कटौती प्रस्ताव मूव्ड मान लीजिये। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे कहने दीजिये, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ।

मैं कह रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनता कॉलेज का विधान रखा गया। इन जनता कॉलेज में कुछ वयस्क आयें सारे डिवीजनों के गांव से, ये जनता कॉलेज है, ये विद्यार्थियों को नौकरी करने के लिए शिक्षण देने के लिए नहीं है, इन जनता कॉलेज से निकले हुए वयस्क गांवों में जायेंगे और गर्मी के अन्दर एक जनतन्त्रीय शिक्षण, जनतंत्रीय जीवन पद्धति में एक आलोक फैलायेंगे। मुझे दुःख हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जिस उत्साह से जनता कॉलेज का विधान किया गया था, वह अब नहीं रखा गया है।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव राजस्थान विश्व विद्यालय को मदद देने के बारे में है। हायर सेकन्डरी बोर्ड बनने के बाद में राजस्थान विश्व विद्यालय की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई है, मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं भी सीनेट का मेम्बर हूं, मुझे राजस्थान विश्व विद्यालय की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी है कि राजस्थान विश्व विद्यालय के पास ६० लाख का फंड था। मेरी सूचना है कि यदि सरकार ने इस विश्व विद्यालय का घाटा पूरा नहीं किया तो दो तीन साल तक विश्वविद्यालय को घाटे की पूर्ति करने के लिए इस फंड पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस विश्वविद्यालय ने इस फंड के अन्दर १ लाख २० हजार रुपया और मिलाने का फैसला किया था, लेकिन हायर सेकन्डरी बोर्ड के बन जाने से और राजस्थान विश्वविद्यालय के हाथ से हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षायें निकल जाने से इस विश्वविद्यालय को छः लाख का घाटा होने वाला है। मैं समझता हूं कि इस घाटे की पूर्ति बहुत जरूरी है और यदि हम पूर्ति नहीं करेंगे तो इस विश्वविद्यालय ने १० वर्ष के अन्दर जो रिज़र्व फन्ड निर्मित किया है, वह उसे देना पड़ेगा और तीन चार साल में कुल मिलाकर विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति चिन्तनीय हो जायगी। इसलिये मैंने मेरे कटमोशन के जरिये सरकार का ध्यान

(श्री जनार्दनराय नागर)

आकर्षित किया है। मुझे खुशी है कि जब मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में इस बात को लाया गया तो मुख्य मंत्रीजी ने इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया और जहां तक मेरा ख्याल है कि इस बात का आश्वासन दिया कि इस मामले में राजस्थान सरकार गम्भीरता के साथ विचार करेगी। मैं समझता हूं इस मामले में कुछ करने का प्रयत्न उन्होंने किया है, लेकिन क्या किया है, यह देखना है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : बजट में है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा घाटा पूरा कर दिया जाय। अगर ढाई लाख का घाटा पूरा करते हैं तो गुनाह और बेलज्जत वाली चीज हो जाती है। सभानेत्रीजी, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हायर सेकन्डरी बोर्ड के बनने से राजस्थान विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति में रद्दोबदल हुई है और विश्वविद्यालय को छः लाख का जो घाटा हुआ है, उसको पूरा किया जाय। इस चीज को जरा हिम्मत के साथ कर दिया जाय, इससे, मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय को काफी बल मिलेगा।

मेरा अन्तिम कट मोशन है, वह यह है कि शिक्षण-संस्थाओं को जो ग्रान्ट-इन-एड मिलती है और ग्रान्ट-इन-एड के मामले सरकार के पास में आते हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि एक ग्रान्ट-इन-एड कमेटी बनाई हुई है। वे मामले कमेटी के पास आते हैं, इन मामलों को तय करने में एक ढील चल रही है, कमेटी की, उसके बारे में काफी विचार करने की जरूरत समझता हूँ लेकिन उस प्रसंग को मैं छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात इस कट मोशन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड देने के सम्बन्ध में मार्च के अन्त में या अप्रेल के प्रारम्भ में मंजूरी करते हैं और ग्रान्ट-इन-एड किन आधार पर तय करते हैं, उससे मेरा मतभेद है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि अप्रेल में ग्रान्ट-इन-एड तय करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड देने का एक सीधा सादा सा सिद्धान्त है कि संस्थायें जो खर्च करेंगी, उसका कुछ पर्सेन्टेज सरकार की तरफ से उन्हें मिलेगा। लेकिन होता यह है कि मार्च के अन्त में या अप्रेल में जब मंजूरी देते हैं तो संस्थाओं को पता चलता है कि ग्रान्ट-इन-एड में १० हजार कम हो गया है, पांच हजार कम हो गया है, यानि अप्रेल से फरवरी तक के दौरान में खर्चे की जो मिकदार होती है, उस हिसाब से भी ग्रान्ट-इन-एड में कमी हो जाती है और मार्च में संस्था के संचालकों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि जो ग्रान्ट-इन-एड में कमी हुई है, वह अपने पास से देना पड़ता है; होना यह चाहिए, सभानेत्री जी, आप जितना खर्चे को देख कर उचित समझें दें, लेकिन राज्य सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिए कि ग्रान्ट-इन-एड में कमी नहीं होनी चाहिए। ग्रान्ट-इन-एड के देने का जो सिद्धान्त है उसके बारे में मुझे इस समय कुछ नहीं कहना है, लेकिन मानवता की दृष्टि से जो समाज संस्थायें शिक्षण संस्थाओं को चलाती हैं....

(घंटी)

उनका जो बजट है और उसमें जो ग्रान्ट-इन-एड देते हैं उसमें कमी न करें। आप जो ग्रान्ट-इन-एड में कमी करते हैं, वह संस्थाओं को जब ग्रान्ट-इन-एड की रकम देते हैं, तब मालम होता है। परिणाम यह होता है कि १०

(श्री जनार्दनराय नागर)

हजार, १५ हजार अपने पास से देना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है, सभानेत्री जी, कि संस्थायें विकास नहीं कर सकतीं, क्योंकि हर साल संस्था के संचालकों पर भार पड़ता है। इसलिए ग्रान्ट-इन-एड में कमी हुई है, या ज्यादा हुई है वह संस्थाओं को मालूम हो जाय,

(घंटी)

इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि जो इन संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, वह नाकाफी है। इसके लिए जो संशोधित नियम चालू कर रहे हैं, उसमें इसकी गुंजाइश है। मुझे इस बात की खुशी है कि एक महत्वपूर्ण निश्चय यह किया गया है कि महत्वपूर्ण संस्थाओं के कर्जे को उतारने के लिए लाखों रुपये की अतिरिक्त ग्रान्ट-इन-एड देने के लिए तय किया है और इस प्रकार वनस्थली आदि संस्थाओं की सहायता की है। इसमें हमें पूरी उम्मीद हो सकती है। सभानेत्री जी, मैं कुल मिला कर कह सकता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति प्रगतिशील है, लेकिन इसमें एक नुक्स मालूम होता है कि अगर आप ग्रान्ट-इन-एड में कमी कर दें, यह उचित नहीं लगता। इस पर शिक्षा मंत्री जी विचार करेंगे। सभानेत्री जी, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूँगा कि निर्विवाद रूप से ग्रान्ट-इन-एड के मामले अप्रेल तक निश्चित होने चाहिए। जब शिक्षा विभाग इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के द्वारा ग्रान्ट-इन-एड एप्लीकेशन सितम्बर, अक्टुम्बर तक प्राप्त कर लेता है तो ये मामले अप्रेल तक निश्चित क्यों न हो जाय?

श्री सतीशचन्द्र : हिअर, हिअर।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकरण सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : Hon'ble Chairman, I learnt from the Hon'ble Minister for Public works Department, when I am called upon to move the Cut Motion, I feel myself to be in a little difficult and awkward position for the simple reason that I was under the impression that this demand for education will not be taken up today, and, therefore, I did not bring the necessary papers and I have just even borrowed the papers containing all these cut motions. But since I have been called upon I shall proceed with my cut motions one by one.

The first Cut Motion is with regard to the Basic education in the State. Hon'ble Chairman, I move this Cut Motion with a view to draw the attention of the Hon'ble Education Minister to the glaring defects in the system of Basic Education. It is undoubtedly an undisputed, correct and it is a well established fact which has not been denied from any quarter in the country that the present system of education has failed to meet the demands and the requirements of this country and the people. Futher it is also decided finally on the Government level, on all India level and the State

(श्री रामेश्वरदयाल)

level that the basic education is an ideal system of education which must be persued by all the Governments and even by the Centeral Government. It is quite true that the education policy is ultimately decided by the Government of India to be followed by the State Governments subject to certain modifications in detail which may suit the conditions of a particular State. But I feel that the way in which the policy of implementing the Basic Education is being followed is not free from the defects which creates a feeling of distrust in the people and even in the intelligencia. Now I shall examine the various defects of Basic Education. First of all, the Basic system of education was devised to make the education self-sufficient and less expensive, but what are the results of the operation of this system of education ? The results are quite clear. The Basic system of education is more expensive, more costly than even the present system of education and even the present type of schools which are being controlled by the old policy. Because the time is very limited, I will not go into the details of each point because after all, it require further elucidation as to how it is more costly and more expensive. But the results are such. Then the second defect of this system of education is that the entire scheme of Basic Education is devided into two parts and the most unfortunate thing is that the scheme is implemented in peacemeal and not as a whole. The entire eudcation should be viewed as a whole and not in parts because it is being implemented in parts, therefore, it is not likely to bring the results expected by the people and by the Government. Then the third point is that the basic education has not reached the University stage. University ecucation is under the old system of education so-what will happen ? Chairman, the result will be that after receiving the basic education when stndents will come in the University stage, they will not find congenial in that atmosphere which is quite foreign to them because they receive a type of ecucation in the basic school which is quite different from the type of education which they are likely to receive in the Universities. I do not want to cast aspertions on any body, with due respects to the framers of this policy......

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य को ध्यान होगा कि उनको तीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं और समय बहुत सीमित है ?

श्री रामेश्वरदयाल : Hon'ble Chairman, the resolutions are so very important that I think to give five minutes on each cut motion will be unjust to me because you...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को सूचित करूं कि इस मांग पर ६६ कट मोशन्स हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेन्ट हैं, इसलिये समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी।

(हंसी)

श्री रामेश्वरदयाल : Hon'ble Chairman, I will pray, I am very unfortunate in this respect, to continue my debate till tomorrow...

श्रीमती सभानेत्री : नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको अपनी डिबेट आज ही खत्म करनी है।

(हंसी)

श्री रामेश्वरदयाल : Four Cut Motions and only 15 minutes, Hon'ble Chairman,...

श्रीमती सभानेत्री : यदि ५ बजे बाद सदन बैठना चाहेगा तो आप ५ मिनिट और ले सकते हैं, पर इस भ्रम में तो न रहें कि आपको दूसरे दिन भी समय मिलेगा।

श्री रामेश्वरदयाल : It is very unfortunate on my part that I shall not be able to do justice to the cause and the...

श्री श्रीभानसिंह : You will not do justice to other members...

श्री रामेश्वरदयाल : I was speaking, Hon'ble Chairman, that this basic education is being controlled by those who are in charge of Universities and who are not experts of basic system of education. I have tried to point out some defects and the rest I leave for the other day and I hope that the Hon'ble Education Minister will pay due attention to the defects pointed out. But in this connection I will say, through the Chairman to the Hon'ble Minister, that the policy of the State Government in implementing the basic system of education is also very defective because every year the primary schools of the old type are being introduced and the Basic schools, they are introduced only upto 50% or so. Later on these primary schools will have to be converted to the basic schools. I want to know from the Hon'ble Education Minister-is it a wise step to open primary schools and after a period of five years or so, to convert these primary schools into Basic schools? With these words, I move the Cut motion.

Then the second Cut Motion is to discuss the opening of Agricultural College in Kotah...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को यह तो ध्यान है कि आपने अपना करीब करीब काफी समय एक कट मोशन को दे दिया है, इसलिये दूसरे कट मोशन को बहुत थोड़ा समय दे सकेंगे?

श्री रामेश्वरदयाल : I require, Hon'ble Chairman, only ten minutes.

श्रीमती सभानेत्री : जारी रखिये।

श्री रामेश्वरदयाल : Hon'ble Chairman, I do not grudge wether the

(श्री रामेश्वरदयाल)

Agricultural College should be opened at Jobner or it should be opened at Udaipur, personally I am of the opinion that every district should have an Agricultural College. What I mean to impress upon the House is this that in Kota h also there should be an Agricultural College. As the Hon'ble Members know definitely and the Hon'ble Education Minister knows fully well that Kotah is the Granary of Rajasthan and Kotah is going to be an industrial capital of Rajasthan and due to Chamb Project etc. Kotah affords vast sources and better possibilities for the development of agriculture and allied industry. So, where there are so many better and bright prospects, not to open an agricultural college there is to deny justice and it is to deprive them of the benefits of the wellfare State. Our State is meant for the uplift of the agriculturists. In fact I should say that Kotah, the entire division consists of 80 percent of of such people who have their main occupation as agriculture. It is, therefore, necessary in the public interest and in the state interest to train every son of every farmer in Agriculture and because Agriculturists are very poor and it is not possible for them to afford so high costs for receiving education at Jobner or Udaipur, this division should therefore, have one agricultural college at least.

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य के और भी कट मोशन्स हैं; इसलिए थोड़ा समय देना चाहिये ।

(श्री सतीशचन्द्र के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों ने ही कहा था कि इनको समय मिलना चाहिये और सदन कुछ ज्यादा समय तक बैठने को तैयार है ।

श्री सतीशचन्द्र : हम बैठने को तैयार हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल : I now take up my third cut motion relating to Law Classes of Kotah. Hon'ble Chairman, the question of the specialisation and centralization of education has been receiving the attention of the Government for a long time and previously I remember, probably the Education Minister also knows that about 8 or 9 years ago it was contemplated that these Law Classes at various divisional Head quarters, shculd be abolished and they should be brought under the Rajasthan University but lateron as a matter of expediency and I must call it as a matter of prudence the idea was dropped. But I have learnt that the same idea is being revived now, I am entirely opposed to the idea and keeping particular classes or subjects in Post Graduate Classes or Law Classes at a particular place...

५ म० प०

After all the needs of our State are very large; the requirements

(श्री रामेश्वरदयाल)

are very heavy; the demands are large and the speed with which our legislatures and the Parliament are preparing laws. requires a larger number of lawyers.

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य का एक प्रस्ताव और भी है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री रामेश्वरदयाल : I think it would be better if we continue.

श्रीमती सभानेत्री : लेकिन सदन पांच बज कर १० मिनिट से अधिक न बैठेगा, यह आपको ध्यान रखना चाहिए ।

श्री रामेश्वरदयाल : (जारी) So the needs of our State are very large and in·order to fulfill those needs our State requires a larger number of lawyers, pleaders and advocates. I may mention, through the Chair to the Hon'ble Education Minister, that today when we are far ahead of the times, to think of abolishing the law-classes from these different divisional head-quarters-from Kotah and Bikaner will not be fair. Regarding Kotah I may mention that it has such bright prospects and is going to be the industrial capital of Rajasthan, I ask the Hon'ble Education Minister through the Chair, will it be advisable for him to abolish the law-classes at present and then after some time say four or five years to restart them when the population will reach ten or fifteen lacs ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री : Where ?

श्री रामेश्वरदयाल : (जारी) The retention of law clasaes is not unprofitable and uneconomic and it is not a drain on the public finance of state. The law-classes are self sufficient and there is no question of providing more funds from the State.

Further my fourth cut motion is to discuss the failure of Government to raise Maharani Inter Girls College, Kotah to Degree College. Hon'ble Chairman has just said while speaking from this side that it is very necessary to encourage education among women. I appreciated the feelings expressed at that time and the same feeling has impelled me, Hon'ble Chairman, to bring this cut·motion to plead the cause of education of our women in Kotah city. The importance of Kotah city cannot be minimised and cannot be neglected looking to the importance of that city.

The requirements of the Girl's College in that city are also haveing regard to other matters, it is necessary that the Inter college for Girls should be raised to B. A. standard. The present college is a very old one. It was started in the year 1948 and thereafter, I understand Bikaner College has been raised to the standard of a Degree College. It is only this Inter College, I must say that we are

(श्री रामेश्वरदयाल)

very unfortunate that only this College has not been raised to the degree standard. When the hon'ble Education Minister went to Kotah in connection with the inauguration of the Maharao Bhimsingh Hospital we expected that he would lay the foundation stone of the Degree College also. But he did not lay it at that time. At any rate I do hope that in the very near future, say two or three months he will lay the foundation-stone of the Degree College and will take necessary steps from today, for moving the University for the affiliation of this College as Degree College.

५. १० म० प०

जन–लेखा व प्राक्कलन समिति के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करती हूँ कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९५८–५९ के चुनाव के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :

१. नामजदगी पर्चों का पेश करना :
   २६-३-५८ को ३ बजे सायं तक ।
२. नामजदगी पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें :
   २७-३-५८ को १ बजे मध्याहोन्तर ।
३. नामजदगी पर्चों को वापिस लेना :
   २८-३-५८ प्रश्नोत्तर के तुरन्त पश्चात् ।
४: चुनाव यदि आवश्यक हों :
   ३-४-५८ समय : ११ बजे म.पू. से म. प. ३ बजे तक ।
५. मतों की गणना :
   ३-४-५८ को ३ बजे सायं ।

नामजदगी के पर्चों के खाली फार्म सूचना कार्यालय से दिनांक २५ मार्च, १९५८ को अथवा उससे पहले प्राप्त किए जा सकते हैं ।

नामजदगी के पर्चों की जांच रिटर्निंग ओफिसर (सचिव, राजस्थान विधान सभा) द्वारा विधान सभा भवन के समिति कक्ष में की जावेगी ।

नामजदगी के पर्चे दिनांक २८ मार्च, १९५८ को सदन में वक्तव्य द्वारा वापिस लिए जा सकेंगे जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए ।

(विराम)

सदन की बैठक २४-३-५८ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक, २४ मार्च, ५८ के म. पू. ११ बजे तक के लिए म. प. ५.१३ बजे स्थगित की गई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २० मार्च, १९५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	४२४६
एक्साइज़ इन्सपेक्टर पर रिश्वत के आरोप ।	
उनियारा, मालपुरा इत्यादि डिस्पेन्सरीज़ में दवाइयों की व्यवस्था ।	
रसद विभाग द्वारा व्यापारियों से ली गई सिक्योरिटी व लेवी की रकम ।	
कृषि-फार्म ।	
ग्रामों का पंचायतों में सम्मिलित नहीं किया जाना ।	
सड़क-निर्माण, नीम का थाना ।	
नगरपालिका, बाड़मेर के लिए महिला सदस्य का मनोनीत किया जाना ।	
बहुधंधी सहकारी समिति, फलौदी ।	
शुगर-डीलर्स, सांचोर ।	
कस्बा सैंथल की सड़क ।	
पाली में मोची जाति की सहकारी समिति ।	
ग्राम अरटवाड़ा (त० शिवगंज) में पंचायत की व्यवस्था सम्बन्धी ।	
टूरिस्ट बोर्ड ।	
बसी-तुंगा-रामगढ़ सड़क ।	
चिकित्सालय की स्थापना—झोटवाड़ा (जयपुर) ।	
बांधरण बांध ।	
प्रसूति केन्द्र, पाली ।	
कोटा नगर स्थित बिजलीघर ।	
भाखरा क्षेत्र में मंडियां ।	
फिमेल हॉस्पिटल, कोटपुतली ।	
हनुमानगढ़ से नर्सरी गार्डन ।	
लेवी के दावे-जिला पाली ।	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीकानेर जिले में विटेरिनेरी हॉस्पिटल की स्थापना ।	
बूचारा बंध ।	
पंचायतों के चुनाव, जिला गंगानगर ।	
कोटपुतली से बानसूर, बहरोड, डाबला सड़क ।	
बांसवाड़ा जिले में लेडी डॉक्टर का अभाव ।	
चिकित्सालय, नोहर ।	
किशनगढ़ से बड़ा उदयपुर तक डामर रोड ।	
चित्तौड़गढ़ जिले में पक्की सड़कों का निर्माण ।	
कस्बा बामनवास की सड़कों की मरम्मत ।	
गंगापुर में सड़कों का अभाव ।	
जनलेखा तथा प्राक्कलन समितियों के निर्वाचन	४३०२

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, द्वारा जनलेखा समिति, १९५८–५९, के लिए १० सदस्यों एवं प्राक्कलन समिति, १९५८-५९, के लिए १५ के निर्वाचन निर्दिष्ट रीति से किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो सदन में स्वीकृत हुए ।

स्थगन प्रस्ताव

बीकानेर शहर में ऊन के भावों में गिरावट ४३०३

श्री गिरधारीलाल के उक्त स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य, उप मन्त्री, उद्योग विभाग, द्वारा २५ मार्च, १६५८ को दिया जावेगा।

अनुदान की मांगों पर मतदान मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा ४३०४

उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई, जिस पर २५ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :

(१) श्री चन्दनमल वेद
(२) ,, पी० के० चौधरी
(३) ,, जगदीशप्रसाद माथुर
(४) डॉ० चन्द्रकला
(५) श्री भीमसेन
(६) ,, बहादुरसिंह
(७) ,, सोहनलाल भटनागर
(८) ,, मनोहर कोठारी
(९) ,, शंकरलाल
(१०) ,, श्री मूलचन्द डागा
(११) ,, अबिद अली
(१२) ,, रामेश्वरदयाल
(१३) ,, मोहरसिंह
(१४) ,, अनूपसिंह।

इसके अतिरिक्त रावल श्री नरेन्द्रसिंह, श्री मुक्तिलाल मोदी, श्री रामचन्द्र ने भी उक्त कटौती प्रस्तावों पर अपने मत व्यक्त किये। सार्वजनिक निर्माण मंत्री के उत्तर के पश्चात् १४ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए गए तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा ४४३०

यह मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित की गई, जिस पर आज निम्न सदस्यों के ११ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(१) डा० चन्द्रकला
(२) श्री जनार्दनराय नागर
(३) श्री रामेश्वरदयाल।

सोमवार, २४ मार्च, १६५८ की कार्य-सूची

मांगों पर मतदान (शिक्षा)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७०४ का उत्तर देखिये)

Statement showing the refunds of security on cloth licence made to various parties of Distt. Ganganagar

Name and Place	Amount
1. Malchand chhazer, Nohar	Rs. 200/-
2. Isardass Chiranjilal 52 GB	„ 200/-
3. Dabaram Madanchand	„ 50/-
4. Yakiram Bhagwandass, Hanumangarh	„ 50/-
5. Dhanraj Tulsiram, Nohar	„ 50/-
6. Hazarilal Dulichand	„ 50/-
7. Hazuramal Naimatram, Ganganagar	„ 200/-
8. Amarnath Premchand, Raisinghnagar	„ 200/-
9. Isardass Kishorilal, Ganganagar	„ 200/-
10. Chhabildass Butaram, Ganganagar	„ 200/-
11. Brijlal Nihalchand, Ganganagar	„ 50/-
12. Saburam Chelaram, Karanpur	„ 50/-
13. Motanram Amirchand, Gajsinghpur	„ 50/-
14. Kesrsingh Gulabsingh, Ganganagar	„ 200/-
15. Govindram Banwarilal, Karanpur	„ 200/-
16. Santram Milakhraj, Karanpur	„ 200/-
17. Kanhiyalal & Sons, Karanpur	„ 200/-
18. Lalchand Mohriram, Gajsinghpur	„ 50/-
19. Inderlal Harlal, Raisinghnagar	„ 50/-
20. Mohriram Munshiram, Kesri Singhpur	„ 50/-
21. Chetram Mohanlal, Raisinghnagar	„ 200/-
22. Mahtabrai Lalchand, Vijaynagar	„ 200/-
23. Kisturilal Manakchand, Hanumangarh	„ 200/-
24. Bhagatram Kartarsingh, Karanpur	„ 200/-
25. Nanuram Sitaram, Raisinghnagar	„ 200/-
26. Bahdarchand Jamnadass, Ganganagar	„ 200/-
27. Nanuram Nathmal, Karanpur	„ 200/-
28. Sadiram Rekhiram, Karanpur	„ 200/-
29. Mathuradass Pishorilal, Raisinghnagar	„ 500/-
30. Bishandass Jagdishrai, Ganganagar	„ 50/-
31. Topandass Kodaram, Padampur	„ 200/-
32. Diyaldass Tarachand, Ganganagar	„ 50/-
33. Govindram Tarasingh, Gajsinghpur	„ 50/-
34. Pannalal Julaha, Ganganagar	„ 25/-

Name & Place	Amount
35. Vilaytiram Chimanlal, Padampur	Rs. 200/-
36. Keswanand Vedprakash, Karanpur	,, 200/-
37. Gurbaxsingh Pritamsingh, Kesrisinghpur	,, 200/-
38. Amarchand Hargopal, Karanpur	,, 200/-
39. Murarilal, Ganganagar	,, 25/-
40. Huntram Jagannath, Hanumangarh	,, 200/-
41. Sriram Vishwanath, Raisinghnagar	,, 200/-
42. Baburam Shiv Bhagwan, Hanumangarh	,, 200/-
43. Bhadarmal Siandass, Padampur	,, 50/-
44. Chhabildass Kishansingh, Padampur	,, 50/-
45. Balchand Lalchand, Padampur	, 200/-
46. Bhagwandass Khushiram, Padampur	,, 50/-
47. Bhadarchand Lalchand, Padampur	,, 50/-
48. Gopiram Roshandass, Padampur	, 50/-
49. Fatehchand Lalchand, Padampur	,, 50/-
50 Gurbaxsingh Govindlal, Padampur	,, 50/-
51. Harjasrai Badrichand, Hanumangarh	,, 200/-
52. Hanumandass Tilkchand, Hanumangarh	,, 200/-
53. Balwantrai & Brothers, Hanumangarh	,, 50/-
54. Tansukhdass Likhmichand, Hanumangarh	,, 200/-
55. Naraindass Simbhuram, Bhadra	,, 200/-
56. Pritamdass Sodagarchand, Padampur	,, 50/-
57. Fatehchand Diwanchand, Padampur	,, 50/-
58. Balmukand Parmanand, Gajsinghpur	,, 200/-
59. Nandlal Dogardass, Padampur	,, 200/-
60. Hirasingh Sarjitsingh, Ganganagar	,, 50/-
61. Mohriram Gurdittaram, Ganganagar	,, 200/-
62. Jaidev Pritamdass, Ganganagar	,, 50/-
63. Harbhajansingh Bakhatsingh, Ganganagar	,, 200/-
64. Ganshilal Hunaram, Bhadra	,, 200/-
65. Basantlal Champalal, Ganganagar	,, 200/-
66. Ghamandiram & Sons, Padampur	,, 50/-
67. Hanumandass Bhawarlal, Hanumangarh	,, 200/-
68. Ramlal Mulakhraj, Ganganagar	,, 200/-
69. Sarnamal Satyanarain, Ganganagar	,, 50/-
70. Naraindass Deviduttaram, Ganganagar	,, 25/-
71. Rajansing Santasingh, Gangaagar	,, 25/-
72. Sambhuram Khemchand, Ganganagar	,, 25/-
73. Girdharilal Bhimchand, Ganganagar	,, 50/-
74. Kishorchand Banwarilal, Ganganagar	,, 50/-
75. Harichand s/o Maghuram, Lalgarh	,, 50/-

Name & Place	Amount
76. Rughlal Thanduram, Ganganagar	Rs. 200/-
77. Gajanand Kishanlal, Ganganagar	„ 200/-
78. Mohriram Gainchand, Ganganagar	„ 25/-
79. Chandumal s/o Lahrimal, Ganganagar	„ 25/-
80. Aidan Tarachand, Ganganagar	„ 200/-
81. Maturam Lakhmichand, Ganganagar	„ 200/-
82. Hanumandass Bhanwarlal, Hanumangarh	„ 200/-
83. Dindayal Goyal, Jetsar	„ 50/-
84. Bishandass Gopiram, Hanumangarh	„ 50/-
85. Kashiram Ramchand. Hanumangarh	„ 50/-
86. Lakhmichand & Bros., Gajsinghpur	„ 50/-
87. Guljarimal Syamdass, Gajsinghpur	„ 200/-
88. Dedararam Tehlaram, Nohar	„ 50/-
89. Kishanlal Premsukhdass, Bhadra	„ 200/-
90. Mahabirprasad Srikishandass, Bhadra	„ 200/-
91. Shiv Bhagwan Ramswroop, Bhadra	„ 200/-
92. Karamsingh Manoharsingh, Hanumangarh	„ 500/-
93. Rajaram Gangaram, Karanpur	„ 200/-
94. Hargopal Lalchand, Karanpur	„ 200/-
95. Kanahiyalal, Suratgarh	„ 200/-
96. Pendidass Vedprakash, Karanpur	„ 200/-
97. Jaluram Sarupchand, Ganganagar	„ 200/-
98. Ganesh Store, Nohar	„ 50/-
99. Pitiram Nandram, Ganganagar	„ 200/-
100. Dharamchand s/o Hardayal	„ 25/-
101. Hazarilal Roopchand, Ganganagar	„ 50/-
102. Mahadeo Pd. Babulal, Bhadra	„ 200/-
103. Tikamchand Hunatrai, Hanumangarh	„ 200/-
104. Juharmal Jiyaram, Anupgarh	„ 200/-
105. Kurdamal Hariram, Ganganagar	„ 200/-
106. Lalchand Ranjharam	„ 50/-
107. Bhagatram, Raisinghnagar	„ 50/-
108. Kashiram Bhagchand	„ 50/-
109. Isardas Devachand, Bhadra	„ 50/-
110. Lilaram Likhmichand, Ganganagar	„ 50/-
111. Ayaram Dhaturam, Ganganagar	„ 50/-
112. Dogerdass Mukandlal, Padampur	„ 1000/-
113. Jhamal Jiaram, Jetsar	„ 200/-
	Total 16,200.

LIST No. 1

List of refund bills pending payment regarding cloth licence Security of Tehsil Ganganagar.

Sl.	Name of party	Amount.
1.	Chananmal Noranglal	200/-
2.	Ramcharandas Desraj	50/-
3.	Bishandas Omprakash	200/-
4.	Jaturam Ramlal	50/-
5.	Ganshilal Mangatram	200/-
6.	Deshraj Vijeykumar	200/-
7.	Udaram Bansharam	25/-
8.	Ramkishan Omprakash	25/-
9.	Kaluram Moriram	50/-
10.	Bhagwandas Sewaram	50/-
11.	Dulichand Radheshayam	50/-
12.	Bhagwanishayam Molaprasad	50/-
13.	Joraram Bhiyanram	50/-
14.	Chandmal Omprakash	50/-
15.	Ranakram Hansram	50/-
16.	Khanchand Omparkash	200/-
17.	Mukandlal Kanayalal	200/-
18.	Dungarmal Mohata	200/-
19.	Ishardas s/o Bhurtaram	50/-
20.	Vivaksingh s/o Mamasingh	200/-
21.	Manoharlal Mody	50/-
22.	Banwarilal Kishorchand	200/-
23.	Chunilal s/o Ganpatram	50/-
24.	Ramchand Nandlal	50/-
25.	Chunilal Radhakishan	50/-
26.	Thakurdas	50/-
27.	Sundardas Sohannath	50/-
28.	Shivlal Tarachand	50/-
29.	Sohanlal Rajkumar	50/-
30.	Ashanand Beerbhan	50/-
31.	Kashiram Manuram	200/-
32.	Sitaram Santlal	200/-
	TOTAL:—	32,00.

परिशिष्ट

LIST NO. 2

List of refund Bills pending payment in respect of cloth licence Securities Tehsil Karanpur

SL.	Name of party	Amount
1.	Hakimrai Kishanlal	200/-
2.	Dolatram Nanuram	200/-
3.	Bhansingh Pradhansingh	50/-
4.	Harbhajansingh	50/-
5.	Girdharilal s/o Ralusingh	50/-
6.	Naraindass Kishankumar	50/-
7.	Lashkariaram Milkhiram	50/-
8.	Tolaram Milkhiram	25/-
9.	Madanlal Vedpraksh	50/-
10.	Local Cloth Association.	1000/-
	Total	1875/-

TEHSIL PADAMPUR

1.	Manguram s/o Bogaram	50/-
2.	Tansukhdass Gupta	200/-
3.	Mukandlal Banarshidass	200/-
4	Tilakram Korchand	200/-
5.	Janaklal s/o Chandarmal	50/-
6.	Ramditamal Ganeshmal	200/-
	Total	Rs. 900/-

TEHSIL RAISINGHNAGAR

1.	Jessaram Fatehchand	Rs. 200/-
2.	Udaram Rajaram	50/-
3.	Chunilal Girdharilal	50/-
4.	Banwarilal Sohanlal	200/-
	Total	Rs. 500/-

TEHSIL NOHAR

1.	Kanahiyalal Rughlal	200/-
2.	Badhumal Chimanlal	50/-
3.	Harlal Ramnarain	200/-
4.	Dungemal Lekhraj	200/-
5.	Chuharmal Dulchand	50/-
6.	Jhumalmal Gagandass	50/-
7.	Dunichand Liladhar	200/-
8.	Jailalsingh Harnamsingh	200/-
9.	Mirchumal Jaisanram	50/-

10.	Bakhtawarmal Jagannath	200/-
11.	Surajmal s/o Ganpatram	200/-
12.	Jamanadhar Hanumandass	200/-
13.	Surajmal Karamchand	50/-
14.	Hukamchand Shivlal	200/-
15.	Syamdass s/o Chotharam	50/-
16.	Madhumal Motumal	50/-
17.	Kashiram Puranmal	200/-
18.	Mahendersingh Jessasingh	50/-
19.	Raghumal Mithumal	25/-
	Total	2425/-

LIST NO. 3

List of refund bills pending payment regarding cloth licence security of Tehsil Anoopgarh.

No.	Name of party	Amount.
1.	Bhaniram Narainsingh	Rs. 200/-
2.	Malsingh Lakhasingh	„ 200/-
3.	Topandass Lalchand	„ 50/-
4.	Tahalsingh Kushalchand	„ 50/-
5.	Dogardass Mahtabchand	„ 200/-
6.	Gulabrai Mohriram	„ 50/-
7.	Gopiram Topandass	„ 200/
8.	Pokarmal Surajmal	„ 200/-
9.	Dhanraj Gaurishanker	„ 200/-
10.	Suganchand Hanumandass	„ 200/-
11.	Banshilal Shivlal	„ 200/-
12.	Syamsingh Harbanssingh	„ 200/-
13.	Rameshwarlal Ramchander	„ 200/-
14.	Asaram Kedarbax	„ 200/-
15.	Bholaram Desharaj	„ 50/-
16.	Gokalchand Kesrichand	„ 200/-
17.	Kalasingh Dogardass	„ 50/-
18.	Jawaharsingh Munshisingh	„ 50/-
19.	Rajasthan Fancy Cloth Store	„ 200/-
20.	Kaluram Sunderdass	„ 200/-
21.	Hiralal Punamchand	„ 200/-
22.	Munishram Dulichand	„ 200/-
23.	Peragchand Purshotamdass	„ 200/-
	Total:—	Rs. 3700/-

TEHSIL BHADRA

1.	Badumal Chanduram	Rs. 50/-
2.	Parumal s/o Jagannath	,, 50/-
3.	Namandass Pardamal	,, 50/-
4.	Bhagchand Jeetmal	,, 50/-
5.	Jawanimal Pesumal	,, 50/-
6.	Rathumal Jeewanmal	,, 50/-
7.	Bhagchand Kanahiyalal	,, 50/-
8.	Surjaram Nanurai	,, 50/-
9.	Manimal Basumal	,, 25/-
10.	Chandrumal Mahabir Pd.	,, 50/-
11.	Rajumal Gandamal	,, 50/-
12.	Pahljumal Bhojaram	,, 25/-
13.	Tolaram Gomamal	,, 25/-
14.	Premsukhdass Liladhar	,, 200/-
15.	Surjaram s/o Nandram	,, 50/-
16.	Viswanath Jagdishrai	,, 200/-
17.	Sadhuram Moolchand	,, 50/-
18.	Raluram Lilaram	,, 50/-
19.	Amichand Hansraj	,, 200/-
20.	Jetram s/o Ramdhan	,, 200/-
21.	Devidutt Dhanpat	,, 200/-
22.	Sarnamal Mahadeo Pd.	,, 200/-
23.	Ganeshilal Puranmal	,, 50/-
24.	Mahadeo Pd. Jagdish Pd.	,, 200/-
25.	Liladhar Bishwanath	,, 200/-
26.	Ramnath Brijlal	,, 200/-
27.	Ramgopal Banwarilal	,, 50/-
28.	Motiram Kaluram	,, 200/-
29.	Dayaram s/o Jhamanlal	,, 50/-
30.	Kashuram s/o Badhulal	,, 50/-
31.	Kashiram Hunaram	,, 50/-
32.	Naraindass Bhagatram	,, 200/-
33.	Jaganlal s/o Chunilal	,, 200/-
34.	Ganptram	,, 200/-
35.	Jawala Pd. Ramkumar	,, 200/-
36.	Rajrangdass Rameshwar	,, 200/-
37.	Narain Dass Bhagatram	,, 200/-
	TOTAL:—	Rs. 4175/-

TEHSIL HANUMANGARH

1.	Simbhuram Murlidhar	Rs. 200/-
2.	Jethmal Tulshiram	,, 200/-

3. Fetehchand Puranmal „ 200/-
4. Ramchand s/o Patumal „ 200/-
5. Rinjraj Nagamal „ 200/-
6. Kisturilal Bhagwandass „ 200/-
7. Rupchand Pooranchand „ 200/-
8. Chhogram Bhanuram „ 200/-
9. Shankarlal Gadiya „ 200/-
10. Demaram Madanchand „ 200/-
11. Pharsuram Rughlal „ 200/-
12. Sanekiram Karamchand „ 200/-
13. Lekhuram Nanuram „ 200/-
14. Amarchand Satyanarain „ 200/-
15. Hanutram Sitaram „ 200/-
16. Talaram Govindram „ 50/-
17. Tekchand Deshraj „ 50/-
18. Mohanlal Dewanchand „ 50/-
19. Hariram Tulsiram „ 200/-
20. Labhuram Bihariram „ 50/-
21. Bhagwandass Chorrdia „ 200/-
22. Nanakchand Kushiram „ 50/-
23. Karamsingh Manoharsingh „ 50/-
24. Dhanraj Maharchand „ 200/-
25. Gauri shanker Dwarka „ 200/-
26. Tolaram Baithia „ 200/-
27. Ghamandiram Sohanlal „ 200/-
28. Chananmal Benachand „ 200/-
29. Rawatmal Mangatrai „ 200/-
30. Paliram Gajuram „ 200/-
31. Budhram Bhagatram „ 200/-
32. Chetram Nandlal „ 50/-
33. Santlal Ramniwas „ 200/-
34. Bhagwandass Bajrangdass „ 200/-
35. Harjasrai Bagumal „ 200/-
36. Bajrangdass Hanumandass „ 200/-
37. Devidutta Biharilal „ 50/-
38. Parturam Lalchand „ 200/-
39. Murlidhar Kundanlal „ 200/-
40. Khetaram Banthia „ 200/-
41. Shivnarain Nagarmal „ 50/-
42. Saligram Brijlal „ 200/-
43. Budhram Chothmal „ 200/-
44. Dungermal Mohanlal „ 200/-

45. Motiram Tilokchand		Rs. 200/-
46. Premsukhdass Dulichand		„ 200/-
	Grand Total	Rs. 7850/-

LIST NO. 4

List of refund Bills pending payment regarding cloth licence
Tehsil Suratgarh

No.	Name of party	Amount
1.	Tirathdass Badriprasad	Rs. 50/-
2.	Buthmal Liladhar	„ 200/-
3.	Mangalchand Nolakha	„ 200/-
4.	Jiwanram Harlal	„ 200/-
5.	Ramchand Manuram	„ 50/-
6.	Hiralal Omprakash	„ 200/-
7.	Tarachand Girdharilal	„ 50/-
8.	Chananmal s/o Sitaram	„ 200/-
9.	Ganeshilal Gopiram	„ 200/-
10.	Aduram Gangajal	„ 200/-
11.	Rupram Lachmandass	„ 200/-
12.	Bhimraj Banshidhar	„ 200/-
13.	Sanskaran Ramchander	„ 200/-
14.	Lachiram Bhagwandass	„ 200/
15.	Hukamchand Jamnadass	„ 200/
16.	Tarachand Likhmichand	„ 200/-
17.	Bharundan Sohbachand	„ 200/-
18.	Premchand Shivnarain	„ 200/-
19.	Ramkarandass Prayagchand	„ 200/-
20.	Jawaharsingh Hukamsingh	„ 50/-
21.	Likhmichand Multanchand	„ 200/-
22.	Ganeshiram Jeewanram	„ 20 /-
23.	Sahiram Udaram	„ 200/-
24.	Govindram Champalal	„ 200/-
25.	Hemraj Shrichand	„ 200/-
26.	Sheojoram Jairoop	„ 200/-
27.	Gokalchand Tejaram	„ 200/-
28.	Chartaram Lekhraj	„ 25/-
29.	Tirathdass Badridass	„ 50 (for sugar)
30.	Mahadeoprasad Satyanarain	„ 200/-
31.	Ramchand Sitaram	„ 200/-

32	Kashiram Ratanlal	Rs. 200/-
33	Lakhmichand Nihalchand	Rs. 25/-
34	Brijlal Shivlal	Rs. 200/-
35	Sheopatram Ramkumar	Rs. 200/-
36	Jessaram Ramkumar	Rs. 25/-
37	Mohriram Bakhtaram	Rs. 25/-
38	Harakhchand Ramlal	Rs. 200/-
39	Kaluram Tolarm	Rs. 200/-
40	Ganeshdass Badridass	Rs. 200/-
41.	Ghothmal Gokalchand	Rs. 200/-
	Total	6750/-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ७१४ का उत्तर देखिये)

सूची सदस्यगण—दी पाली मोचियान को-ऑपरेटिव सोसाइटी

(१) गटूड़ी बेवा अमरा
(२) लाला वल्द रकवा
(३) मोड़ा वल्द शेरा
(४) प्यारी बेवा लुम्बा
(५) जयराम वल्द रुघनाथा
(६) मघा वल्द धना
(७) चोरु वल्द छोटू
(८) रूपा वल्द जेठा
(९) जसा वल्द केना
(१०) धना वल्द हजारी
(११) नत्थू वल्द सूजा
(१२) केना वल्द हडिंग
(१३) पुकिया वल्द लाला
(१४) सुखदेव वल्द हेमा
(१५) जासा वल्द हेमा
(१६) मूला वल्द रावत
(१७) आईदान वल्द नेमा
(१८) भीका वल्द खूशाल
(१९) रामप्यारी बेवा मालजी
(२०) गोर्धन वल्द भारमल
(२१) बस्तीमल वल्द जेठा
(२२) भूरा वल्द चला
(२३) पीथी वल्द सूरजमल
(२४) मगिया वल्द चिमना
(२५) दयाराम वल्द धना
(२६) थाना वल्द धना
(२७) गेनिया वल्द जगन्नाथ
(२८) गनपत वल्द चुन्नीलाल
(२९) थानमल वल्द नत्थूजी
(३०) हरिराम वल्द काना
(३१) भंवरलाल वल्द बस्तीराम
(३२) परबू वल्द देवाराम
(३३) मगा वल्द डूंगी
(३४) चिमना वल्द देवा
(३५) नत्थूलाल
(३६) पनकी बेवा हीरा
(३७) गिरधारी वल्द किस्तूर
(३८) सोना वल्द पूना
(३९) भगवानदास वल्द नेमा

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७०५ का उत्तर देखिये)

APPENDIX A

Statement of Expenditure and Income of Agricultural Farms from Year 1951-52 to 1956-57.

	1951-1952		1952-53		1953-1954		1954-55		1955-56		1956-5	
	Expenditure	Income	Expenditure	Income	Expenditure	Income	Expenditure	Income	Expenditure	Income	Expenditure	Income
1. Shri Ganganagar.	24,179/11/-	28,829/2/-	19,069/6/-	19,621/8/-	32,506/4/-	38,260/9/-	38,439/2/-	47,908/-	38,316/4/6	68,762/5	42,517/10/-	59,471/-
2. Padasoli.	19,763/3	9,135/5	20,779/1	24,847/14	23,647/14	42,265/-	25,657/-	21,051/11	27,413/12	37,800/-	28,426/10/9	49,209/-
3. Durgapura.	24,470/14	6,928/12	23,203/6	12,136/11	22,631/6	20,002/14	33,771/13	11,414/-	35,755/8	21,369/5	34,173/1/9	19,345/-
4. Bassi.	18,604/2	16,064/9	21,426/-	14,627/6	23.448/14	23,493/1	23.800/11	23,316/11	24,701/9	28,075/5	30,741/15/3	12,224/-
5. Mandora.	13,391/7	5,404/3	13,421/5	4,691/12	23,169/14	4,701/4	22,746/7	8,556/13	25,955/10	22,784/15	25,376/6/3	6,410/-
6. Raisinghnagar.	16,522/2	2,484/8	7,104/13	1,441/14	6,628/4	4,765/3	7,558/15	5,112/2	7,826/13	5,621/-	12,523/13/9	9,716/-
7. Padampur.	5,545/15	1,429/15	7,841/7	3,069/6	7,343/12	8,209/12	5,828/6	5,740/12	4,524/14	7,999/15	5,646/11/3	7,905/-
8. Jetsar.	4,467/2	2,946/10	6,666/9/	3,397/8	6,759/13	5,177/15	7,031/9	5,050/11	5,699/12	7,115/9	6,059/5/3	6,417/-
9. Karanpur.	4,854/11	4,812/-	5,818/2	2,305/3	4,394/10	3,347/8	5,242/3	3,814/-	5,190/7	5,500/-	5,656/8/9	3,812/-
10. Bilara.	4,639/9	1,123/1	6,193/1	2,064/10	7,704/-	4,255/-	7,064/11	3,138/4	6,056/6	6.916/5	7,539/7	Nil
11. Sadri.	7,733/-	1,045/11	6,661/10	867/5	4,800/4	1,011/-	7,103/-	4,407/15	7,846/8	3,200/-	7,816/14/3	2,338/-
12. Tonk.	5,455/4/3	1,180/15	7,045/3	103/7	5,290/12	70/10	5,373/11	1,013/14	2,569/6	2,326/-	5,184/3/3	2,846/-
13. Banswara.	6,020/-	652/1	7,315/1	792/2	8,604/10	818/15	6,115/7	1,113/6	5,736/6	1,782/-	6,499/9/3	2,748/12
14. Douadi.	8,738/9	696/14	9,601/7	2,246/7	5,887/5	478/3	8,176/-	837/-	4,115/12	1,334/-	6,232/14	938/-
15. Bundi.	3,629/12	1,469/6	7,110/12	3,134/7	8,388/10	3,770/-	5,372/-	2,898/-	10,518/8	1,300/-	11,504/11	750/7
16. Tabaji.											2,558/-	1,180/-
17. Makrera.											8,695/-	546/-

परिशिष्ट

APPENDIX B.

Seed multiplication farms.

1956-1957

	Income	Expenditure.
1. Ladpura.	Nil	7,809/11/-
2. Banswara.	Nil	8,462/7/-
3. Bassi.	Nil	Nil
4. Bharatpur.	Nil	1,178/-/-
5. Malpura.	Nil	Nil
6. Khandar.	Nil	Nil
7. Chanawah	Nil	Nil
8. Sardargarh.	Nil	Nil
9. Mavli.	Nil	Nil
10. Borakhera.	Nil	Nil
11. Near Mejadam (Bhilwara)	Nil	Nil
12. Chittorgarh.	Nil	Nil
13. Manipur. (Alwar)	Nil	Nil
14. Sumerpur.	Nil	Nil
15. Damaria (Durgapur)	Nil	Nil
16. Swai-Madhopur.	Nil	1,270/10/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २० मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४२५२	अन्तिम	सवाल पैदा नहीं हो ।	सवाल पैदा नहीं होता ।
४२७५	१५	वेटरनरी अस्तपाल हैं ?	वेटरनरी अस्पताल हैं ?
४२७८	अन्तिम से ३	अभी भी गुंजाइश ^ इसलिये	अभी भी गुंजाइश है इसलिये
४२८२	२१	वोटर हीं और	वोटर कहीं और
४३०५-०५	—	Civil work	Civil works
४३०५ से	`	मांग संख्या ३६- निर्माण	मांग संख्या ३६-राजस्व लेखे से
४४३०	शीर्ष	कार्य इत्यादि	बाहर नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि
४३११	१२	जो अमेरिकाय । रूस	जो अमेरिका या रूस
४३२२	अन्तिम से ५-६	Development commisione.	Development commissioner.
४३४८	१५, २० और ३२	आमेर	आमेट
४३६१	अन्तिम से ६	उस सड़क में गडडे	उस सड़क में गड्ढे
४३६८	७	लोगों के अभि यिग	लोगों के अभियोग
४३८१	१२	पंजाब से लगा हुआ	पंजाब से लगा हुआ
४३८३	६	सब भी होगा	सर्वे भी होगा
४३८६	अन्तिम से ३	करना चाहता हुं ।	करना चाहता हूँ ।
४३६७	शीर्ष	मांग संख्या १३-	मांग संख्या ३६-
४४०५	१६	ज्यादा जोर डेवल्पु इकोनोमी	ज्यादा जोर डेवलप्ड इकोनोमी
४४०७	२	जो सिटी ब्लकॉस	जो सिटी ब्लॉक्स
४४१३	अन्तिम	।फी प्रोविज़न रखा है ।	काफी प्रोविज़न रखा है ।
४४१७	,,	न्त्री महोदय	मंत्री महोदय
४४१८	,,	चरू जिले में	चुरू जिले में
४४२८	अन्तिम से ५	हो जावेंगी; इ	हो जावेंगी; इस
४४३०	अन्तिम से ३	मांग संख्या १४, मुख्य शीषक	मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक
४४३३	८	Deg. ree College)"	Degree College)"
४४३४	१४-१५	उन्हें चाल करने हेतु ।"	उन्हें चालू करने हेतु ।"
४४३७	१८	the bialding of	the bailding of
४४४६	अन्तिम से ८	विकास से लकरे	विकास से लेकर
४४५४	६	निकोबार की परिक्षाओं	निकोबार की परीक्षाओं
४४६७	७	Centeral Government	Central Government

१	२	३	४
४४३७	२०–२१	in the intelligencia	in the intelligentia
४४६८	१४–१५	University ecucation	University education
,,	अन्तिम से ११–१२	cast aspertions	Cast aspersions
४४७०	अन्तिम	I do not grudge wether	I do not grudge whether
४४७१	१७–१८	Chamb Project etc.	Chambal Project etc.
४४७[illegible]	२६	The wellfare State	The welfare State
४४७४	५	law clasaes	Law classes
४४७६	३	बीकानेर श र में	बीकानेर शहर में
,,	२०	कटौती प्र ताव	कटौती प्रस्ताव